

वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अहेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अद्या कॉलोनी, ओपाल - 462016

विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	1
	1.1 राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य	2
	1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व	2
	1.3 विशिष्ट उपलब्धियाँ	4
2	राज्य बोर्ड का गठन	17
3	बोर्ड की बैठकें	18
4	जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र	19
	4.1 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम	19
	4.2 प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी	20
	4.3 विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)	20
	4.4 भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)	20
	4.5 नदियों के जल की गुणवत्ता	29
	4.6 बेसिन के अनुसार प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता	37
	4.7 मूर्ति विसर्जन	62
	4.8 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम	66
	4.9 प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु स्थिति	70
	4.10 वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण	90
	4.11 ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण	93
5	पर्यावरणीय समस्यायें और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति	95
	5.1 उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति	95
	5.2 उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति	96
	5.3 उद्योगों / संस्थानों / खदानों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियाँ	97
	5.4 उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण	98
	5.5 पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट	98
	5.6 वृक्षारोपण	98
	5.7 पर्यावरण विवरण	98
	5.8 जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन	99
	5.9 वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन	100
	5.10 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों का विवरण	100

5.11	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन	101
5.12	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन	102
5.13	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	105
5.14	बैटरी प्रबंधन एवं हथालन	107
5.15	ई-वेस्ट प्रबंधन	107
5.16	अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन	109
5.17	फ्लाई ऐश प्रबंधन	111
5.18	घरेलू दूषित जल-मल उपचार व्यवस्था	114
5.19	खदानों में पर्यावरण प्रबंधन	114
6	पर्यावरणीय अनुसंधान	117
7	पर्यावरणीय प्रशिक्षण	125
8	पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी	132
9	पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही	151
10	वित्त एवं लेखे	182
11	महत्वपूर्ण कार्य	183
11.1	जल उपकर	183
11.2	सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं क्रियान्वयन	183

परिशिष्ट		
1	राज्य बोर्ड के सदस्य	186
2	बोर्ड की मुख्यालय स्तर पर संरचना एवं प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यालय	187
3	पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची	188
4	50 हजार से अधिक वृक्षारोपण करने वाले उद्योगों की सूची	191
5	जल उपचार संयंत्र लगाने / उन्नयन करने वाले उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों की सूची	192
6	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने / उन्नयन करने वाले उद्योगों एवं संस्थानों की सूची	204
7	17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	217
8	मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 मई 2017	227

१. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35(2) के परिपालन में राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है:-

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (जून 2017 तक)
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत,
 - 4.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
 - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 2000
 - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016.
 - 4.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 4.5 निर्माण एवं विद्युत संशोधित अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
 - 4.7 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
 - 4.8 फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 1999 यथा संशोधित 2003, 2009 एवं 2016
 - 4.9 कोमिकल एक्सीडेंट (इमरजेन्सी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एवं रिस्पांस) नियम, 1996
 - 4.10 ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एवं कन्ट्रोल) नियम, 2000
 - 4.11 अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
5. मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
 - 5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी हुंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय कार्यालयों में भी प्रयोगशालाएँ पर्यावरणीय प्रदूषकों के विश्लेशण हेतु कार्यरत हैं।

1.1 राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना।
- मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्तरालों पर जैसा आवश्यक समझें, ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिए बहिःस्त्राव मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना।
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से, जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषकों के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करना।
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्यधी और विश्वसनीय पद्धतियाँ निकालना।
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियाँ विकसित करना।
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियाँ विकसित करना।
- सरिताओं या कुँओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे वापस लेना।
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएँ का प्रदूषण संभाव्य है।
- सरिता या कुएँ से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, एवं ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या उसे समय-समय पर सौंपे जायें।

1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख दायित्व

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिटरिंग।

- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जाँच कार्य।
- प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मॉनिटरिंग।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना, सम्मति का नवीनीकरण करना।
- वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही करना।
- पर्यावरणीय नियमों के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- जिला प्रशासन के साथ पर्यावरणीय मसलों पर समन्वय।




दिनांक 05 जून 2017 को परमहंस आश्रम, लम्हेटा घाट, जबलपुर में आयोजित जनजागृति रैली

1.3 विशिष्ट उपलब्धियाँ

■ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्षेत्रीय सम्मेलन में सहभागिता

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बैच, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से 29-30 जुलाई, 2017 को प्रशासनिक अकादमी भोपाल में “रीजनल कॉन्फ्रेन्स” आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेन्स में म.प्र. के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रिंसीपल बैच नई दिल्ली के अध्यक्ष जस्टिस श्री स्वतंत्र कुमार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एस.के. सीकरी, जस्टिस अरुण मिश्रा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व पर्यावरण विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमन सिंह तथा अन्य प्रशासकीय अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किये।



29 जुलाई 2017 को एन.जी.टी. के सम्मेलन में प्रिंसीपल बैच के अध्यक्ष जस्टिस श्री स्वतंत्र कुमार का उद्बोधन कार्यक्रम के अंत में स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञों) ने सरकार के लिए 13 बिन्दुओं का “भोपाल डिक्लेरेशन” पेश किया, जिसमें प्रमुख रूप से :-

- नर्मदा सेवा यात्रा की तरह जनभागीदारी के जरिए प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण किया जायेगा।
- खनिज का परिवहन मुख्य रूप से राज्यमार्गों से होता है। परिवहन के दौरान होने वाले धूल प्रदूषण के लिए सड़क के दोनों ओर व माइनिंग एरिया में वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
- राज्य फ्लाईएश के उपयोग के लिए शतप्रतिशत प्रयास करेंगे।



29 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस श्री अरूण मिश्रा का उद्बोधन

- पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग/संस्थानों को प्रोत्साहन हेतु “पर्यावरण पुरस्कार” प्रदान करना

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों एवं संस्थानों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने के उद्देश्य से (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक एफ-5-117/बत्तीस/90 दिनांक 29 अप्रैल 1999 एवं संशोधित दिनांक 29 दिसम्बर 2010 के द्वारा) राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार योजना लागू की गयी है। राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार योजना में श्रेणियां एवं पुरस्कार राशि निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

क्रमांक	इकाईयों का विवरण / श्रेणी	पुरस्कार की राशि रुपये
1.	अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग	1,50,000.00
2.	सामान्य उद्योग	1,00,000.00
3.	उत्खननरत खदानें	1,00,000.00
4.	लघु उद्योग	1,00,000.00
5.	नगर निगम	1,50,000.00
6.	नगर पालिका एवं नगर परिषद	1,00,000.00

राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार के चयन हेतु शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसके द्वारा पुरस्कार हेतु अनुशंसायें की जाती है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश में कार्यरत उपरोक्त श्रेणियों के ऐसे उद्योगों/संस्थानों को, जिसके द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उस वर्ष सबसे प्रभावशील कदम उठाया गया हो, को राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार देने हेतु प्रतिवर्ष समाचार पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदनों का चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त निरीक्षण कर पुरस्कार हेतु चयनित उद्योगों/संस्थानों की अनुशंसाये स्वीकृति हेतु शासन को भेजी जाती है। समिति की अनुशंसा के आधार पर शासन द्वारा पुरस्कार घोषित किये जाते हैं।

दिनांक 29-30 जुलाई को आयोजित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्षेत्रीय सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के उद्योगों, खदानों व नगरीय निकायों को मा. मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 की अवधि हेतु प्रदान किए गये। पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्थानों का विवरण निम्नानुसार हैः-

पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2014-2015

1. मेसर्स टेवा, एपीआई लि.
औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, जिला - भिण्ड
2. मेसर्स मान ट्रक इंडिया प्रा.लि.
औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला-धार
3. मेसर्स उदयपुर ब्रेवरीज लि.
औद्योगिक क्षेत्र रिछाई,
जिला- जबलपुर
4. मेसर्स तनसी अण्डर- ग्राउंड माईन,
डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, रामपुर,
जिला- छिन्दवाड़ा
5. मेसर्स सिम्बायोटेक फार्मालैब लि.
राऊ, इंदौर
6. नगर परिषद् शाहगंज,
जिला- सीहोर

पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2015-2016

1. मेसर्स सन फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्रीज लि.
औद्योगिक क्षेत्र देवास
2. मेसर्स मोनडेटेज इण्डिया फू.इस प्रा.लि.
मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला भिण्ड
3. मेसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड,
औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार
4. मेसर्स झरना अण्डर ग्राउंड माईन,
डब्ल्यू.सी.एल. कन्हान एरिया,
जिला-छिन्दवाड़ा
5. मेसर्स अमादण्ड ओपन कास्ट प्रोजेक्ट,
एस.ई.सी.एल., जमुना कोतमा एरिया,
मलगा, जिला-अनुपपुर
6. नगर पालिका,
सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद


नगर निगम इंदौर को वर्ष 2016-2017 में किये गये स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालत् विशेष पुरस्कार दिया गया।

■ सतत वायु एवं जल गुणवत्ता मापन के तहत मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन साधारण को प्रदेश की वायु गुणवत्ता की नियमित रूप से जानकारी देने वालत् 05 स्थलों (उज्जैन, पीथमपुर, देवास, मण्डीदीप एवं सिंगरौली) में सतत वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र की स्थापना की गई है। इन वायु गुणवत्ता मापन केन्द्रों द्वारा 24 घंटे वायु गुणवत्ता की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड व बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध कराई जाती है। बड़े तालाब की जल गुणवत्ता मापन हेतु रीयल टाइम कन्टीन्यूअस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड सहित रेत घाट, व्हीआईपी रोड एवं बोट ब्लब, लेकब्यु रोड पर स्थापित किये गये हैं, जिसके माध्यम से बड़े तालाब की जल गुणवत्ता आम जनमानस की जानकारी हेतु नियमित रूप से डिस्प्ले की जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश की जीवनदायी नर्मदा नदी में ऑकारेश्वर के तट पर भी रीयल टाइम बैंकडै की स्थापना कर जल गुणवत्ता परिणाम जन-साधारण हेतु प्रदर्शित किये जा रहे हैं।



उज्जैन शहर में स्थापित रीयल टाइम कन्टीन्यूअस ऑनलाइन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन



अपर लेक भोपाल में स्थापित जल गुणवत्ता कन्टीन्यूअस ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन

■ प्रदेश में स्थापित लघु श्रेणी के उद्योगों में प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित लघु श्रेणी के उद्योगों, जो कलस्टर में स्थापित हैं, द्वारा सक्षम वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना नहीं की गई थी तथा शहरी विकास के साथ-साथ इन औद्योगिक क्षेत्रों के पास रहवासी क्षेत्र विकसित हो जाने के कारण इन ऐसे उद्योगों में ऐसे सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जो मितव्ययी (Cost Effective) हों, की आवश्यकता थी। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतत प्रयासों के फलस्वरूप सांवर औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर तथा औद्योगिक क्षेत्र, बुरहानुपर में मितव्ययी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करवाई गई।

अ. सांचेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इन्दौर में स्थापित लघु स्टील रि-रोलिंग मिल्स हेतु बैग फिल्टर आधारित तकनीक का विकास:

इन्दौर शहर के अंतर्गत प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र, सांचेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के नाम से स्थापित है। पूर्व में यह क्षेत्र इन्दौर शहर से दूर माना जाता था। परन्तु समय के साथ इन्दौर का विकास हुआ एवं अब यह क्षेत्र इन्दौर शहर के अंतर्गत आ गया है। सांचेर औद्योगिक क्षेत्र 6 सेक्टर्स कमशः ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ में विभाजित है। इन सभी सेक्टर्स के अंतर्गत लगभग 34 लघु स्टील रि-रोलिंग मिल्स संचालित हैं। इन इकाईयों में स्टील बार्स (सरिया) का निर्माण किया जाता है। निर्माण के दौरान भट्टी में कोयले का उपयोग होता है तथा यह सभी उद्योग वायु प्रदूषणकारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्षमता के आधार पर इकाईयों की लागत 25 लाख से 1.5 करोड़ के बीच है। इस प्रकार के छोटे उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर स्क्रबर आधारित व्यवस्था स्थापित की गई है। परन्तु समय-समय पर यह पाया गया कि उक्त व्यवस्था से वायु प्रदूषण का नियंत्रण उपयुक्त रूप से नहीं होता है। इन्दौर शहर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्रिटीकली पॉल्युटेड एरिया घोषित किया गया था अतः इन लघु उद्योगों में तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत तकनीक की वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था किया जाना आवश्यक पाया गया।

उद्योगों में उपयुक्त वायु प्रदूषण व्यवस्था की दृष्टि से बैग फिल्टर आधारित वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था पर विचार किया गया तथा क्षेत्र के एक उद्यमी मेसर्स मध्यांचल स्टील प्रा.लि. में यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले फ्ल्यू गैस का तापमान लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः बैग फिल्टर डैमेज ना हो इस हेतु फ्ल्यू गैस के तापमान को कम करने हेतु रिक्युपरेटर की स्थापना उपयुक्त पाई गई। इस यंत्र की स्थापना से फर्नेस में उपयोग होने वाली वायु को गर्म करने की व्यवस्था अर्थात् हीट रिक्वरी की व्यवस्था की गई। हीट रिक्वरी से भट्टी में कोयले की मात्रा में लगभग 20-25 किलोग्राम प्रतिटन स्टील की कमी आई। इस प्रकार 30 टन उत्पादन करने वाली इकाई में लगभग 600 किलोग्राम कम कोयले की खपत होना पाया गया। इससे प्रत्यक्ष रूप से एक ओर वायु प्रदूषण में कमी आई तो दूसरी ओर कोयले में प्रतिदिन रूपये 3600-4000 की बचत हुई। बैग फिल्टर आधारित उपरोक्त व्यवस्था से उद्योग से होने वाले वायु प्रदूषण का स्तर 50 मिलीग्राम प्रतिघन मीटर से कम पाया गया व इस प्रकार लघु सरिया मिलों में उपरोक्त वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्यरत है। उपरोक्त व्यवस्था क्षेत्र के सभी सरिया मिलों में लगाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है तथा इसके अतिरिक्त 02 अन्य सरिया मिलों में यह व्यवस्था स्थापित करली गई है।



बैग फिल्टर स्थापना के पूर्व



बैग फिल्टर स्थापना के पश्चात

लघु स्टील रि-रोलिंग मिल में बैग फिल्टर आधारित तकनीक का विकास


ब. उद्योग नगर, बुरहानपुर में स्थापित टैक्सटाईल इकाईयों में वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था की स्थापना :

उद्योग नगर, बुरहानपुर में लघु श्रेणी की लगभग 35 टैक्सटाईल इकाईयां स्थापित हैं। इन उद्योगों में 0.75 से 4 टन प्रतिघंटा क्षमता के लकड़ी/ब्रिकेट आधारित बॉयलर स्थापित हैं। उद्योगों द्वारा बड़े बॉयलर्स में साईक्लोन तथा छोटे बॉयलर में केवल चिमनी के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। परन्तु यह पाया गया कि उक्त प्रकार की वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था उपयुक्त नहीं है तथा समय के साथ औद्योगिक क्षेत्र शहर के अंतर्गत आने से बॉयलर से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम 50 मिलीग्राम प्रतिघंटा तक किया जाना आवश्यक है। अतः इस हेतु बैग फिल्टर आधारित प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराया जाना उपयुक्त पाया गया।

उक्त संबंध में क्षेत्र की उद्योग एसोशिएशन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। शुरू में पदाधिकारियों द्वारा बैग फिल्टर आधारित व्यवस्था महंगी होने के कारण इसका विरोध किया गया। परन्तु उन्हें वायु प्रदूषण नियंत्रण के महत्व को समझाया गया तत्पश्चात् सभी उद्यमी इस हेतु राजी हुए। क्षेत्र के 32 उद्योगों जिनमें बॉयलर स्थापित हैं, के द्वारा उक्त व्यवस्था स्थापित करने हेतु बैंक गारंटी बोर्ड में जमा कराई गई व बैग डस्ट कलेक्टर की स्थापना प्रारंभ की गई। वर्तमान स्थिति तक 25 उद्योगों में उक्त व्यवस्था स्थापित हो चुकी है तथा शेष 07 उद्योगों में स्थापना का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्तानुसार व्यवस्था के फलस्वरूप बुरहानपुर नगर के अंतर्गत उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण में सफलतापूर्वक कार्यवाही की गई है।

बुरहानपुर स्थित लघु टैक्सटाईल इकाईयों में वायु प्रदूषण रोधी व्यवस्था

बैग फिल्टर स्थापना के पूर्व



बैग फिल्टर स्थापना के पश्चात्

मे. श्रीराम प्रोसेसर, बुरहानपुर

मे. कमल प्रसेसर, बुरहानपुर

मे. बुरहानपुर टेक्सकॉट

■ पॉलिथीन की थैलियों / पनियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 26/01/2017 को यह घोषणा की गई थी कि मई, 2017 से प्रदेश में पॉलिथीन की थैलियाँ/पनियाँ पूर्णतः बन्द की जावेगी। मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 24 मई, 2017 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के लगाने के पश्चात् मध्यप्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पोलिथिन के विकल्पों हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा इस संबंध में अभियान चलाकर वृहद जन-जागृति कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।

■ नर्मदा नदी प्रदूषण नियन्त्रण हेतु किये गये प्रयास

नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु बोर्ड द्वारा सार्थक कार्यवाही की गई है। नर्मदा नदी के कैचमेंट में स्थापित 11 मुख्य जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सक्षम दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है तथा इनमें से 10 उद्योगों में “शून्य निःस्त्राव” की स्थिति है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत होशंगाबाद में स्थापित मेसर्स सिक्यूरिटी पेपर मिल, जिसका पूर्व में 16 हजार कि.ली. प्रतिदिन उपचारित जल नर्मदा नदी में निस्सारित होता था, उसकी मात्रा लगभग 03 हजार कि.ली. प्रतिदिन हो गई है तथा साथ ही पानी की रिसायक्लिंग भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी की सहायक नदी गौर व परियट के किनारे स्थापित 139 डेयरी उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की गई है।

अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नर्मदा नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग 31 बिन्दुओं पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2017 में कराई गयी जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के परिणामों के अनुसार नदी जल गुणवत्ता भारतीय मानक- 2296 के अनुसार ‘ए’ व ‘बी’ श्रेणी में है। बोर्ड द्वारा ओकारेश्वर में नर्मदा नदी की जलगुणवत्ता मापन हेतु ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है। नदी की जल गुणवत्ता के पैरामीटर्स को बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया तथा ए.क्यू.आई. को बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है। इन शहरों में 642 छवni प्रदूषण नमूने तथा 1465 वाहनों का प्रदूषण मापन कर समझाई दी गई।



ओकारेश्वर में स्थापित ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम

मूर्ति विसर्जन के
लिये केन्द्रीय
प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड के
दिशा-निर्देशों के
पालन हेतु नगरीय
निकायों के
माध्यम से नर्मदा
नदी के तटों पर
पृथक मूर्ति
विसर्जन कुण्डों
की स्थापना कराई
गई है।



मूर्ति विसर्जन कुण्ड मण्डला

जन-जागरूकता कार्यक्रम

बोर्ड के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अमरकंटक, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, बरमानघाट, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, धरमपुरी, अलीराजपुर आदि प्रमुख स्थानों एवं स्नान घाटों पर जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली, नुककड़ नाटक, वॉलपैटिंग, पेम्पलेट वितरण, घाटों की सफाई, सेमीनार, वर्कशॉप, परिचर्चा का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। दिसम्बर 2017 तक बोर्ड द्वारा प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से कुल 91 कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 34 संगोष्ठियां व रैलियां शामिल हैं। स्कूलों/कॉलेजों के छात्रों, स्थानीय नागरिकों, सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं, शासकीय-अशासकीय संस्थाओं, व्यवसायी वर्ग आदि सभी को नर्मदा नदी प्रदूषण शमन अभियान से जोड़ा गया।



अमरकंटक में उद्योगों के सहयोग से वृक्षारोपण



जन-जागरूकता के अन्तर्गत डिण्डौरी में आयोजित नुककड़ नाटक

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय निकाय के अधिकारियों, होटल व्यवसायी तथा समीप के औद्योगिक संस्थानों के साथ बैठकें आयोजित कर जन-जागरूकता व्यापक स्तर पर की गयी तथा सभी स्तरों पर नर्मदा नदी में प्रदूषण रोकने की अपील की गयी।

■ आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है, इसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र को मध्यप्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया है। केन्द्र तथा राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये "सेन्ट्रल क्राइसिस ग्रुप अलर्ट सिस्टम एवं नेशनल रजिस्टर ऑफ पोर्टेशियली टॉक्सिक केमिकल" से सतत् सम्पर्क रखने का दायित्व भी इस केन्द्र का है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय, अर्ध-शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी रसायनों एवं रसायनिक दुर्घटनाओं से बचाव संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।

■ पर्यावरण निगरानी केन्द्र (ESC)

प्रदूषणकारी उद्योगों की सतत् रूप से निगरानी हेतु जनवरी 2016 से पर्यावरण निगरानी केन्द्र की स्थापना की गई है। सतत् निगरानी से प्रदूषण की स्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उसे नियंत्रण करने एवं उद्योगों को प्रदत्त निर्धारित प्रदूषण के मापदण्डों को पालन करने में सहायता प्राप्त होती है। स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के नियमित संचालन एवं आवश्यकतानुसार उन्नयन हेतु निगरानी केन्द्र की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सतत् निगरानी हेतु प्रथम चरण में 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों को चिह्नित कर सतत् निगरानी कार्य जारी है। लाल एवं नारंगी श्रेणी में चिह्नित उद्योगों का भी सतत् निगरानी के दायरे में निगरानी कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत उद्योगों द्वारा सतत् स्ट्रोत उत्सर्जन मापन उपकरण (CEMS), सतत् दूषित जल गुणवत्ता मापन उपकरण (CEQMS), सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन उपकरण (CAAQMS), आई.पी. आधारित पी.टी. जेड, कैमरा आदि व्यवस्थायें स्थापित हैं जिनके माध्यम से अविरल परिणाम पर्यावरण निगरानी केन्द्र को प्राप्त होते



पर्यावरण निगरानी केन्द्र, भोपाल



4 जुलाई 2017 को आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए सदस्य सचिव

है। फलस्वरूप उद्योगों की प्रदूषण की स्थिति की निगरानी लगातार संभव हो पाती है। उद्योगों के अतिरिक्त कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट, नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, औद्योगिक निःस्त्राव आदि उपचारित करने वाली फेसिलिटीज से होने वाले प्रदूषण की भी सतत निगरानी इस केन्द्र द्वारा की जाती है।

प्रदेश में वर्तमान में 89 अति प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सतत निगरानी उपकरण स्थापित किए गये हैं इनके अतिरिक्त 92 अन्य प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा भी सतत निगरानी उपकरण स्थापित किये गये हैं। कुल 221 स्त्रोत मॉनिटरिंग उपकरण, 81 सतत परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग उपकरण, 59 सतत दूषित निःस्त्राव मापक उपकरण एवं 101 आई.पी. कैमरे उद्योगों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में पाँच स्थानों, पीथमपुर, मंडीदीप, सिंगरौली, देवास एवं उज्जैन में परिवेशीय वायु की सतत निगरानी हेतु उपकरण स्थापित किये गये हैं। जिसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता अविरल प्राप्त होती है। उक्त गुणवत्ता को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है जिससे प्रदेश के साथ ही URL के माध्यम से इसे व्यापक रूप से देखा जा सके। सतत परिवेशीय वायु मापन उपकरणों (CAAQMS) द्वारा सभी निर्धारित प्रदूषकों का मापन कार्य किया जाता है।

बोर्ड द्वारा आगामी योजनान्तर्गत अन्य शहरों में भी CAAQMS स्थापित किया जाना है, इसमें प्रदेश के बड़े शहरों में सतत ध्वनि प्रदूषक मापक एवं चिह्नित महत्वपूर्ण जल स्त्रोतों में भी सतत निगरानी उपकरण लगाने की योजना है। पर्यावरण निगरानी केन्द्र की समस्त गतिविधियां एवं जन सामान्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ वेबसाइट www.erc.mp.gov.in पर देखी जा सकती है।

औद्योगिक प्रदूषण की गुणवत्ता की सतत निगरानी के लिये आधुनिक तकनीकी के बारे में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला दिनांक 4 से 6 जुलाई 2017 को आयोजित की गई जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राज्य स्थित समस्त संबंधित अधिकारियों को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु राष्ट्रीय संस्थानों से फेकल्टीज के अतिरिक्त विख्यात विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यशाला की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट किया गया था जिससे अधिक से अधिक जन इस आधुनिक तकनीकी का लाभ ले सकें। लाइव वेबकास्टींग का यह कार्य बोर्ड के ही संसाधनों से प्रथम बार किया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप आम-जन औद्योगिक प्रदूषण की सतत जानकारी प्राप्त कर सकें, इस हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा एक यूजर फ्रेन्डली “एप” सर्वेलेस मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) के नाम से तैयार किया है। जिसके माध्यम से समस्त संबंधित एवं आम-जन प्रदूषण मॉनिटरिंग परिणाम सतत रूप से क्षेत्रीय कार्यालय के आधार पर, उद्योग की श्रेणी के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से देख सकते हैं। उक्त “एप” कार्यालय द्वारा स्वयं पहल कर डिजाईन/निर्मित किया गया है।

निगरानी केन्द्र द्वारा कार्यालय के मॉनिटरिंग एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों के सुदृढ़ संधारण, ऑटोमेशन एवं मैनेजमेंट हेतु डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, उक्त मैनेजमेंट सिस्टम वेब इनेबल्ड है। अतः इसे नेटवर्क पर किसी भी स्थान से एकसे स किया जा सकता है। इस सिस्टम को भी कार्यालय में ही तैयार किया गया है।

बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रदेश में पाँच शहरों क्रमशः पीथमपुर, उज्जैन, देवास, मंडीदीप एवं सिंगरौली में (CAAQMS) स्थापित किये गये हैं जिनके द्वारा परिवेशीय वायु की गुणवत्ता सतत मापी जाती है। उक्त क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता की जानकारी सतत रूप में मुख्यालय पर देखी जा सके इस हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा कार्यालय स्तर पर “ए.क्यू.आई. सर्वर यू.आई. एप्लीकेशन” तैयार की है एवं इसे मुख्यालय तथा दूरस्त स्टेशनों पर स्थापित किया है। जो कि दूरस्त परिवेशीय स्टेशनों की सतत जानकारी प्रदान करता है।

प्रदेश में उद्योगों द्वारा स्थापित किये गये समस्त CAAQMS के प्राप्त सतत डाटा के आधार पर संबंधित क्षेत्र का ए.क्यू.आई. इन्डेक्स भी जन-सामान्य हेतु वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाता है। उद्योगों द्वारा स्थापित CAAQMS का ए.क्यू.आई. इन्डेक्स प्रदर्शित करने संबंधित कार्य देश में प्रथम बार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही प्रारंभ किया गया है।

उद्योगों से सतत रूप से प्राप्त उत्सर्जन परिणामों की गुणवत्ता एवं वैधता की जाँच करने हेतु “रिमोट केलीब्रेशन सिस्टम” तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उद्योग में स्थापित उत्सर्जन मॉनिटरिंग उपकरण को कार्यालय के सर्वर कक्ष से ही दूरस्त तकनीकी द्वारा जाँच लिया जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उद्योग के मॉनिटरिंग उपकरण, सर्वर सिस्टम, डाटा हेन्डलिंग सिस्टम आदि सभी उपकरण दूरस्त तकनीक के माध्यम से कार्यालय के नियंत्रण में लिये जाते हैं जिससे प्रत्येक स्तर पर डाटा की वैधता को जाँचा एवं परखा जा सके। उक्त रिमोट केलीब्रेशन तकनीकी संबंधित कार्य देश में प्रथम बार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है। इस कार्य को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी अनेक बार सराहा गया है एवं इसे पूरे देश में लागू करने हेतु समस्त राज्यों के बोर्ड को निर्देशित भी किया गया है।

● ● ●

■ बोर्ड की प्रयोगशालाओं की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत मान्यताएँ :-

केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल की स्थापना राजपत्र अधिसूचना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 16 (3) के तहत् दिनांक 08/02/2008 को की गई है। स्थापना के उपरांत प्रयोगशाला ने निम्नलिखित मान्यताओं को प्राप्त किया है :-

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत् 2007 से पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त।
- आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अंतर्गत जल और अपशिष्ट जल के लिये 2011 से (एन.ए.बी.एल.) (क्यू.सी.आई., भारत सरकार) से मान्यता प्राप्त।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकलन श्रृंखला 18001:2007 के तहत् 2013 से प्रमाणित।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जबलपुर, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर स्थित प्रयोगशालाओं को भी आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।



केन्द्रीय प्रयोगशाला भोपाल को प्राप्त प्रमाण-पत्र

2. राज्य बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा- 4 (2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जाता है। संचालक मंडल में 17 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 17 सदस्यीय संचालक मंडल में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, स्थानीय निकायों के पांच प्रतिनिधि, कृषि, मछली पालन एवं उद्योग की श्रेणी से तीन अशासकीय सदस्य तथा राज्य शासन के स्वामित्व/नियंत्रण द्वारा संचालित किये जाने वाले निगमों या कम्पनियों के दो प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में तथा संगठनात्मक संरचना एवं कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।

● ● ●

3. बोर्ड की बैठकें

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा- 8 के अनुसार विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की 03 बैठकें आयोजित की गईः

क्र.	बैठक संख्या	तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	144	27/07/2017	भोपाल	08
2	145	21/09/2017	भोपाल	08
3	146	22/12/2017	भोपाल	08

बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

- प्रयोगशाला में विश्लेषित किये जाने वाले पैरामीटर की दरें निर्धारित की गई।
- “इज ऑफ इंडूस्ट्री” बिजेस के अन्तर्गत लागू ऑटो रिन्यूअल सुविधा के क्रियान्वयन हेतु सम्मति नवीनीकरण एवं प्राधिकार संबंधी शक्तियों का पुनर्निर्धारण किया गया।
- खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन के दौरान दुर्घटनाओं के समय त्वरित नियंत्रण हेतु आकस्मिक प्राधिकार शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई।
- आंचलिक कार्यालयों की स्थापना एवं आंचलिक अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (म.प्र.) नियम, 1975 के नियम 7(4), 9(6) व 12 के अन्तर्गत अध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियां सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित की गई।
- वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में प्रावधानित राशि से उपकरणों के क्रय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों से संबंधित सिविल कार्यों हेतु कार्यपालन यंत्री (संधारण) को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई।
- न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं हेतु फीस निर्धारण की गई।
- बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान स्वीकृत किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमान को अनुमोदित किया गया।
- बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि सीमा रु. 20 लाख की गई।
- आंचलिक कार्यालयों की स्थापना :-
मध्यप्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए व उद्योगों पर सतत निगरानी किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में बोर्ड द्वारा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में नये आंचलिक कार्यालयों की स्थापना की गई है।

● ● ●

4. जल एवं वायु गुणवत्ता के लिए प्रबोधन तंत्र

4.1 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

नदियां प्रदेश में सतही जल का प्रमुख स्रोत हैं तथा प्रदेश सिंचाई, पीने के पानी एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए नदियों के जल पर निर्भर है। भूमि के अतिरिक्त जल का निकास, घरेलू एवं औद्योगिक दूषित जल का प्राकृतिक प्रवाह नदियों की ओर होने के कारण जल प्रदूषण की संभावना होती है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य उददेश्य प्रदेश की जल गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना एवं उसकी गुणवत्ता को बनाये रखना है।

अतः बोर्ड द्वारा प्रदेश की प्रमुख नदियों, झीलों/तालाबों एवं भू-जल की मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। यह कार्य मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय, भोपाल में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। जल स्रोतों की निगरानी हेतु बोर्ड द्वारा वार्षिक मॉनिटरिंग पैकेज तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मॉनिटरिंग व विश्लेषण कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

मध्यप्रदेश में प्रमुख रूप से निम्नलिखित पाँच रिवर बेसिन आते हैं :-

क्र.	बेसिन का नाम	प्रमुख नदियों का नाम
1.	गंगा बेसिन -	टोन्स, सोन, चम्बल, सिन्ध, जामुनी, बेतवा, धसान तथा केन
2.	नर्मदा बेसिन -	नर्मदा, बंजर, तवा, कोलार, हिरन, सुखता तथा गोई
3.	गोदावरी बेसिन -	कन्हान, पेंच तथा बेनगंगा नदी
4.	ताप्ती बेसिन -	ताप्ती नदी
5.	माही बेसिन -	माही एवं अनास नदी



प्रदेश की प्रमुख नदियों के प्रवाह क्षेत्र (रिवर बेसिन) तथा नदियों को नक्शा क्रमांक - । में दर्शाया गया है।

4.2 प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी :-

प्राकृतिक जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच हेतु प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलों, बाँधों, तालाबों, नालों एवं भू-जल स्रोतों से जल नमूने एकत्रित किये जाते हैं।

वर्ष 2017-18 में जल गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत 85 प्रमुख नदियों/सहायक नदियों, 101 झीलों/बाँधों/तालाबों, 72 नालों एवं 444 भू-जल स्रोतों की जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग की है।

बोर्ड द्वारा जल गुणवत्ता सूचकांक (Water Quality Index) को बोर्ड की वेबसाइट (www.mppcb.nic.in) पर जन सामान्य हेतु प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे प्रतिमाह अपडेट किया जाता है।



केन्द्र प्रवर्तित योजनायेः - (वर्ष 2017-18)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों के जल गुणवत्ता आंकलन हेतु योजनायें प्रायोजित की जाती हैं। यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, जल गुणवत्ता संबंधित ऑकड़ों की विश्वसनीयता विस्तार तथा प्रदूषणकारी पदार्थों का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:-

4.3 विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)

विश्व पर्यावरण प्रबोधन पद्धति परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्पलिंग स्थलों से वर्ष 2017-18 में कुल 50 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑन लाइन प्रेषित किये गये।

4.4 भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से मीनार्स परियोजना प्रारम्भ की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय प्रबोधन पद्धति परियोजना के अंतर्गत राज्य के 183 सेम्पलिंग बिन्दुओं से जल नमूने एकत्रित कर वर्ष 2017-2018 के दौरान कुल 1649 नमूने विश्लेषित किये गये। परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑन लाइन प्रेषित किये गये, साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सॉफ्टवेयर/ केलकूलेटर का उपयोग करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है, कि जल गुणवत्ता संतोषजनक है अथवा असंतोषजनक। सामान्य जनता को जल गुणवत्ता से अवगत कराने हेतु प्रतिमाह जल गुणवत्ता सूचकांक (WQI) की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है तथा डाटा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं।


केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयवार प्राकृतिक जल स्रोतों के 188 सेम्पलिंग बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

MAIN RIVER BASINS OF MADHYA PRADESH

नवरा क्रमांक ।




100 50 0 100 200 Km



Water Quality of River Narmada (2017-18)

नर्मदा क्रमांक 2



गंगा बेसिन :-

गंगा बेसिन के अंतर्गत प्रदेश में बेतवा, चंबल, सोन, टोन्स, इत्यादि नदियाँ आती हैं।

बेतवा नदी :- गंगा बेसिन के अंतर्गत यमुना सब बेसिन में आने वाली बेतवा नदी का उद्गम कुमरा (झिरी) गांव, जिला, रायसेन में है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकल कर लगभग 590 कि.मी. उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ बीना, धसान, केन एवं यामिनी तथा प्रमुख डेम - राजगढ़ हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बेतवा नदी की जल गुणवत्ता जांचने हेतु प्रदेश के रायसेन, विदिशा, बीना तथा टीकमगढ़ जिलों में निम्नलिखित कुल 14 स्थलों से नदी के जल नमूने एकत्रित कर क्षिणलेघण का कार्य किया जाता है:-

क्र.	जल नमूना एकत्रित करने का स्थल
1	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम मण्डीदीप, रायसेन
2	बेतवा नदी, डाठन स्ट्रीम मण्डीदीप, नयापुरा, रायसेन
3	बेतवा नदी, सतलापुर ग्राम सेन्टर के पास, रायसेन
4	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास भोजपुर, रायसेन
5	बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, रायसेन
6	बेतवा नदी रोड ब्रिज के पास पगनेश्वर, रायसेन
7	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम रेलवे रोड ब्रिज, विदिशा
8	बेतवा नदी, वाटर जल प्रदाय केन्द्र, विदिशा
9	बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट के पास, विदिशा
10	बेतवा नदी, बेस नदी मिलने के बाद, विदिशा
11	बेतवा नदी, मेहता घाट, आगासोद, बीना
12	बेतवा नदी, अपस्ट्रीम, जल प्रदाय केन्द्र, जे.पी थर्मल पावर, बीना
13	बेतवा नदी, राजगढ़ जल प्रदाय केन्द्र के पास
14	बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास ओरछा, टीकमगढ़

2017-18 बेतवा नदी की जल गुणवत्ता अधिकांश बिन्दुओं पर "ए" एवं "बी" श्रेणी की पाई गई है। एक स्थान मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र के डाठन स्ट्रीम नयापुरा के पास "सी" श्रेणी की पाई गई है जो नक्शा क्रमांक-3 पर दर्शित है।



चम्बल नदी :-

चम्बल नदी:- यह गंगा वेसिन के अंतर्गत एक मुख्य नदी है जो ग्राम जनापावा, मठ शहर के उत्तर उद्गम हो कर प्रदेश के उज्जैन, रत्लाम, मंदसौर शहरों से बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। पुनः मध्यप्रदेश के मुरैना एवं भिण्ड जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 346 कि.मी. है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ क्षिप्रा, कालीसिंध, छोटी कालीसिंध शिवना, सोप, पार्वती, अनास नदी, चामला एवं गंभीर हैं। इस नदी पर निर्धित प्रमुख डेम गांधीसागर है।


मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता जांचने हेतु प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रत्लाम, मंदसौर, मुरैना एवं भिण्ड जिलों से निष्पत्तिकृत कुल 17 स्थलों से नदी के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है।

क्र.	जल नमूना एकत्रित करने का स्थल
1	चम्बल नदी, जनापावा उद्गम स्थल, इन्दौर,
2	चम्बल नदी, घाटाबिल्लोद, धार.
3	चम्बल नदी, तमालपुर, इन्दौर.
4	चम्बल नदी, धूरोरी ब्रिज के पास, उज्जैन
5	चम्बल नदी, पिपलोदा डेम, उज्जैन
6	चम्बल नदी, अपस्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, इन्सपेक्शन बंगला बिरलाग्राम, नागदा
7	चम्बल नदी, 100 मीटर डाउनस्ट्रीम इण्डस्ट्री नाला, जुना नागदा
8	चम्बल नदी, 1 किलो मीटर डाउनस्ट्रीम, जुना नागदा .
9	चम्बल नदी, 3 कि.मी. डाउन स्ट्रीम के पहले गोदडगढ़, उज्जैन
10	चम्बल नदी, 9 कि.मी. डाउन स्ट्रीम इटालावाद नागदा
11	चम्बल नदी, 16 कि.मी. डाउन स्ट्रीम राजगढ़
12	चम्बल नदी, ताल रोड ब्रिज के पास, ताल
13	चम्बल नदी, गांधी सागर डेम, नीमच
14	चम्बल नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम गांधी सागर, नीमच
15	चम्बल नदी, रोड ब्रिज, जननीगंव परसराम घाट, शिवपुर
16	चम्बल नदी, रोड ब्रिज के पास, फूफ जिला-भिण्ड
17	चम्बल नदी, अन्तर्राज्यीय सीमा, धौलपुर के पास, रोड ब्रिज के पास, मुरैना


वर्ष 2017-18 में चम्बल नदी की जल गुणवत्ता अधिकांश बिन्दुओं पर "ए" "बी" "सी" एवं "ई" श्रेणी की पाई गई है। नागदा औद्योगिक क्षेत्र के पास जल की गुणवत्ता "ई" श्रेणी की पाई गई है चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता को नक्शा क्रमांक-4 में दर्शाया गया है।



Water Quality of River Betwa (2017-18)



Water Quality of River Chambal (2017-18)



सोन नदी :- गंगा बेसिन के अंतर्गत सोन सब बेसिन का कुल क्षेत्रफल 28,880 किलोवर्ग मीटर है। सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिम की ओर से प्रवाहित होती है। यह नदी शहडोल, चचाई, सिंगरौली तथा सीधी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए मध्यप्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित कारीपुर गांव से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर बिहार राज्य के पटना शहर के पश्चिम में गंगा नदी में सीधे मिलती है। सोन नदी की कुल लम्बाई 784 कि.मी. है। मध्य प्रदेश में यह 470 कि.मी. बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जोहिला, गोपद, कन्हान, बनास एवं रेहन्द इत्यादि हैं तथा प्रमुख डेम बाणसागर हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली एवं सीधी शहरों से वर्ष 2017-18 में सोन नदी के निम्नलिखित कुल 13 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है।

क्र.	जल नमूना एकत्रित करने का स्थल
1	सोन नदी, उदगम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर
2	सोन नदी, डाठन स्ट्रीम, ओ.पी.एम अमलाई, अनूपपुर
3	सोन नदी, भट्टराघाट 200 मी. डाठन स्ट्रीम, नाले में मिलने के बाद, अमलाई, ओ.पी.एम. अनूपपुर
4	सोन नदी, जरवाही रोड ब्रिज के पास, शहडोल
5	सोन नदी, दिया पीपर रोड ब्रिज के पास, शहडोल
6	सोन नदी, देवलोड बाणसागर डेम के पास
7	सोन नदी, अप स्ट्रीम एम.पी.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन, चचाई
8	सोन नदी, चितवाल गांव के पास, रोड ब्रिज, सिंगरौली
9	सोन नदी, धंवर सेन रोड ब्रिज, सीधी
10	सोन नदी, गौधाट, जिला-सीधी
11	सोन नदी, बनसागर केनाल, टोल प्लाजा, सीधी
12	सोन नदी, चुरहट जिला- सीधी
13	सोन नदी, कारीपुर गांव, अंतराज्यीय सीमा

सोन नदी की जल गुणवत्ता “ए” श्रेणी की पाई गई है तथा अन्तर्राज्यीय सीमा (उत्तर प्रदेश) पर भी जल गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है जो नक्शा क्रमांक-5 अनुसार है।

● ● ●

टोन्स / तमस नदी:- गंगा बेसिन के अंतर्गत टोन्स नदी मध्यप्रदेश के सतना जिले के कैमोर में स्थित मैहर के समीप तमशाकुण्ड जलाशय से निकलकर उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी इलाहाबाद के समीप उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। यह नदी 246 किलोमीटर मध्यप्रदेश में तथा 67 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी पर मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मध्य 07 किलोमीटर की अन्तर्राज्यीय सीमा स्थित है।

वर्ष 2017-18 में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतना तथा रीवा जिलों से टोन्स नदी के निम्नलिखित कुल 07 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया है :-


क्र.	जल नमूना एकत्रित करने का स्थल
1	टोन्स नदी, पी.एच.ई.बी. पर्पिंग स्टेशन के पास, माधवगढ़,
2	टोन्स नदी, बरधिया घाट के पास, माधवगढ़, सतना
3	टोन्स नदी, पटेरा रोड, रीवा
4	टोन्स नदी, चिला थन्डर, जिला रीवा
5	टोन्स नदी, बसावन मामा मंदिर, पुरबा फाल के पास, सिमरिया, रीवा
6	टोन्स नदी, चाकघाट पी.एच.ई.बी. पर्पिंग स्टेशन रीवा
7	टोन्स नदी, एम.पी.-यू.पी. सीमा पर अन्तर्राज्यीय सीमा

टोन्स नदी की जल गुणवत्ता कुछ विन्दुओं पर "ए" तथा कुछ विन्दुओं पर "बी" श्रेणी की पाई गई है। मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय सीमा पर नदी के जल की गुणवत्ता "ए" श्रेणी की है एवम् जल के गुणवत्ता श्रेणी को नक्शा क्रमांक-6 में दर्शाया गया है।




Water Quality of River Sone (2017-18)

नवरात्रा क्रमांक 5



Water Quality of River Tons/Tumus (2017-18)



माही बेसिन :- माही बेसिन की प्रमुख नदी माही है। माही नदी पश्चिमी भारत की एक मुख्य नदी है। इसका उद्गम मध्यप्रदेश के धार जिले के समीप मिन्डा ग्राम की विध्याचल पर्वत से हुआ है। यह धार, झाबुआ तथा रत्लाम जिले के राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इसकी कुल लम्बाई 472 कि.मी. है। मध्य प्रदेश में इसकी मुख्य सहायक नदी अनास है। माही नदी पर बजाज सागर एवं कढाणा बांध राजस्थान राज्य में बनाये गये हैं। यह खम्बात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में मिलती है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धार एवं रत्लाम शहरों से वर्ष 2017-18 में माही नदी के निम्नलिखित 03 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है:-

क्र.	जल नमूना एकत्रित करने का स्थल
1	माही नदी, बदनावर धार +
2	माही नदी, रानीसिंह गाँव, रत्लाम
3	माही नदी, फारेस्ट गेस्ट हाउस राजापुर रत्लाम

वर्ष 2017-18 में माही नदी की जल गुणवत्ता "ए" तथा "बी" श्रेणी की पाई गई है। माही बेसिन नक्शा क्र. 10 में दर्शाया गया है।

भारतीय मानक आई.एस. 2296-1992 के आधार पर सतही जल गुणवत्ता का विवरण

ए:- पेयजल स्त्रोत रोगाणुरहित गैर-पारम्परिक उपचार के बिना।

बी:- बाह्य स्नान योग्य (आउट डोर बाथिंग)।

सी:- पेयजल रोगाणुरहित पारम्परिक उपचार के साथ।

डी:- बन्य जीवन एवं मत्स्य पालन हेतु।

ई:- सिंचाई, औद्योगिक प्रशीतलन या नियंत्रित दूषित अपवहन।

● ● ●

4.7 मूर्ति विसर्जन

प्राकृतिक जल स्त्रोतों में धार्मिक कार्यक्रमों/उत्सव के समय प्लास्टर आफ पेरिस, प्लास्टिक, सीमेंट, रसायनयुक्त रंगों/आयल रंगों, बले इत्यादि से निर्मित प्रतिमाओं के विसर्जन करने से जलीय बनस्पतियाँ, जीव-जन्तुओं के अलावा मनुष्यों की सेहत पर भी हानिकारक प्रभाव पढ़ने की संभावना होती है। अतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष 2005 से निरन्तर मूर्ति विसर्जन के समय मौनिटरिंग व जन-जागरूकता इत्यादि संबंधी कार्य निम्नानुसार संपादित किये जा रहे हैं:-

1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों के साथ बैठक कर मूर्ति विसर्जन के दिशा-निर्देशन के पालनार्थ एक समन्वय समिति गठित कर विसर्जन स्थल चिन्हित करने, पूजन सामग्री (पुष्प वस्त्र सजावट की सामग्री) को अलग कर अपवहन की व्यवस्था तथा मूर्ति विसर्जन के 48 घंटे के अन्दर बची हुई सामग्री के अपवहन आदि के कार्य सुनिश्चित किये।



गणेश उत्सव के दौरान बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जन जागृती कार्यक्रम


2. प्रदेश स्तर पर कार्यशालायें आयोजित कर प्लास्टर आफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी की छोटे आकार की प्रतिमाएं बनाने का लोगों को प्रशिक्षण दिया गया।



गणेश उत्सव के दौरान कटनी में आयोजित कार्यशाला

Water Quality of River Mahi (2017-18)

नवरा क्रमांक 10



Legend

- Sampling Points
- Stream Classification (as per designated best-use):
 - A
 - B
 - C

Madhya Pradesh Pollution Control Board
Panchayat Bhawan, El. Anna Colony Bhopal

Source: MPPCB

- जन-जागृति हेतु पम्पलेट एवं पोस्टर से प्रचार-प्रसार किया गया। प्रदेश व्यापी दैनिक समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित कर आम जनता से मिटटी/कागज/मुपारी आदि से बनी प्रतिमाओं का उपयोग करने तथा प्रतिमाओं में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल न करने की अपील की गई।
- स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्राकृतिक जल स्त्रोत की मुख्य धारा के स्थान पर अस्थाई “प्रतिमा विसर्जन कुण्डों” का निर्माण कर कुण्डों में मृति विसर्जन हेतु जनता को प्रेरित किया गया।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल निकाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त संख्या में सम्पर्लिंग स्थल निर्धारित कर, विसर्जन स्थल का तीन चरणों में अर्थात विसर्जन पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए भौतिक-रासायनिक पैरामीटरों जैसे पी.एच., घुलित आवसीजन, जैव-आवसीजन मांग, विशिष्ट चालकता, गंदलापन, कुल घुलित ठोस और धातु जैसे कोमियम, लैड, जिंक एवं कॉपर का विश्लेषण किया गया।



मृति विसर्जन के दैर्घ्य जल नमूना एकत्रिकरण

वर्ष 2017 में गणेश उत्सव पश्चात् प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रदेश के विभिन्न विसर्जन स्थलों/ अस्थाई कुण्ड के जल नमूना एकत्रित कर जल गुणवत्ता का आंकलन किया गया। वर्ष 2017 में विश्लेषित धातुओं के स्तर में विसर्जन के दौरान तथा विसर्जन के एक सप्ताह पश्चात् वृद्धि होना पाया गया।

औद्योगिक दूषित जल की निगरानी :-

उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया एवं घरेलू कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, जिसके कलस्वरूप उत्पन्न जल दूषित होता है। दूषित जल के उपचार/शोधन हेतु बोर्ड द्वारा उद्योगों को निर्देश दिये जाते हैं। दूषित जल उपचार संयंत्रों में उपचारित जल की गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उद्योगों से निस्सारित दूषित जल के नमूने बोर्ड अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से एकत्रित करकर उनकी गुणवत्ता का नियमित आंकलन करता है। वर्ष 2017-18 में विभिन्न उद्योगों से कुल 2868 दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।




4.8 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

केन्द्र प्रबलित योजनाये :- (वर्ष 2017-18)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शहरीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु प्रायोजित योजना का विवरण निम्नानुसार है:-

1. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 15 प्रमुख शहरों में 39 स्थानों पर क्षेत्रवार आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सप्ताह में दो बार 24 घण्टे परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शहरवार परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या निम्नानुसार है:-




मध्यप्रदेश के मुख्य शहरों की वायु गुणवत्ता का विवरण:-

वर्ष 2017-18 में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग के विश्लेषित प्रचालक- सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीक्युलेट मेटर (पी.एम.-10), पी.एम.-2.5, ओजोन, अमोनिया, लैंड, निकल, आसेनिक एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के वार्षिक औसत परिणामों के आधार पर शहरवार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना की गई।

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक, अधिसूचना, 18 नवम्बर, 2009 में उल्लेखित पैरामीटर में से नाइट्रोजन के आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, अमोनिया, ओजोन, रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीक्युलेट मेटर (पी.एम.-10), पी.एम.

2.5, लेड, निकिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक एवं बैंजीन पैरामीटर का परीक्षण किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित उपरोक्त पैरामीटर की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत विश्लेषित किये गये पैरामीटर्स की संख्या



प्रतिदिन परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग परिणाम क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त कर सामान्य जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) निम्न अनुसार कलर कोड के साथ बोर्ड की बेबसाईंट पर प्रदर्शित की जाती है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

सूचकांक	श्रेणी
401.500	अति प्रदूषित
301.400	बहुत खराब
201.300	खराब
101.200	मध्यम
51.100	संतोषजनक
0.50	अच्छा

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों पर प्रदेश के नान अटेनमेन्ट शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास एवं सागर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर परिवेशीय वायु गुणवत्ता सामान्य करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

मध्यप्रदेश में स्थित समस्त 39 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु सूचकांक की स्थिति नक्शा क्रमांक-11 में दर्शायी है।

Ambient Air Quality of NAMP Stations of Madhya Pradesh

नवरा क्रमांक - 11

79°E

80°E



Legend

AQI	
Index	Category
401-500	SEVER
301-400	VERY POOR
201-300	POOR
101-200	MEDIUM
51-100	SATISFACTORY
0-50	GOOD



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Parivaran Parivesh Bhawan Colony, Bhopal

Source-MPPCB

79°E

68

80°E

राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शहरवार परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग स्टेशन

क्र.	शहर	स्थल क्र.	कोड	स्थल
1	उज्जैन	1	526	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो, उज्जैन
		2	527	जिला औद्योगिक कार्यालय, उज्जैन
		3	528	महाकाल मंदिर, उज्जैन
		4	529	नगर निगम कार्यालय, उज्जैन
2	नागदा	5	0082	केमिकल डिविजन, लेबर क्लब, नागदा
		6	0084	ग्रेसिम गेस्ट हाउस, नागदा
		7	0083	ग्रेसिम कल्याण कोन्फ्रेन्च, नागदा
3	देवास	8	523	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो, देवास
		9	524	गजरा गेयर लि, देवास
		10	525	ई.आई.डी. लि, देवास
4	भोपाल	11	122	मृगनयनी, हमीदिया रोड, भोपाल
		12	123	गोविंदपुरा, औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल
		13	247	पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेग कालोनी, भोपाल
		14	796	कोलार थाना, कोलार रोड, भोपाल
		15	877	सिविल हास्पिटल, बैरागढ़
		16	876	युनिवर्सिटी, होशंगाबाद रोड, भोपाल
5	मंडीरीप	17	797	ए.के.बी.एन.मंडीरीप, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीरीप
6	इन्दौर	18	127	सांवर रोड, इन्दौर
		19	128	कोटारी मार्केट, एम. जी. रोड, इन्दौर
		20	131	विजय नगर, इन्दौर
7	पीथमपुर	21	803	विकास भवन, सेक्टर-2 पीथमपुर
		22	804	आर.सी.सी. सेक्टर-3 पीथमपुर
8	ग्वालियर	23	479	महाराज बाड़ा, ग्वालियर
		24	478	दीनदयाल नगर, ग्वालियर
9	जबलपुर	25	248	विजय नगर, जबलपुर
		26	798	ठदयपुर ब्रेवरीज, रीछाई औद्योगिक क्षेत्र
10	छिंदवाड़ा	27	799	मुल्लाजी पेट्रोल पम्प के सामने, परासिया रोड, छिंदवाड़ा
		28	800	जबलपुर दुध संघ, छिंदवाड़ा
11	सागर	29	532	दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड, सागर
		30	533	न्यू कालोनी तिली रोड, सागर
12	सतना	31	342	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो, मैहर बाईपास सतना
		32	343	बैच्यों पल्लोर मिल, सतना
13	सिंगरीली	33	514	एन.टी.पी.सी. विद्यनगर
		34	515	जयंत टाउन शीप, सिंगरीली
		35	516	बैडन औद्योगिक क्षेत्र
14	शहडोल	36	802	न्यू बिल्डिंग क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो, शहडोल
		37	801	ट्रेफिक पुलिस ऑफिस, शहडोल
15	कटनी	38	875	केलडरी बर्क इण्डिया रिफेक्ट्रीज, कटनी
		39	874	एच.आई.जी. - 4 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कटनी

वायु प्रदूषण की सोकथाम हेतु प्रयास एवं सुझाव :-

परिवेशीय वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए निम्नानुसार सुझाव दिए जाते हैं:-

1. डीजल चलित वाहनों की संख्या में कमी लायी जाये।
2. पुराने वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाये।
3. घरेलू कचरे को जलाये जाने पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
4. भवन निर्माण स्थानों पर स्कॉन (टीन/प्लास्टिक के पट्टे) की व्यवस्था हो।
5. किसानों को नरबाई नहीं जलाने की समझाइश दी जाये।
6. सड़कों के किनारे लॉन (धास) एवं पेड़ पौधों या पेवरमेट ब्लॉक लगाने जैसी व्यवस्था से भी धूल कणों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

उद्योगों के चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु निगरानी :-

उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में हानिकारक गैसों एवं धूल के कण का उत्सर्जन सम्भावित होता है, जो चिमनियों से वा सीधे ही वायु मण्डल में निस्सारित होते हैं। इस प्रकार उद्योग के आस-पास के वातावरण में वायु प्रदूषण की सम्भावना रहती है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर आदि वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की जाती है। उद्योगों से उत्पादन गतिविधियों के फलस्वरूप सम्भावित वायु प्रदूषण पर सतत निगरानी रखने हेतु म.प्र.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु की निगरानी हेतु वायु मानिटरिंग करता है। वर्ष 2017-18 में चिमनियों के कुल 494 नमूने एवं औद्योगिक/नगरीय ठोस अपशिष्ट अपवहन स्थलों/शहरीय क्षेत्रवार परिवेशीय वायु के कुल 3271 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

4.9 प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु की स्थिति


भोपाल शहर :- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहप्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल शहर के 06 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु मापन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। औसत रेस्पायरेबल सर्सेंडेड पार्टीक्युलेट मेटर (पी.एम.-10) के परिणाम अनुसार सर्वाधिक परिणाम वाणिज्यिक क्षेत्र, हमीदिया रोड तथा न्यूनतम परिणाम पर्यावरण परिसर, रहवासी क्षेत्र के परिलक्षित हुए हैं। सामान्यतः सभी प्रचालक निधारित मानकों के अनुरूप हैं। वर्ष 2017-18 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार भोपाल शहर के 01 परिवेशीय वायु मापन केन्द्र का सूचकांक अच्छा एवं 05 केन्द्र संतोषजनक श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र. 12 में दर्शाया गया है।

इंदौर शहर :-

इंदौर शहर में कुल 03 स्थानों (कोठारी मार्केट, वाणिज्यिक क्षेत्र, सावेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र तथा विजयनगर, रहवासी क्षेत्र) पर नियमित रूप से पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों को संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 के विश्लेषित प्रचालकों के परिणाम सामान्यतः निधारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं।

AIR QUALITY OF BHOPAL CITY

नमस्कार क्रमांक - 13



वर्ष 2017-18 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार इंदौर शहर के समस्त 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक की श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र. 13 में दर्शाया गया है।

उज्जैन शहर :-

उज्जैन शहर के 04 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर परिवेशीय वायु मापन कार्य किया जाता है। वर्ष 2016-17 में विश्लेषित प्रचालकों के परिणाम सामान्यतः निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार उज्जैन शहर के सभी 04 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 14 में दर्शाया गया है।

नागदा शहर :-

वर्ष 2017-18 में उज्जैन जिले के नागदा औद्योगिक क्षेत्र में 03 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। परिवेशीय वायु मापन के समस्त विश्लेषित प्रचालकों का औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार नागदा औद्योगिक क्षेत्र के समस्त 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 15 में दर्शाया गया है।

देवास शहर :-

देवास शहर के 03 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का आंकलन किया किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 में विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार देवास शहर के सभी 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 16 में दर्शाया गया है।

ग्वालियर शहर :-

ग्वालियर शहर के 02 स्थानों महाराजबाड़ा तथा दीनदयाल नगर में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र स्थापित है। 05 अतिरिक्त स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की गई। शीघ्र ही इन स्थानों पर वायु मापन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार ग्वालियर शहर के दोनों परिवेशीय वायु मापन केन्द्र, दीनदयाल नगर तथा महाराजबाड़ा का सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 17 में दर्शाया गया है।


सतना शहर :-

वर्ष 2017-18 में सतना शहर में संचालित 02 स्थानों (क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवासीय क्षेत्र तथा वैश्वन फ्लोर मिल, औद्योगिक क्षेत्र) पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र पर वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार सतना शहर के दोनों परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 18 में दर्शाया गया है।

AIR QUALITY OF INDORE CITY

वायु गुणवत्ता - 13



AIR QUALITY OF UJJAIN CITY

प्रदूषण विनाशक - 14



AQI	
Index	Category
400-500	Poor
300-400	Very Poor
200-300	Moderate
150-200	Satisfactory
0-150	Good

Legend


- Road
- Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Parmanand Parkar, RT, Anna Colony, Bhopal



AIR QUALITY OF NAGDA CITY

नवरात्रि क्रमांक - 15



AIR QUALITY OF DEWAS CITY

नवरात्र अवस्था - 16



AQI	
Index	Category
401-500	Very Poor
301-400	Poor
201-300	Fair
101-200	Good
51-100	Very Good
0-50	Excellent




Madhya Pradesh Pollution Control Board
Prayagraj Puraskar, C-3, Area C along Shyamali

Source: MPPCB

AIR QUALITY OF GWALIOR CITY

मध्य प्रदेश — 19



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Kalyanpur Phata, 51, Kisan Colony, Bhopal



Source: MPPCB

AIR QUALITY OF SATNA CITY

मध्य प्रदेश - 18



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Parmanu Parikar, Ujjain City, MP

जबलपुर शहर :-

जबलपुर शहर के 02 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र स्थापित है। वर्ष 2017-18 में विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार जबलपुर शहर का एक राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्र, विजयनगर, आवासीय क्षेत्र का सूचकांक संतोषजनक है। जबकि दूसरा केन्द्र, उदयपुरा रिछाई, औद्योगिक क्षेत्र का वायु सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 19 में दर्शाया गया है।

छिंदवाड़ा शहर :-

छिंदवाड़ा शहर के 02 स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में विश्लेषित प्रचालकों का वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाया गया है।

जबलपुर दुग्ध संघ तथा मुल्लाजी पेट्रोल पम्प स्थित वायु मॉनिटरिंग स्टेशनों के परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार वर्ष 2017-18 में दोनों स्थानों पर सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 20 में दर्शाया गया है।

कटनी शहर :-

वर्ष 2017-18 में कटनी शहर के 02 स्थानों ए.सी.ई.रिफेक्ट्रीज तथा हार्डिंग बोर्ड कालोनी, कटनी में संचालित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार कटनी शहर के दोनों राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 21 में दर्शाया गया है।

सागर शहर :-

सागर शहर में 02 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र संचालित है। वर्ष 2017-18 में विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार सागर शहर के दोनों राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 22 में दर्शाया गया है।


सिंगरौली शहर :-

वर्ष 2017-18 में क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली में 03 स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार एक स्टेशन, एन.टी.पी.सी. विन्ध्यनगर का वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी तथा शेष दो स्टेशन जयन्त तथा बैद्धन का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र. 23 में दर्शाया गया है।

AIR QUALITY OF JABALPUR CITY

नवरता क्रमांक -19



AQI	
Index	Category
400-500	Severe
300-400	Very Poor
200-300	Poor
100-200	Moderate
50-100	Satisfactory
0-50	Good

Legend

Road


Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जालापुर शहर

AIR QUALITY OF CHHINDWADA CITY

नववा क्रमांक - 20




Legend

- Road: Yellow line with a diagonal tick mark.
- Drain: Blue line with a wavy tick mark.

Madhya Pradesh Pollution Control Board,
Parvati Parshuram, 51, Janta Colony Bhopal
Bhopal-MPPCB

AIR QUALITY OF KATNI CITY

वायु क्षमता - 21



AIR QUALITY OF SAGAR CITY


राजस्थान - 22

Source: MPPCB



AIR QUALITY OF SINGROULI CITY

मध्य प्रदेश — 23



AQI	
Index	Category
401-500	Very Poor
305-400	Poor in Good
203-300	Poor
101-200	Moderate
51-100	Satisfactory
0-50	Good

Legend

- Road
- Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Bhawan, El. Aman Colony Bhopal

शहडोल क्षेत्र :-

वर्ष 2017-18 में शहडोल क्षेत्र में स्थित 02 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का अंकलन किया गया। वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार न्यू.एम.पी.सी.बी. ऑफिस क्षेत्र के परिवेशीय मापन केन्द्र का सूचकांक संतोषजनक है। जबकि ट्रैफिक ऑफिस शहडोल का सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 24 में दर्शाया गया है।

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र :-

वर्ष 2017-18 में धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 02 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का अंकलन किया गया। वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के दोनों परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 25 में दर्शाया गया है।

मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र :-

वर्ष 2017-18 में रायसेन जिले के मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र के 01 स्थान पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र परिवेशीय मापन केन्द्र का सूचकांक मध्यम श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 26 में दर्शाया गया है।

जिलेवार परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम :-

वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 51 जिलों में 24 घन्टे परिवेशीय वायु मापन कार्य किया गया। प्रचालक-सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के आक्ससाइड, रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर (पी.एम.-10) का मापन कर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना की गई। प्रतिमाह जिलेवार परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

मध्यप्रदेश के 51 जिलों पर माह मार्च 2018 में की गई परिवेशीय वायु मापन का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) नक्शा क्रमांक-27 में दर्शाया गया है।

AIR QUALITY OF SHAHDOL

नवरा तमांक - 24




Madhya Pradesh Pollution Control Board,
Parmanand Patel Marg, Ela, Janta Colony, Bhopal



Source- MPPCB

AIR QUALITY OF PITHAMPUR (DHAR)

पश्चिम भारत - 25



AQI	
Index	Category
401-500	Severe
301-400	Very Poor
201-300	Poor
101-200	Moderate
51-100	Satisfactory
0-50	Good

Legend

- Road
- Drain




Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Bhawan, El. Janta Colony, Bhopal

Source-MPPCB

AIR QUALITY OF MANDIDEEP (RAISEN)

मध्यप्रदेश - 26



AQI	
Index	Category
400-500	SEVERELY POLLUTED
300-400	POLLUTED
200-300	MODERATE
100-200	MINIMALLY POLLUTED
0-100	GOOD

Legend

Road

Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Government of MP, 22, Anna Colony, Bhopal

75°00'E

80°00'E



W E S N

District wise Air Quality Index March 2018



MAHARASHTRA

Legend

Index	Category
401-500	SEVERE
301-400	VERY POOR
201-300	POOR
101-200	MODERATE
51-100	SATISFACTOR
0-50	GOOD



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Prayagrajan Path, El. Avera Colony, Bhopal

Source-MPPCB

75°00'E

89

80°00'E

4.10 वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण




जबलपुर पर आयोजित निःशुल्क वाहन उत्सर्जन मापन शिविर

वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यों का विवरण :-


मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को प्रति वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की जांच हेतु लाल्हा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2017-18 में वाहनों के उत्सर्जन की जांच हेतु निर्धारित लाल्हा 15600 वाहनों का था। जिसके बिंदुङ्ग भोपाल, उज्जैन, इन्दौर, देवास, नवालियर, सागर, गुना, जबलपुर, मिंगरौली, छिंदवाड़ा, सतना, शहडोल, रीवा एवं कटनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल - 20534 पेट्रोल वाहनों तथा डीजल वाहनों के उत्सर्जन की जांच की गई।





वाहनों में से कुल 805 वाहन अर्थात् 3.91 प्रतिशत निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग को प्रेषित की गई।

शहरवार मानक से अधिक उत्सर्जन करते वाहनों का प्रतिशत



सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं की गई सिफारिशो :-

उपरोक्त नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है। बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को समय-समय पर सुझाव दिये जाते हैं एवं जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के प्रयास किये जाते हैं। सम्बन्धित विभाग को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैः-

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल वाहनों की नियमित जाँच।
2. ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों तथा वाहनों द्वारा उपयोग किये जा रहे, ईंधन की नियमित जाँच।
3. अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना।
4. शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जाँच किया जाना।
5. वाहनों की जाँच के समय, वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, समझाई दी जानी चाहिए।
6. पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेच्यूरल गैस) का उपयोग किया जाना।

पेट्रोल एवं डीजल चलित-कुल वाहन उत्सर्जन मापन (वर्ष 2017-18)

क्र	शहर	वार्षिक लक्ष्य (वाहनों संख्या)	उत्सर्जन जाँच किये गये वाहनों की संख्या		
			उत्सर्जन जाँच किये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या का प्रतिशत
1	चोपाल	1200	1200	36	3
2	ठज्जैन	1200	1200	2	0.16
3	गुना	600	1080	11	0.01
4	इंदौर	1200	1505	94	6.24
5	धार	600	750	0	0
6	सामर	1200	1218	70	5.74
7	ग्वालियर	1200	1784	264	14.79
8	बबलपुर	1200	1811	32	1.70
9	छिन्दवाड़ा	600	900	0	0
10	रीवा	1200	2105	79	3.75
11	सतना	1200	1230	58	4.71
12	शहडोल	1200	1619	99	6.11
13	सिनारौली	1200	900	40	4.44
14	कटनी	600	907	9	0.99
15	देवास	600	1500	10	0.66
16	पीथमपुर	600	825	0	0
	कुल योग	15600	20534	804	3.91%

4.11 ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण

बोर्ड द्वारा ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण व मापन संबंधी कार्य वाणिज्यिक, आवासीय, शांत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। वर्ष 2017-18 में कुल 8928 काउन्ट्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध कुल 17082 काउन्ट्स का ध्वनि स्तर मापन किया गया, जिसमें से 3553 काउन्ट्स अर्थात् 20.79 प्रतिशत काउन्ट्स निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। जिसका प्रमुख कारण वाहनों का अत्याधिक आवागमन एवं प्रेशर हार्न का उपयोग, वाणिज्य गतिविधियाँ, बैचाहिक तथा धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर/ अत्यधिक तेज ध्वनि वाले संगीत प्रणाली का उपयोग करना, जनरेटर सेट का उपयोग एवं दीपावली और अन्य त्यौहारों के दौरान अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग करना है। ध्वनि स्तर मापन रिपोर्ट की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय कार्यालयवार ध्वनि उत्सर्जन मापन (वर्ष 2017-18)


क्र.	शहर	वार्षिक लक्ष्य (काउन्ट्स)	ध्वनि स्तर मापन		
			कुल ध्वनि स्तर मापन की संख्या	मानक से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन की संख्या	मानक स्तर से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत
1	भोपाल	576	1325	0	0
2	उज्जैन	576	612	292	41.71
3	गुना	576	1728	58	3.35
4	इंदौर	576	325	179	55.07
5	चार	576	390	63	16.15
6	सागर	576	1272	127	9.98
7	म्बालियर	576	1728	680	39.35
8	जबलपुर	576	576	304	52.77
9	छिन्दवाहा	576	192	0	0
10	रीवा	576	1728	450	26.04
11	सतना	576	1745	398	22.80
12	शहडोल	576	1911	120	6.27
13	सिन्धरीली	576	288	12	12
14	कटनी	576	1216	11	0.90
15	देवास	576	1758	723	41.02
16	पीथमपुर	288	288	136	47.22
	कुल योग	8928	17082	3553	20.79%

क्षेत्रीय कार्यालयों में किये गये शोर प्रदूषण सर्वेक्षण का विवरण :-

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रतिमाह ध्वनि स्तर मापन कार्य निर्धारित पैकेज अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यक्रमों जैसे गणेश/दुर्गा उत्सव एवं दीपावली पर्व के समय ध्वनि प्रदूषण की संभावना होती है। अतः उपरोक्त धार्मिक कार्यक्रमों पर भी ध्वनि स्तर मापन कार्य किया जाता है। वर्ष 2017-18 में बोर्ड द्वारा किये गये ध्वनि स्तर मापन का विवरण इस प्रकार है:-



क्षेत्रीय कार्यालयवार मानक से अधिक ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत



माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के परिपालन हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम के तहत् समाचार पत्र, दूरदर्शन व आकाशवाणी पर परिचर्चा आयोजित की जाती है। वर्ष 2017-18 में कुल 05 परिचर्चाएं की गईं।

● ● ●

5. पर्यावरणीय समस्याएँ और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति

बोर्ड द्वारा गरज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया जाता है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों तथा व्वनि प्रदूषण की भी जांच की जाती है। प्रदेश में स्थापित सभी उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निष्कार्बों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के लिये निर्देश दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाना आवश्यक है।

5.1 राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण -

क्र.	विवरण	वृहद्, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग / संस्थान / खदाने
1	कुल जल प्रदूषणकारी उद्योग	15,244
2(अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं।	15,244
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वर्ष के दौरान, स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों में उन्नयन/सुधार/निर्माण कार्य किया गया है।	387



मेसर्स मॉन्टेज इंडिया फूट्स प्रा.लि., मालनपुर में शून्य निःस्वाव पर आधारित दूषित जल उपचार संयंत्र

5.2 राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण -

क्र.	विवरण	वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदाने
1	कुल वायु प्रदूषणकारी उद्योग	15,511
2(अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये हैं।	15,511
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वर्ष के दौरान, स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उन्नयन/सुधार/निर्माण कार्य किया गया है।	450

प्रदेश में स्थापित उद्योगों की कुल संख्या 16,637 है, जिसमें वृहद श्रेणी के 596, मध्यम श्रेणी के 1,403 तथा लघु श्रेणी के 14,638 उद्योग शामिल हैं। उद्योगों की श्रेणी वर्गीकरण के अनुसार संख्या लाल श्रेणी में - 10,415, नारंगी श्रेणी में - 3,254 एवं हरी श्रेणी में - 2,968 हैं।



मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड, नरसिंगपुर द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित ई.एस.पी.

5.3 उद्योगों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियाँ

बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन के पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषणकारी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सम्मति को दो चरणों में विभक्त किया गया है। नये उद्योगों एवं पूर्व से कार्यरत ऐसे उद्योग जिनके द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में बढ़ि अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है को उनकी स्थापना के पूर्व स्थापना सम्मति जारी की जाती है जिसमें उद्योगों को उत्पन्न होने वाले निस्त्राव एवं उत्सर्जन हेतु मानक का निर्धारण कर उक्त मानकों तक उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

वर्ष 2017-18 में कुल 2,965 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑनलाइन स्थापना सम्मतियाँ जारी की गई हैं। जिन उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनको सशर्त उत्पादन सम्मति प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 में कुल 5,696 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑनलाइन उत्पादन सम्मतियाँ तथा सम्मति नवीनीकरण जारी किये गये हैं।

वर्ष 2017-18 में मुख्यालय द्वारा वृहद/मध्यम एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लघु श्रेणी के उद्योगों को जारी स्थापना सम्मति, उत्पादन सम्मति तथा सम्मति नवीनीकरण का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थापना सम्मति की संख्या	उत्पादन सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण की संख्या	योग
1	भोपाल	510	776	1,286
2	इन्दौर	284	197	481
3	धार	174	363	537
4	उज्जैन	157	358	515
5	गुना	176	259	435
6	ग्वालियर	209	510	719
7	सांगर	280	704	984
8	सतना	56	162	218
9	रीवा	139	202	341
10	कटनी	101	218	319
11	शहडोल	238	424	662
12	सिंगराँली	52	149	201
13	जबलपुर	366	753	1,119
14	छिंदवाड़ा	83	252	335
15	देवास	87	142	229
16	पीथमपुर	40	223	263
17	एसईजेइ पीथमपुर	13	04	17
	महावोग	2,965	5,696	8,661

5.4 उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण

बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं के संचालन एवं की जा रही कार्यवाही के आंकलन हेतु उक्त सम्मतियों का नवीनीकरण किया जाता है। सामान्यतः हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 15 वर्ष तक, नारंगी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 10 वर्ष तक एवं लाल श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 05 वर्ष तक एक साथ किये जाने का भी प्रावधान है।

5.5 पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट

उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के आंकलन हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं, जिनकी प्रति बोर्ड में जमा कराई जाती है। विचाराधीन वर्ष में जिन उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन बोर्ड में प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी कुल संख्या 73 है विवरण परिशिष्ट "3" अनुसार है।

5.6 वृक्षारोपण

पर्यावरण उन्नयन की दृष्टि से उद्योग परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने संबंधी शर्त का समावेश किया जाता है। वर्ष 2017-18 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले 20 उद्योगों की मूची परिशिष्ट "4" अनुसार है।

5.7 पर्यावरण विवरण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उद्योग संचालन में गतवर्ष में उपयोग किये गये संसाधनों जैसे - कच्चे पदार्थों की खपत, जल खपत, प्रति यूनिट उत्पादन विवरण, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर उद्योग स्थर्यं अपने संचालन का पुनरावलोकन कर सकता है कि, गतवर्ष प्रति यूनिट उत्पादन के लिये विभिन्न संसाधनों की कितनी खपत हुई है। इस आधार पर उद्योग स्वप्रेरणा से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। उक्त हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण विवरण निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाते हैं।

5.8 जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन

जल प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत उन्नयन होता रहता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से वर्ष 2017-18 में जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थानों की संख्या 387 है, सूची परिशिष्ट "5" अनुसार है। उन्नयन के तहत प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों में दूषित जल उपचार हेतु आधुनिक उन्नत तकनीक पर आधारित दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित कर शून्य निस्त्राव कर उपचारित निस्त्राव का पुनः उपयोग का कार्य किया गया है। वर्ष 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्र सांबेर, इंदौर में। एमएलडी क्षमता का संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है। जिससे लगभग 94 लघु ब्रेजी के उद्योग लाभांवित होंगे।



सांबेर रोड इंदौर स्थित संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र

5.9 वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन

वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत उन्नयन होता रहता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से वर्ष 2017-18 में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित उपकरणों के उन्नयन संबंधी की गई कार्यवाही की संख्या 450 है। सूची परिशिष्ट "6" अनुसार है। उन्नयन के तहत प्रमुख वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ईएसपी, बैग फिल्टर आदि की स्थापना कर वायु प्रदूषण उत्सर्जन में कमी लाई गई।



एचईजी, मण्डीदीप द्वारा बैग फिल्टर की स्थापना



मेक्सन न्यूट्रिशन, मण्डीदीप द्वारा बैग फिल्टर की स्थापना

5.10. 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था :

राज्य में 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे कि सीमेंट, डिस्टलरी, फर्टिलाइजर, रिफाईनरी, एल्यूमिनियम स्मेल्टर, बल्क ड्रग, क्लोर एल्कली, घर्मल पॉवर प्लांट आदि उद्योग आते हैं। प्रदेश में वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 17 प्रकार के उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी परिशिष्ट '7' अनुसार है।

प्रदेश में स्थित आसवानी/बल्क ड्रग उद्योगों द्वारा उपचारित दृष्टित जल के निपाव को शून्य करने की दृष्टि से आधुनिकतम तकनीक के अंतर्गत रिवर्स ओस्मोसिस प्लांट, एमईई, ड्रायर आदि की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार उक्त श्रेणी में वर्गीकृत अन्य उद्योगों द्वारा भी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं।

5.11 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 अप्रैल 2016 से लागू है। प्रदेश में अभी तक 1837 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये हैं। इन नियमों के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्टों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के कुछ एक उद्योगों ने स्वयं के परिसर में भस्मक तथा केप्टिव एस.एल.एफ. लगाकर अपशिष्टों के अपवहन की व्यवस्था की है।

मध्यप्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु कौमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज व डिस्पोजल फैसिलिटी (सीटीएमडीएफ) का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा मेसर्स एम.पी. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर के मार्फत किया गया है। यह फैसिलिटी पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट क्लार्क 104, सेक्टर-2, पीथमपुर, जिला-घार में स्थापित है। इस डिस्पोजल साईट पर निम्न सुविधाओं का विकास किया गया है:-

- अपशिष्टों के भण्डारण हेतु व्यवस्था।
- अपशिष्टों के सॉलिडीफिकेशन/स्टेबलाइजेशन हेतु व्यवस्था।
- सिक्योर्ह लेण्डफिल मेल।
- लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवं पोरेशन पौड़।
- अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यों हेतु प्रयोगशाला।
- अन्य सुविधा जैसे ब्रिज, वॉशिंग प्लेटफार्म इत्यादि।
- इमिनरेटर।

इस सुविधा ने नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा मार्च 2018 तक लगभग निम्नानुसार खतरनाक अपशिष्ट का अपवहन किया जा चुका है:-

क्र.	विवरण	मात्रा
1	डायरेक्ट लेण्डफिल	63,760.06 मैट्रिक टन
2	इंसीनरेबल	22,318.49 मैट्रिक टन
3	लेण्डफिल आफ्टर ट्रीटमेंट	1,35,299.11 मैट्रिक टन

उक्त फैसिलिटी का समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्राधिकार प्राप्त उद्योगों की क्षेत्रवार संख्या :

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कुल उद्योगों की संख्या
1	भोपाल	362
2	इन्दौर	542
3	धार	60
4	उज्जैन	91
5	गुना	48
6	ग्वालियर	324
7	सामर	49
8	सतना	67
9	रीवा	90
10	कटनी	30
11	शहडोल	102
12	सिंगरौली	38
13	जबलपुर	298
14	छिंदवाड़ा	34
15	देवास	153
16	पीथमपुर	251
17	एसईजेइ पीथमपुर	25
	महायोग	2564

5.12 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, दिनांक 20 जुलाई 1998 से प्रभावशील है एवं 28 मार्च 2016 को भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसमें संशोधन कर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नोटिफाईड किए गए एवं पुनः 16 मार्च 2018 को संशोधित नियम अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों में चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान संबंधी प्रावधान हैं। वर्ष 2017-2018 तक राज्य में कुल 6396 चिकित्सा संस्थान चिह्नित किये गये, जिसमें से 3073 शैव्यायुक्त चिकित्सा संस्थान तथा 3323 शैव्यारहित अन्य चिकित्सा संस्थान, ब्लड बैंक, पैथालॉजी इत्यादि चिह्नित किये गये हैं। नियमों के प्रावधान अनुसार सभी क्लीनिक, ब्लड बैंक, कैम्प एवं अन्य चिकित्सीय संस्थानों, जहाँ जैव चिकित्सा अपशिष्ट, उपचार के दौरान उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी नियम की परिधि में सम्मिलित किया गया है तथा उन्हें भी बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। तदानुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2017-18 में 3202 चिकित्सा संस्थानों को प्राधिकार के दायरे में लाया जा चुका है।

शैव्यायुक्त चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध कुल विस्तरों की संख्या 90,880 चिन्हित की गई है। केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित उपरोक्त नियमों के परिपालनार्थ तथा साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा बाबत् प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार प्रदेश में अस्पतालों द्वारा पृथक-पृथक उपचार व्यवस्था निर्मित किये जाने के स्थान पर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में 13 स्थानों पर संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थान	संख्या	संचालक संस्था का नाम
1.	खालियर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स जयरोग्य अस्पताल द्वारा स्थापित एवं मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा संचालित।
2.	जबलपुर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स एलाइंट इंजीनियर्स द्वारा स्थापित एवं संचालित।
3.	इन्दौर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स हॉस्पिट इंसीनरेटर प्रा.लि. द्वारा स्थापित एवं संचालित।
4.	भोपाल	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स भोपाल इंसीनरेटर लि. द्वारा स्थापित एवं संचालित।
5.	सागर	1 (डीपबेरियल)	मेसर्स बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा स्थापित एवं मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा संचालित।
6.	सतना	1. (इंसीनरेटर)	मेसर्स इण्डो वाटर मैनेजमेंट एवं पाल्यूशन कन्फ्रोल कार्पोरेशन, सतना, द्वारा स्थापित एवं संचालित।
7.	शक्तिनगर, उत्तर प्रदेश	1 (इंसीनरेटर) (राज्य के बाहर से)	मेसर्स लेबको इन्स्ट्रूमेन्ट लखनऊ द्वारा संचालित। (बीएमडब्ल्यू परिवहन हेतु)
8.	सिवनी	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स कृषा वेस्टेज सिवनी द्वारा स्थापित एवं संचालित।
9.	रतलाम	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रतलाम द्वारा स्थापित एवं संचालित।
10.	सीहोर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स इन्वायरमेण्टल प्रोटेक्शन कार्पोरेशन, सीहोर द्वारा स्थापित एवं संचालित।
11.	उमरिया	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स एम.पी. बायो मेडिकल वेस्ट हिस्पोजल सिस्टम ग्राम इटौर जिला उमरिया द्वारा स्थापित एवं संचालित।
12	चंदेरी, जिला असोक नगर	1 (इंसीनरेटर)	मेसर्स जे.के. मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा स्थापित एवं संचालित।
13	आगरा, उत्तर प्रदेश	1 (इंसीनरेटर) (राज्य के बाहर से)	मेसर्स जे.आर.आर. वेस्ट मैनेजमेंट, प्रा.लि. आगरा (बीएमडब्ल्यू परिवहन हेतु)

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों द्वारा लगभग पाँच हजार टन प्रति वर्ष जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है, जिसमें से लगभग चार हजार टन प्रति वर्ष जैव चिकित्सा अपशिष्टों का डिस्पोजल उपरोक्त संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के द्वारा किया जा रहा है। अन्य संस्थानों में सर्व पीपुल्स मेडीकल कॉलेज, भोपाल एवं मेसर्स संजय गांधी मेडीकल कॉलेज, रीवा द्वारा अपनी निजी सुविधाओं के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार बनिपटान किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार चिकित्सा संस्थानों में विस्तरों की संख्या-

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	विस्तरों की संख्या
1	भोपाल	20408
2	इन्दौर	15978
3	धार	3397
4	उज्जैन	8503
5	ग्वालियर	8036
6	गुना	3059
7	रीवा	3743
8	छिंदवाड़ा	1901
9	सतना	2526
10	सागर	6167
11	शहडोल	2720
12	जबलपुर	9479
13	सिंगरीली	959
14	कटनी	1377
15	देवास	2627
	कुल	90,880

प्रशिक्षण एवं सेमिनार

चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, रीवा, छिंदवाड़ा, सतना, सागर, शहडोल, जबलपुर, देवास, सिंगरीली, कटनी शहरों में सेमीनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत् शासन स्तर पर राज्य स्तरीय कमेटी एवं जिलों में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है।



27 मार्च 2018 को कटनी में आयोजित कार्यशाला

5.13 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 बनाये गये थे। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 को अधिकांत करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाये गये हैं, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर क्रमशः दिनांक 29 मार्च 2016 तथा 8 अप्रैल 2016 से प्रभावशील हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

ये नियम प्रत्येक शहरीय स्थानीय निकाय, जनगणना आयुक्त द्वारा घोषित जनगणना नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनाओं, बायुयान बेस, बन्दरगाह और हारबर, रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के संगठनों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित्रों पर लागू होंगे। अधिनियम के अंतर्गत घरेलू, कच्चा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल आदि का निपटान कराना संबंधित नगरीय निकाय का उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा हेतु भूमि के आवटन के लिये जिला कलेक्टर का उत्तरदायित्व निहित है।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उर्बरक विभाग, रसायन और उर्बरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर उपायुक्त, राज्य और संघ क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विभाग के प्रभारी सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, स्थानीय निकायों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायत तथा शहरी समूहों के पृथक्-पृथक् कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू हैं, जो किसी सिविल हांचे के निर्माण, पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप बिल्डिंग मटेरियल, मलबा और रोही वाले अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। इनके पालन की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय की होगी तथा राज्य सरकार का संबंधित विभाग भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन बाबत् नीति दस्तावेज तैयार करेगा।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, सेवा प्रदाता और उनके संविदाकरों, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, भारतीय मानक व्यूरों और भारतीय रोड कांग्रेस, केन्द्रीय सरकार के पृथक्-पृथक् कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से निरन्तर समन्वय रखा जा रहा है तथा इन अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रभावी कार्यवाही हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।



इन नियमों में अलग-अलग संस्थानों के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित हैं :

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता :- प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण के लिये उत्तरदायी होगा। 20 टन प्रतिदिन से अधिक अथवा 300 टन प्रतिमाह से अधिक निर्माण एवं विद्युत स अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्थान/सेवा प्रदाता अपशिष्टों के उचित प्रबंधन की एक कार्ययोजना तैयार कर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करेगा तथा अपशिष्टों के निपटान के लिये अधिसूचित सुसंगत संदाय का भुगतान करेगा। संदाय की दर का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों के कर्तव्य :- ऐसे संस्थान जो नगर में जल, सीधे जल प्रबंधन, बिजली, टेलीफोन, सड़कें, जल निकास आदि सेवायें प्रदान करते हैं और अपने कार्यकलापों के दौरान विद्युत स अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं तभ्यं छः माह के भीतर ऐसे अपशिष्टों के उचित प्रबंधन/चक्रीकरण/पुर्नउपयोग हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करता है। सेवा प्रदाता ऐसे सभी अपशिष्टों को हटायेंगे एवं कार्यस्थल आवश्यकतानुसार प्रत्येक दिन साफ करेंगे।

स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य :- संनिर्माण एवं विद्युत स अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना, अपशिष्टों के प्रबंधन के पश्चात् अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करना, परिसंकटमय, विवैले या नाभिकीय अपशिष्ट से संदूषित अपशिष्टों का सुरक्षित निस्सारण, प्रसंस्करण, पुर्नचक्रण हेतु प्रोत्साहन, अपशिष्ट प्रबंधन योजना का परीक्षण एवं मंजूरी, अपशिष्टों के उत्पादन संबंधी ढाटावेस तैयार करना, विशेषज्ञों से परामर्श कर प्रसंस्करण सुविधा और सर्वोत्तम संभावित रीति से पुर्नचक्रण हेतु योजना बनाना, अपशिष्टों के घण्डारण, प्रसंस्करण, पुर्नचक्रण, पुर्नउपयोग इत्यादि गतिविधियाँ प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञ संस्थानों और सिविल सोसाईटीज के माध्यम से शिक्षा एवं संचार की दीर्घकालिक प्रणाली तैयार कर प्रचार-प्रसार करना सम्मिलित है ताकि विद्युत स अपशिष्टों से बनी सामग्री के प्रयोग हेतु पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सके।

राज्य बोर्ड के कर्तव्य :- नियमों के पालन की स्थानीय निकायों के साथ मॉनिटरिंग, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा हेतु प्राधिकार देना एवं 31 जुलाई तक वार्षिक प्रतिवेदन/आंकड़े एकत्र कर राज्य सरकार द्वारा नियम नोडल अधिकरण तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करना है। उक्त अधिनियमों के तहत नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार लेना है तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वयन कराने की मॉनिटरिंग करना तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर भेजना है।

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की वर्तमान स्थिति :-

प्रदेश में 16 नगर पालिक निगम, 362 नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् एवं 05 छावनी परिषद् कुल 383 नगरीय निकाय संस्थान हैं। 378 नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् की कुल जनसंख्या 2,03,90,746 है, जिससे 721.2 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसमें से 653.7 मैट्रिक टन प्रतिदिन का संग्रहण हो रहा है, 1270.5 मैट्रिक टन प्रतिदिन अपशिष्ट का उपयोग कम्पोस्ट बनाने में, 15 मैट्रिक टन प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन में, 525 मैट्रिक टन प्रतिदिन आरडीएफ/एमआरएफ में तथा 462 मैट्रिक टन प्रतिदिन अपशिष्ट, वेस्ट से कर्जा उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर में 11.5 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनजी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित है तथा इंदौर स्थित एटूजेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा देवगुरुडिया में संचालित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र में प्रतिदिन 1100-1200 मैट्रिक टन अपशिष्ट प्राप्त होता है, जिसमें से 600 मैट्रिक टन कम्पोस्ट बनाने में तथा 500 मैट्रिक टन मटेरियल रिकवरी हेतु उपयोग होता है एवं 100 मैट्रिक टन को विकेन्द्रीकृत सुविधा के माध्यम से कम्पोस्ट एवं बायोगैस बनाने में उपयोग किया जाता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में विभाजित किया जाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित योजना बनाई गई है, जिसमें 6 स्थानों पर कचरे से कर्जा (वेस्ट टू एनजी) तथा 20 स्थानों पर कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किये जाने की योजना है। भोपाल, सागर, कटनी व रीवा में प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

बोर्ड द्वारा नियमों के पालन हेतु प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यवाही की गयी -

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनजागरूपता तथा प्रचार प्रसार हेतु बोर्ड के श्रेष्ठीय कार्यालयों के माध्यम से वर्कशॉप/इन्टरेक्शन मीट आयोजित की गयी है, जिसमें प्रदेश के सभी 52 जिले सम्मिलित हुये हैं। इसके अतिरिक्त समस्त श्रेष्ठीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिपेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई अधिकारी से चर्चा कर समझाईश दी गयी।

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन कराने हेतु सघम-समय पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आदेश/मार्गदर्शन संबंधित निकायों को भेजे गये तथा नियमों के पालन बाबत पत्र/निर्देश समझाईश जारी की गयी है।

5. 14 बैटरी प्रबंधन एवं हथालन

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6,8 एवं 25 के तहत बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001, 16 मई 2001 से प्रभावशील है। इनमें 04 मई 2010 को यथासंशोधन किया गया है। यह नियम बैटरी व्यवसाय के सभी मेन्यूफैक्चरर, प्रोसेसिंग, सेल्स, पर्चेस एवं बैटरी या उसके कंपोनेन्ट के उपयोग में समस्त मेन्यूफैक्चरर, इंपोर्टर, री-कंडीशनर, असेम्बलर, डीलर, रीसाईक्लर्स, आक्शनर, कन्ज्यूमर एवं बल्क कन्ज्यूमर पर लागू होता है। नियम-4 में मेन्यूफैक्चरर, इंपोर्टर, असेम्बलर एवं री-कंडीशनर के उत्तरदायित्व, नियम-7 में डीलर के उत्तरदायित्व, नियम-8 में रीसाईक्लर के उत्तरदायित्व, नियम-10 में कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर के उत्तरदायित्व एवं नियम-11 में आक्शनर के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। बैटरी डीलर्स को नियम 7 [VII(a)] के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीयन कराना एवं अर्धवार्षिकी रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। लेड एसिड बैटरी के इंपोर्टर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना एवं अर्द्धवार्षिकी रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करना अनिवार्य है। नियमानुसार समस्त मेन्यूफैक्चरर, इंपोर्टर, असेम्बलर, री-कंडीशनर, डीलर, रीसाईक्लर, कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर, आक्शनर को निर्धारित प्रपत्रों में रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है।

वर्ष 2017-18 की स्थिति में मध्यप्रदेश में मेन्यूफैक्चरर-09, असेम्बलर-09, इंपोर्टर-02, बल्क कन्ज्यूमर-63, आक्शनर-05, रीसाईक्लर-47 कार्यरत हैं।

5.15 ई-अपशिष्ट प्रबंधन

ई-अपशिष्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर्स, लेपटॉप टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन, एम.पी.3 प्लेयर्स, सी.एफ.एल. आदि शामिल हैं। यह सभी उत्पाद ऐसे कम्पोनेंट्स से मिलकर बने हैं जिनमें विषेश पदार्थ शामिल होते हैं। इन्हें उपयुक्त पद्धति से हैंडल नहीं किया गया तो यह पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिये खतरा बनते हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रकाशित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से प्रभावी है जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट का पर्यावरण प्रिय तकनीक से अपवहन किया जाना है। प्रत्येक ई-वेस्ट जनरेटर द्वारा ई-वेस्ट केवल केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसाईक्लर्स के माध्यम से ही निष्पादित करना चाहिये।

नियम के शेष्यूल-। मैं विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के पार्ट्स, स्पेयर्स एवं कन्जूमेबल के साथ ही सी.एफ.एल./बल्क्स को भी सम्मिलित किया गया है। नियमों में ई-वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न जिम्मेदारियाँ हैं, जिसमें मैन्यूफैक्चर, रिफरिशर्स, डिस्मेंटलर्स, रिसाईक्लर्स को प्राधिकार दिये जाने के साथ-साथ प्रदेश में ई-वेस्ट इन्वेन्टरीजेशन का कार्य भी शामिल है।

केन्द्र सरकार द्वारा इन नियमों में संशोधन करते हुये 22 मार्च 2018 से ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 भी लागू किये गए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार मूलनियम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किये गये हैं:-

1. प्रोह्यूमर, मैनुफैक्चरर, इंपोटर, ट्रांसपोर्टर, रिफरिशर्स, डिस्मेंटलर एवं रिसाईक्लर्स के दायित्व में संशोधन।
2. प्राधिकार प्राप्त करने के नियम में संशोधन।
3. इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं उनके कंपोनेट, कन्जूमेबल, पार्ट्स, स्पेयर के निर्माण में परिसंकटमय अवयव में कमी के संबंध में भी संशोधन।
4. फार्म-1, फार्म-III एवं शेष्यूल-III में संशोधन।

प्रदेश में अभी तक 01 मैन्यूफैक्चर्स, 01 हिस्मेंटलर्स, 01 रिसाईक्लर्स एवं रिसाईक्लर के 08 कलेक्शन सेंटर स्थापित होकर कार्यरत हैं। वर्ष 2017-18 में 373.433 मी.टन ई-वेस्ट का निष्पादन हुआ है। नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 26 मार्च 2018 को भोपाल में किया गया। ई-वेस्ट संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड की वेब-साईट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।



28 मार्च 2018 को सतना में ई-वेस्ट विषय पर आयोजित कार्यशाला

5.16 मध्य प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

- मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग द्वारा मध्य प्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु 22 मई, 2017 को संशोधन अध्यादेश 2017 लाया गया है। उपरोक्त अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/2015/18-5 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से मध्य प्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 की घारा 3 में प्रदल शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर दिनांक 24/05/2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है, आदेश की प्रति परिशिष्ट - 8 में प्रस्तुत है।
- प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर लागू किये गये प्रतिबंध को प्रभावशील ढंग से लागू करने हेतु जिला प्रशासन तथा नगरीय निकायों के साथ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश में दिनांक 25/05/2017 से 31/03/2018 तक कुल 222 जन-जागृति अभियान चलाये गये। अभियान के दौरान लगभग 27.23 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैरी बैग जप्त किये गये तथा प्लास्टिक कैरी बैग उत्पादक 16 उद्योग बन्द कराये गये, विवरण निम्नानुसार है।

जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत कैरी बैग पर प्रतिबंध को लागू करने हेतु की गई कार्यवाही

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	नगरीय निकाय के साथ जन जागृति हेतु संयुक्त कार्यवाही (संख्या)	प्लास्टिक कैरी बैग मैन्युफॉर्क्चरिंग यूनिट का निरीक्षण (संख्या)	बन्द की गई प्लास्टिक कैरी बैग मैन्युफॉर्क्चरिंग यूनिट (संख्या)	जल की गई प्लास्टिक कैरी बैग (मीट्रिक टन)
1	भोपाल	09	02	02	2.24
2	छिंदवाड़ा	5	निरंक	निरंक	1.2
3	देवास	08	निरंक	निरंक	0.310
4	धार	15	निरंक	निरंक	0.7
5	गुना	01	12	4	-
6	ग्वालियर	13	0	0	8.31
7	इन्दौर	56	05	05	9.875
8	जबलपुर	25	20	4	0.8
9	कटनी	07	0	0	0.128
10	पीथमपुर	3	निरंक	निरंक	निरंक
11	रीवा	6	निरंक	निरंक	0.2
12	सामर	-	-	-	0.1
13	सतना	53	02	0	2
14	एसईजेड़-पीथमपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15	शहडोल	6	निरंक	निरंक	0.08
16	सिंगराली	03	0	0	0.19
17	ठज्जैन	12	4	1	1.1
	कुल	222	45	16	27.233

3. प्रदेश की नगरीय निकायों से लगभग 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरा निकलता है जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत अर्थात् लगभग 225 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरे का उपयोग पुनर्चक्षण के माध्यम से हो जाता है, किन्तु लगभग 25 प्रतिशत अर्थात् लगभग 75 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरा पुनर्उत्पादन के लायक नहीं होने से बातावरण में गंदगी तथा पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न



पालिथिन कैरी बैग के प्रतिबंध के संबंध में प्रचार-प्रसार करता है। पुनर्चक्षण के लायक नहीं होने वाले प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क बनाने व सीमेंट उद्योगों में इधन के रूप में किये जाने की अधिनव योजना प्रदेश में प्रारंभ की गई है। सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान भोपाल, इन्दौर, देववास व सिंगरौली जिलों से रेगिस्ट्रेशन संस्थान योजना के अंतर्गत एकत्रित लगभग 373 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया गया है।

4. अनुउत्पयोगी प्लास्टिक कचरे का सीमेंट किलन में उपयोग करने के लिये परीक्षण वर्ष 2008-09 में कराया गया था जिसकी सफलता के बाद प्रदेश की सीमेंट इकाईयों को सीमेंट किलन में प्लास्टिक कचरा सह-दहन करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। प्रदेश के सीमेंट उद्योगों द्वारा वर्ष 2017-18 में 9098 मीट्रिक टन व वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक लगभग 47662 मीट्रिक टन विभिन्न माध्यमों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे का सीमेंट किलन में सह-दहन किया गया है जिसके फलस्वरूप लगभग 96000 मीट्रिक टन कोयले की बचत होने का अनुमान है, विवरण निम्नानुसार है:-

सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक चेस्ट सह-दहन (Co-processing) की स्थिति (मीट्रिक टन)

क्रमांक	उद्योग का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 तक
1	विरला कार्पोरेशन लिमि., सतना	4657.11	1259.00	966.41	983.00	7865.52
2	मैहर सीमेंट लिमि., मैहर, सतना	716.75	119.00	80.20	35.00	950.95
3	पिज्म सीमेंट, मनकहरी, सतना	229.00	16.50	4.20	0.00	249.70
4	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट, रीवा	297.18	227.00	149.26	24.00	697.44
5	ए.सी.सी. लिमि., कैमोर, कटनी	2854.87	6290.70	15487.46	6886.75	31519.78
6	विक्रम सीमेंट, खोर, नीमच	4229.00	249.90	90.02	1085.63	5654.55
7	डायमंड सीमेंट्स, नरसिंहगढ़, दमोह	294.14	50.92	197.90	44.68	587.64
8	बेला सीमेंट वर्कर्स, रीवा	41.39	17.25	5.70	0.00	64.34
9	सीधी सीमेंट वर्कर्स, सीधी	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10	के.जे.एस. सीमेंट, मैहर, सतना	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
11	भिलाई जे.पी. सीमेंट, सतना	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00
	कुल	13319.44	8250.27	16994.15	9098.06	47661.92

5. 17 फ्लाई ऐश प्रबंधन

भारत सरकार के पर्यावरण एवं बन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) सहप्रित उपधारा (2) के खण्ड (V) तथा धारा 5 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर 1999 को फ्लाई ऐश अधिसूचना के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्लाई ऐश अधिसूचना दिनांक 14/09/1999 को दिनांक 27/08/2003, 03/11/2009, 25/05/2015 तथा 27/01/2016 में संशोधित किया गया है। इस अधिसूचना का उद्देश्य बहुमूल्य मृदा को बचाना तथा यर्मल पावर इकाईयों से उत्पन्न राखड़ का इंटर्निमाण महित विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना है। इंटो के विनिर्माण के लिये ऊपरी मृदा के उत्खनन को रोकने तथा निर्माण सामग्री के विनिर्माण में फ्लाईऐश के उपयोग का संबंधन करने एवं बिना फ्लाई ऐश आधारित निर्माण सामग्रियों के उपयोग को कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से एक सी कि.मी. के विनिर्दिष्ट अर्धव्यास के भीतर, निर्बंधित करने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसे अधिसूचना दिनांक 27/01/2016 द्वारा 300 किलोमीटर किया गया है।

तापीय विद्युत संयंत्र जहाँ कोयला अथवा लिग्नाइट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उनमें जनित कोयला या लिग्नाइट की राख (ऐश), तापीय विद्युत संयंत्रों में स्थापित किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.), बैग फिल्टर, बर्यलर के पेंटी में एकत्र होती है जिसका निष्पादन एक राष्ट्र व्यापी समस्या है। इस फ्लाई ऐश का उपयोग सुनिश्चित कर ही इसके निपटान की समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

इंटो, टाईलों, इत्यादि के विनिर्माण के लिये तथा अन्य संकर्म के लिये जिसमें ऊपरी मृदा का उपयोग किया जाता है, उस ऊपरी मृदा के उत्खनन को निर्बंधित करने की आवश्यकता है तथा यहाँ मृदा के स्थान पर फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मृदा के संरक्षण के अंतिम लक्ष्य को अभिप्राप्त करने के लिए तथा फ्लाई ऐश के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम से कम करने तथा फ्लाई ऐश, जिसे एक त्याज्य कचरा समझा जाता है, उसे एक संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सूखी फ्लाई ऐश का एक अन्य उपयोग सीमेट के निर्माण में भी हो रहा है तथा बाजार में उपलब्ध अधिकांश सीमेटों में निर्धारित मात्रा में फ्लाई ऐश मिश्रित की जाती है।

27 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गयी अधिसूचना में निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से 100 कि.मी. की परिधि के भीतर सड़क संनिर्माण परियोजनाओं या ऐश आधारित उत्पादों के संनिर्माण के लिये या कृषि संबंधित क्रियाकलापों में मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग के लिए ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा वहन की जाएगी और 100 कि.मी. की परिधि से परे 300 कि.मी. की परिधि के भीतर परिवहन की लागत को उपभोक्ता और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच अंश भाजित की जाएगी।
- तापीय विद्युत संयंत्र के 300 कि.मी. की त्रिज्या में किसी भी निचली भूमि के भरण में केवल फ्लाई ऐश का ही उपयोग किया जाना चाहिये। संयंत्र के 50 कि.मी. के दायरे में खुली खदानों के ओवरबर्बर्डन में 25% फ्लाई ऐश मिश्रित की जाना चाहिए तथा भूमिगत खदानों की सुरंगों में स्टोइंग हेतु 25% फ्लाई ऐश का उपयोग होना चाहिए।
- कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के 300 कि.मी. की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जाधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों, सड़कों, बांधों और टटबंधों के संनिर्माण सहित सरकार के स्थाई निर्माण कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की सम्पूर्ण लागत को तापीय विद्युत संयंत्र वहन करेगा।
- सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपबंधों का अनुपालन करने की समयावधि 31 दिसम्बर, 2017 है। कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, उनके द्वारा उत्पादित लाइऐश के 100 प्रतिशत उपयोग की व्यवस्था तथा उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन 31 दिसम्बर, 2017 से पूर्व करेंगे।
- फ्लाई ऐश के पुर्नउपयोग के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे फ्लाई ऐश के पुर्नउपयोग के लिये विशेष प्रयास करें। फ्लाई ऐश का जिन विधाओं में उपयोग किया जाना है वे

जिन विभागों को इसमें हिस्सेदारी दी गई है, उसके अनुसार प्रदेश के ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न फलाई ऐश का थर्मल पावर प्लॉट द्वारा स्वयं के निर्माण कार्यों में, कोयला खदानों में, शासन के सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, सड़क निर्माण विभाग, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण संघ, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इत्यादि के द्वारा उपयोग किया जाना प्रारंभ किया गया है। अधिसूचना में उपयोग को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-

क्र.	भवन निर्माण सामग्री अथवा उत्पाद	फलाईऐश के बजन के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत
1	फलाईऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, टाईल्स इत्यादि फलाईऐश, चूना, जिप्पम, रेत, पत्थर का चूरा (कले के बर्गे) आदि द्वारा निर्मित	सामग्री के इनपुट का कुल 50%
2	पेविंग ब्लॉक, पेविंग टाइल्स, चैकर टाइल्स, मोजाइक टाइल्स, रूफिंग शीट, प्री-कास्ट एलीमेंट्स इत्यादि	Usage of PPC (IS-1489,Part-1) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (IS- 269/8112/12269) content
3	सीमेंट	कुल कच्चे माल का 15%
4	कले आधारित भवन सामग्री ईट, टाईल्स ब्लॉक इत्यादि	कुल कच्चे माल का 25%
5	कांक्रीट, मोर्टर, प्लास्टर इत्यादि	Usage of PPC (IS-1489,Part-1) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (IS- 269/8112/12269) content

उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-19-64/2011/1/4 भोपाल, दिनांक 05/07/2011 के माध्यम से निम्नलिखित सदस्यों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है:-

1	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
3	सचिव, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
4	सचिव, खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन	सदस्य
5	आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	सदस्य
6	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	संयोजक

मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर बैठक आयोजित कर फलाई ऐश के उपयोग संबंधी कार्यवाही की समीक्षा कर संभावित कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2017-18 में समिति की बैठक दिनांक 19/04/2017 तथा 14/11/2017 को की गई। नियमित समीक्षा के फलस्वरूप फलाई ऐश के उपयोग बढ़ाने हेतु थर्मल पावर इकाईयों द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। बोर्ड के मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फलाई ऐश उपयोगकर्ताओं तथा थर्मल पावर इकाई प्रबंधन के साथ बैठक कर समन्वय किया जाता है, इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुये हैं।

वर्ष 2017-18 में प्रमुख ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न फ्लाई ऐश की उपयोग की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	ताप विद्युत संबंधी	विद्युत उत्पादन क्षमता (मैगावाट)	फ्लाई ऐश उत्पादन (मैट्रिक टन)	फ्लाई ऐश उपयोग की मात्रा (मैट्रिक टन)	फ्लाई ऐश उपयोग (प्रतिशत)
1	एन.टी.पी.सी.लि., विद्युत्याचल सुपर थर्मल पावर, सिंगरीली	4760	7958003	1957993	24.60
2	सासन पावर लि., सिद्धिखुर्द, सिंगरीली	3960	5150473	1221517	24
3	संजय गांधी थर्मल पावर प्लाट, बिरसिंगपुर, जिला उमरिया	1340	1888928	1384897	73.32
4	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, सारणी, जिला बैतूल	1330	1161888	419244	36.08
5	जे.पी. पावर लि., निगरी, सिंगरीली	1320	1483940	1386955	93.50
6	श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला खण्डवा	1200	1046702.885	631906.29	60.4
7	एम.बी. पावर लि., जैतहरी, जिला अनूपपुर	1200	1614069	785376	48.66
8	झावुआ पावर लि., जिला सिवनी	600	472410	316701	67
9	एससार पावर एम.पी. लि., जिला सिंगरीली	1200	632587	387002	61.18
10	जे.पी. बीना थर्मल पावर प्लाट, बीना, जिला सालर	500	602686	476527	79.06
11	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चचाई, जिला अनूपपुर	210	309086.46	175952	56.93
12	बी.एल.ए. पावर लि., गढ़रवाड़ा, जिला नरसिंहपुर	90	7251	7807	107.7
13	हिण्हालको इण्हस्ट्रीज़ लि., महान एन्युमिनियम, बरगवां, जिला सिंगरीली	900	1259173	632995	50.27
	कुल	18610	23587197.35	9784872.3	41.48

प्रदेश में स्थापित केटिव थर्मल पावर इकाईयों में फ्लाई ऐश उपयोग की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है।

5.18 घरेलू दृष्टित जल (सीवेज) प्रबंधन :-

मध्य प्रदेश में लगभग 6000 एमएलडी घरेलू दृष्टित जल (सीवेज) उत्पन्न होता है, जिसके उपचार हेतु नगरीय निकायों में 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिनकी कुल उपचारण क्षमता 767.5 एमएलडी तथा 114 एसटीपी विभिन्न उद्योगों, माइन्स, कॉलोनी, मॉल्स, होटल्स, मैरिज गार्डन्स आदि द्वारा बनाये गये हैं, जिनकी कुल क्षमता 59 एमएलडी है। इस प्रकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कुल क्षमता 827 एमएलडी है। इसी प्रकार छोटे नगरों/ग्रामों आदि में सीवेज का निस्सारण सेटिक टैक तथा सोक्पिट्स के माध्यम से किया जाता है जो लगभग 133 एमएलडी है। अतः सीवेज उपचार की कुल क्षमता 960 एमएलडी है। इस प्रकार उत्पन्न 6000 एमएलडी में से 960 एमएलडी का निस्सारण उपचार उपर्युक्त होता है जो कि उत्पन्न हो रहे सीवेज का 16 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में घरेलू दृष्टित जल (सीवेज) के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन हेतु प्रत्येक शहर व नगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उपचारित सीवेज का उपयोग वृक्षारोपण/सिंचाई इत्यादि में होकर शुद्ध जल संरक्षित किया जा सके। इस संबंध में बोर्ड द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को समय-समय पर पत्र लिखे गये हैं।

5.19 खदानों में पर्यावरण प्रबंधन

खदानों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु खदान प्रक्रिया को जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों अनुसार जल पर्यावरण सम्मति प्रदान की जाती है। इस हेतु एक्सजीएन साफ्टवेयर के माध्यम से अनिलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार खदान प्रक्रिया हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् खदान प्रबंधन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना सम्मति एवं उत्पादन सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। “ईज ऑफ हुइंग बिजनेस” के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा रेत खदानों को स्थापना सम्मति की परिधि से मुक्त रखा गया है एवं उत्पादन सम्मति प्रदान करने का प्रावधान है।



वृक्षारोपण



वृक्षारोपण

एक्सजीएन साफ्टवेयर में रजिस्टर्ड रेत खदानों में से 700 खदानों द्वारा सम्मति प्राप्त की है जिनमें से 283 खदाने 05 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल एवं 417 खदाने 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की हैं। इसके अतिरिक्त कुल 4355 खदाने हैं जिनमें 3867 खदाने 05 हेक्टेयर से कम तथा 488 खदाने 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की हैं।

खदानों को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्था करने की शर्त के साथ सम्मति प्रदान की जाती है, जिसमें जल प्रदूषण के अन्तर्गत वर्षा जल के साथ मिट्टी/मिनरल्स के बहाव को रोकने हेतु ओवर बर्डन डम्प प्रबंधन, गारलेण्ड ड्रेन तथा सिलेशन पौण्ड निर्माण, गेवियन बॉल एवं वृक्षारोपण मुख्य हैं।



जबलपुर में खदान प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला

वायु प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत धूल कण उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सहक पक्कीकरण, कन्वेयर बेल्ट हारा मिनरल परिवहन, ट्रांसफर पाइंट पर वायु प्रदूषण उपकरणों के अन्तर्गत बैग फिल्टर आदि स्थापित किये जाते हैं। खनन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व टॉप स्वाईल (ऊपरी सतह) को चिन्हित स्थान पर संग्रहित कर रखने का प्रावधान किया जाता है एवं टॉप स्वाईल (ऊपरी सतह) का उपयोग माइन क्लोजर उपरांत ग्रीन क्लवर बनाने हेतु किये जाने का प्रावधान है।



फेन्सिंग



क्लवर्ड ट्रक



गारलेण्ड ड्रेन



सिल्टेशन पॉड

खदानों में सामान्यतः बड़ी चट्टानों को तोड़ने हेतु ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे कम्पन एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है। इसके नियंत्रण हेतु डिले डिटोनेटर का उपयोग करने का प्रावधान किया जाता है साथ ही ब्लास्टिंग को कार्य दिवस के समय करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

कोल परिवहन से होने वाले फ्युजिटिङ डत्सर्जन नियंत्रण हेतु सतत् बाटर स्प्रिंकिलिंग के साथ पक्का सड़क मार्ग व्यवस्था एवं रोड स्वीपर आदि व्यवस्था करने की शर्त दी जाती है। खुली खदानों के पिट में दुर्घटना की रोकथाम हेतु लीज क्षेत्र के चारों ओर फेन्सिंग का प्रावधान भी किया जाता है।

प्रदेश में कोयला खदाने मुख्यतः सिंगरौली, शहडोल, छिन्दवाड़ा एवं बैतूल क्षेत्र में स्थित है, जिसमें कोयले का खनन भूमिगत प्रक्रिया एवं ओपन कास्ट प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। प्रदेश में लगभग 90 कोयला खदाने स्थापित हैं। जिसमें कोल इंडिया की खदानों के साथ में निजी क्षेत्र की खदाने भी शामिल हैं। सिंगरौली क्षेत्र में नार्दन कोल फील्डस की खदाने स्थापित हैं जो डत्पादन क्षमता में प्रदेश में अग्रणीय हैं। बोर्ड के सतत् प्रयासों एवं निगरानी से खदानों में पर्यावरण प्रबंधन के अन्तर्गत दृष्टिं जल उपचार व्यवस्था एवं ओवर बर्डन हाई प्रबंधन के अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है।

● ● ●

6. पर्यावरणीय अनुसंधान

पर्यावरण के क्षेत्र में सतत रूप से अनुसंधान का बहुत महत्व है। उद्योगों के निस्त्रावों एवं तत्सर्जनों पर नियंत्रण तथा उपचार हेतु नई-नई प्रणालियाँ विकसित होती जा रही हैं। इन प्रणालियों की प्रदेश की जल, वायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपादेयता परखकर उसे प्रचलित करने के उद्देश्य से मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है।



प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल का निरीक्षण करते हुए,

विचाराधीन वर्ष में केन्द्रीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया -

(1) राजधानी नगर भोपाल का विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कार्य

मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक विकास, घाहनों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या व मानव निर्मित कृत्रिम संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रदूषण में चुंडि होती जा रही है। अतः प्रदूषण की बढ़ती हुई स्थिति को व्यान में रखते हुये केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य बजट अनुदान के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल शहर की व्यापक पर्यावरणीय निगरानी परियोजना का प्रारंभिक अध्ययन कार्य वर्ष 2016-18 में किया गया। उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य भोपाल शहर की पर्यावरणीय प्रदूषण स्थिति का व्यापक अध्ययन है।

प्रदूषण के आकलन हेतु भोपाल शहर के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, तथा दक्षिण पश्चिम भाग को क्रमशः कारिंडोर I, II, III और IV में विभाजित किया गया। परिवेशीय बायु, शौर, भूजल और मिट्टी की मानिटरिंग के लिए कुल उन्नीस स्थलों का तथा भौतिक रसायन अध्ययन और फाइटोफ्लांकटॉन अध्ययन के लिए चार सतही जल मानिटरिंग स्थलों का चयन किया गया। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि भोपाल शहर में अन्य कारिंडोर की तुलना में कारिंडोर I में अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण देखा गया। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन, एम एस डब्ल्यू डॉर्पिंग साइट, सघन बाहन क्षेत्र कारिंडोर II में मुख्यतः प्रदूषण के कारण है। कारिंडोर III में कम पर्यावरणीय प्रदूषण देखा गया जिसका कम बाहन, खेत और खुले क्षेत्र कारण हो सकते हैं। इस अध्ययन के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समस्त रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण मध्यम श्रेणी में पाया गया।

(2) भोपाल शहर के क्लोरीनेटेड पेय जल में ट्रायहैलोमीथेन की उपलब्धता का अध्ययन

विसंक्रमण पेय जल के उपचार का समीक्षात्मक भाग है व प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों को रोकना भी अति आवश्यक है। विसंक्रमित रसायनों के उपयोग से विसंक्रमित बौंय प्रोडक्ट बनते हैं। ट्रायहैलोमीथेन इसी प्रकार का विसंक्रमित बाय प्रोडक्ट है। यह कैसर कारक है तथा जलाशयों में इसका निर्माण विसंक्रमित क्लोरीन व कार्बनिक पदार्थों के बीच हुई अभिक्रिया से होता है। इस अध्ययन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में क्लोरीनेटेड पेय जल में बनने वाले ट्रायहैलोमीथेन का परीक्षण किया गया। केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भोपाल शहर के नगर निगम के कुल ग्यारह जल शोधन संयंत्रों को ट्रॉय हैलो मीथेन्स की मानिटरिंग के लिए चुना गया। प्राप्त आंकड़े पेयजल में ट्रायहैलोमीथेन की उपस्थिति तो दर्शाते हैं कि न्तु उनको मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ई.पी.ए. एवं बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाई गई।



डायरेक्टर, नीरी नागपुर केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल का निरीक्षण करते हुए

(3) मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण का विस्तृत अनुब्रवण

औद्योगिक प्रदूषण ने पिछले दो शताब्दियों से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिसकी वैश्विक स्तर पर चूँदि जारी है। दिन प्रति दिन उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों से पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव, प्रदूषकों की जहरीली प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण निगरानी कर यह जानना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता स्वास्थ्य अनुबूल है या नहीं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कर पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति का अंकलन करना है। केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय घटकों (वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि) में होने वाले प्रदूषण के अंकलन हेतु मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र को 20 खंडों में विभाजित किया गया जिसमें इस अध्ययन के लिए 13 ब्लॉक चुने गए। उक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि ब्लॉक 13 में पर्यावरण प्रदूषण अन्य ब्लॉक की तुलना में अधिक पाया गया जिसका मुख्य कारण पास में एचईजी थर्मल पावर स्टेशन, इंदिरा नगर, यातायात, परिवहन, वाहन, राजमार्ग एनएच 12 तथा अन्य सार्वजनिक गतिविधियाँ हैं। ब्लॉक 6 में खेतों और खुले क्षेत्र की वजह से कम पर्यावरणीय प्रदूषण पाया गया। इस अध्ययन के दौरान मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण मध्यम श्रेणी में पाया गया। उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत अध्ययन कार्यवर्ष 2018-19 में भी जारी रहेगा।



पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग : क्रॉम्पटन ग्रीब्स उद्योग, मण्डीदीप



बी टी एक्स मॉनिटरिंग : बंसल उद्योग, मण्डीदीप

(4) मध्यप्रदेश की बोतवा नदी की वायोमॉनिटरिंग

बायो-मॉनिटरिंग, परिवर्तनशील जैविकों की प्रस्तावना हेतु जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक व कियात्पक बिन्दुओं के परीक्षण के लिये है। फिजियो-केमिकल तकनीक को परिपूर्ण करने हेतु बायो-मॉनिटरिंग का उपयोग किफायती रूप से किया जा सकता है। बायो-मॉनिटरिंग की सहायता से जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर कई कारणों से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। इन कारणों के अंतर्गत निम्न बिन्दु हैं:-

- ❖ गैर मानसूनी समय में जल की अनुपलब्धता।
- ❖ कम अंकसीजन की परिस्थिति तथा यूट्रोफिकेशन
- ❖ अधिक फोकल कॉलीफार्म की मात्रा
- ❖ भारी धातुओं की उपस्थिति

❖ संवेदनशील प्रजातियों का निष्कासन

दिन रात धारा के प्रवाह में बह रहे जलीय जीव प्रदूषण के संपर्क में आते हैं। परिणामस्वरूप जीवों का स्वास्थ्य उस पानी की गुणवत्ता को भी बताता है जिसमें वे रहते हैं। यदि जल का प्रदूषण एक क्रिटिकल कन्सन्ट्रेशन तक पहुँच गया तो कुछ जीव मर जायेंगे, कुछ स्थानांतरण कर लेंगे व कुछ रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इस प्रकार वे जीव प्रदूषित क्षेत्र से ओझल हो जायेंगे। वर्ष 2017–2018 में कोट्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में पूरे बेतवा नदी खंड को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर कुल बारह स्थलों पर व्यायो-मानिटरिंग कार्य किया जा रहा है। अध्ययन में बेतवा नदी के जल का औसत जैविक जल गुणवत्ता मानदंड कलास भी से सी के अंतर्गत पाया गया। उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत अध्ययन कार्य वर्ष 2018–19 में भी जारी रहेगा।



सतही जल मानिटरिंग : शाहपुरा झील, भोपाल



भूजल मानिटरिंग : बाबड़ियाकलां, भोपाल

(5) बेसिक ड्रग्स उद्योग द्वारा प्रवाहित जल में टॉकिसीसिटी का अध्ययन

पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत टॉकिसीसिटी परीक्षण एक ऐसा प्रचालन है जो प्रदूषण की पुष्टि करता है। इस परिपेक्ष्य में यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। मछलियाँ जलीय धोज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। अतः कोट्रीय प्रयोगशाला मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मछलियों पर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के बेसिक ड्रग्स उद्योग के दूषित जल के प्रभावों का अध्ययन किया गया। प्राप्त परिणाम के अनुसार उपचारित दूषित जल में एक्यूट लिथल टॉकिसिटी नहीं पायी गई, किन्तु अनुपचारित दूषित जल में एक्यूट लिथल टॉकिसिटी पाई गयी। अतः बिना उपचार के दूषित जल का निस्तारण सौंधे नदी में किया जाना उचित नहीं है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला में उपलब्ध परीक्षण विशेषज्ञता

मृदा/जल अपशिष्ट	मृदा/मृदा अपशिष्ट	परिवेशीय वायु	स्रोत उत्सर्जन
◆ रंग	◆ अमोनिया	◆ सल्फर	◆ पर्टिकुलेट मीटर
◆ गंध	◆ बाय कार्बोनेट	◆ डाय-ऑक्साइड	◆ हाइड्रोजन ख्लोराइड
◆ पी.एच.वैल्यू	◆ बोर्नन	◆ नाइट्रोजन डाय ऑक्साइड	◆ कार्बन मोनोऑक्साइड
◆ स्वाद	◆ कैलिशयम	◆ पर्टिकुलेट मीटर पी.एम.10	◆ धातुये
◆ टर्बिंडी	◆ कैलिशयम कार्बोनेट	◆ पर्टिकुलेट मीटर पी.एम.2.5	◆ कीटनाशक
◆ ठोस घुलनशील	◆ केटायन एक्सचेंज केपेसिटी	◆ ओजोन	◆ पॉलीन्यूक्लिर ऐरोमेटिक
◆ अमोनिया	◆ ब्लोगाइड	◆ कार्बन मोनोऑक्साइड	हाइड्रोकार्बन
◆ बोर्नन	◆ रंग	◆ अमोनिया	
◆ कैलिशयम	◆ विद्युत चालकता	◆ बैंजीन	
◆ ख्लोराइड	◆ विनिमेय सोडियम	◆ धातुऐं कीटनाशक	
◆ फ्लोराइड	◆ प्रतिशत विनिमेय सोडियम	◆ पॉलीन्यूक्लिर ऐरोमेटिक	
◆ फास्फोरस	◆ भारी धातुऐं	हाइड्रोकार्बन	
◆ जैविक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.)	◆ मैग्नेशियम		
◆ रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सी.ओ.डी.)	◆ नाइट्रेट		
◆ पोटेशियम	◆ नाइट्राइट		
◆ सोडियम	◆ उपस्थित नाइट्रोजन		
◆ कैलिशयम	◆ आर्गेनिक कार्बन/मीटर		
◆ ठोस (कुल घुलनशील, निलंबित, वाष्पशील, अवाष्पशील)	◆ कीटनाशक		
◆ मुक्त ख्लोरिन अवशेष	◆ पी.एच.		
◆ मैग्नेशियम	◆ फास्फोरस		
◆ नाइट्रेट	◆ फास्फेट		
◆ फिनालिक यौगिक	◆ पोटेशियम		

मृदा / जल अपशिष्ट	मृदा / मृदा अपशिष्ट	परिवेशीय वायु	स्वास्थ्य उत्सर्जन
<ul style="list-style-type: none"> ◆ सल्फेट ◆ सल्फाइड ◆ कठोरता (कुल, कैल्चियम, मैग्नेशियम) ◆ कुल जेलडाल नाइट्रोजन ◆ तेल एवं ग्रीस ◆ हैक्जावेलेट कोमियम ◆ धातुएं ◆ कीटनाशक ◆ पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ◆ ट्रायहेलोमीथेन ◆ ई-कोलाई ◆ कुल कोलिफार्म बैक्टीरिया ◆ बायो एसे.परीक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ मृदा विकालन में एस.ए.आर. ◆ सोडियम ◆ मृदा आर्द्धता ◆ सल्फेट ◆ सल्फर ◆ फलौश बिन्दु/ प्रज्वलनता ◆ विधाक्तता का मापन ◆ ऊर्ध्वीय मान (कैलोरीफिक वैल्यू) 		

केन्द्रीय प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण सुविधा

उपकरण	उपयोगिता
एटोमिक एव्जार्पेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	वायु/जल/मृदा/ठोस अपशिष्ट विश्लेषण उपकरण
बी.ओ.डी. इनकम्बूबेटर	
बॉम्ब कैलोरीमीटर	
बी.टी.एक्स.एनालाइजर	
सी.एच.एन.एस.एनालाइजर	
सी.ओ.डी.डायजेस्टर	
कन्डकटीविटी मीटर	
डी.ओ.मीटर	
डीप फ्रीजर	
इलेक्ट्रोनिक बैलेन्स	
फ्लैम फोटोमीटर	
गैस क्रोमेटोग्राफ/मास स्पेक्ट्रोमीटर	
हेक्वी मेटल डायजेस्टर	
हॉट एयर ओवन्स	
ऑयन क्रोमेटोग्राफ	
मर्करी एनालाइजर	
माइक्रोप्रासेसर ब्रेस्ट यूबी-बी.आई.एस.स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	
माइक्रोवेव डायजेस्टर	
मिलीपोर वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम	
मफल फरनेन्स	
पी.एच.मीटर	
पी.एम.2.5 सेम्प्लर	
रिसपाइरेबल डस्ट सेम्प्लर (आर.डी.एस.)	
सॉब्सलेट ऑपेरेटर्स	
स्टेक मॉनिटरिंग किट	

उपकरण	उपयोगिता
टी.के.एन.असेम्बली	
टॉक्सीसिटी कैरेक्टरिस्टीक लीचिंग प्रोसीजर (टी.सी.एल.पी.)इक्यूपमेट	
ट्रिपल डिस्टीलेशन यूनिट	
टर्बिंडिटी मीटर	
अल्ट्रा सोनीकेटर	
यूबी-बीजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	
बीजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	
आई.सी.पी./मास स्पेक्ट्रोमीटर	
ऑटो वलेव	बैकटीरियोलॉजिकल टेस्टिंग उपकरण
बैक्टिरियोलोजीकल इन्व्यूबेटर	
लेमीनार फ्लोर चेम्बर	
इन्वरटर ह माइक्रोस्कोप	
स्टेरियो माइक्रोस्कोप	
माइक्रो मेट्रियोलॉजिकल डाटा लोगर	मेट्रियोलॉजिकल डाटा मॉनिटरिंग
सारण्ड लेवल मीटर	छवनि मापन

प्रकाशन

- Comparative indoor and outdoor aerosol pollution study of sensitive zones of Bhopal city, India. Published in International journal of Information Research and Review , Vol. 04, Issue, 04, pp.4117-4121, April, 2017
- Ground water Quality Assessment in and around Bhopal city of Madhya Pradesh, India . presented at 50th Conference of Indian Water Works held on 19th-21st February, 2018

7. पर्यावरणीय प्रशिक्षण

उद्देश्य

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (1) (ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। पता लगाये गये लक्ष्य समूहों के लिये प्रदूषण के निवारण, रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता

बोर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रमुखता से है, ताकि बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सहमति प्रबंध तथा बहिसाव व उत्सर्जन मानकों के कियान्वयन इत्यादि को सरलता व कुशलतापूर्वक संपादन हेतु तैयार किया जाये:-

- वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और बहिसाव शोधन इकाईयों/उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण
- पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण।
- जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन पद्धति।
- प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक पद्धति, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण।
- सहमति पत्र प्रबंध और मानकों का निर्धारण।
- पर्यावरणीय परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति।
- खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण और कानूनी पहलुओं जैसे विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण।

उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भी उन्हें भेजा जाता है। बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं छात्रों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2017-18 में निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये:-

1. कोमिकल सेफटी, एरगोनोमिक्स एवं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एवं सेफटी अवेरेनेस पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 13 अगस्त 2017
2. पर्यावरणीय विश्लेषण एवं इंस्ट्रुमेंटेशन विषय पर एक्सीलेस कॉलेज के छात्रों हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन - दिनांक 22 से 27 मई 2017
3. अग्नि शामक यंत्रों के प्रचालन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 20 जुलाई 2017
4. PHED विभाग के नव नियुक्त सहायक यंत्रीयों हेतु एक दिवसीय डेमोस्ट्रेशन प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 3 अगस्त 2017
5. पर्यावरणीय विश्लेषण एवं इंस्ट्रुमेंटेशन विषयक पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के प्रतिभागियों हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन - दिनांक 21 से 25 अगस्त 2017
6. संत हिरदाराम गल्सर्स कॉलेज की छात्राओं हेतु एक दिवसीय डेमोस्ट्रेशन प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 4 अक्टूबर 2017
7. एक्सीलेस कॉलेज के छात्रों हेतु एक दिवसीय डेमोस्ट्रेशन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन दि. 9 अक्टूबर 2017
8. Training on Gas Chromatography/Mass Spectrometer Instrumentation
7th - 9th February 2018

**केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी प्रशिक्षण आदि में
नामित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-**

क्र.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1	Data Management: Collection, Collation and Analysis of Environmental Data	Centre for Science and Environment (CSE)	नई दिल्ली	10 से 14 अप्रैल 2017	1. डॉ. श्यामानुज तिवारी, मुख्य रसा., मु. भोपाल 2. श्रीमति अमण्ण चौधे, कानिष्ठ वैज्ञानिक, मु. भोपाल
2	Celebration of International Noise Awareness Day & Workshop On Noise Pollution	PCB & NPL	दिल्ली	26 अप्रैल 2017	1. श्री जी. अम्बुलकर, मुख्य रसा., मु. भोपाल
3	Effective Management of Hazardous Waste E-Waste Including Co-Processing and Hazardous Waste Rules	IIWM	बैंगलोर	अप्रैल दूसरा भप्ताह 2017	1. श्री एम.एल. पटेल, अधी. चंद्री, मु. भोपाल 2. श्री एच.एस. मालवीय, अधी. चंद्री, मु. भोपाल
4	One Day Conference on "Utilization of Fly Ash by Coal Based Thermal Power Plants"	CECB	रायपुर	02 जून 2017	1. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव 2. श्री पी.आर. देव, मु. रसा., क्षे.का. सिंगरीली 3. श्री पी.एस. बुनेला, क्षे. अधि., क्षे.का. भोपाल 4. श्री जार.के. गुप्ता, क्षे. अधि., क्षे.का. इंदौर 5. श्री एस.पी. झा, कार्य. चंद्री, क्षे.का. जहांदील
5	Workshop on "Stockholm & Rotterdam Conventions & Associated Challenges"	NEERI	नागपुर	06 जून 2017	1. श्री राजेन्द्र चतुर्वेदी, वैज्ञानिक, मु. भोपाल
6	Programme on "River Ecosystem & Development Planning in India"	NEERI	नागपुर	07 जून 2017	1. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव
7	Workshop on "Conservation & Management of Wetlands"	EPCO	भोपाल	09 एवं 10 जून 2017	1. डॉ दिलीप बाधेला, मु. रसा., क्षे.का., इंदौर 2. श्री जी. अम्बुलकर, मु. रसा., मु. भोपाल 3. श्रीमती संगीता जार. दानी, मु. रसा., क्षे.का. भोपाल

क्र.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
8	"Real Time Monitoring Technology"	EPCO	भोपाल	04 से 06 जुलाई 2017	1. श्री जी. अमृतलकर, मु. रसा., मु. भोपाल 2. डॉ. आलोक सक्सेना, मु. रसा., मु. भोपाल 3. श्री ए. यू. बैग, वैद्यानिक, मु. भोपाल 4. श्री एन. पी. त्रिपाठी, रसायनज्ञ, मु. भोपाल 5. कु. शालिमी सिंह, उपर्यंत्री, के.का. व्यालियर 6. श्री अब्दुल मिश्रा, उपर्यंत्री, मु. भोपाल
9	Compliance, Monitoring and Enforcement of environmental legislation	Centre for Science and Environment (CSE)	नई दिल्ली	17 से 28 जुलाई 2017	1. श्री हरीश राय, से. कार्य., कट्टनी 2. श्री आर. एस. शाक्यवार, से. कार्य., उम्मीन
10	Green Chemistry & Cleaner Technology	CPCB	CES, Chennai	01 से 03 अगस्त 2017	श्री मुकेश श्रीजास्तव, कार्यपालन संचार, से.का., देवास
11	"अरण्य प्रबंधन" पर प्रशिक्षण	DMI	भोपाल	01 से 04 अगस्त 2017	1. श्री बलदेव ठाकुर, रसायनज्ञ ई.आर.सी., भोपाल 2. कु. जया कीर, कनि. वैज्ञा., ई.आर.सी., भोपाल 3. श्री भगवत सिंह, सम्प्रलर, प्रयोगशाला, भोपाल 4. कु. हेमलता दारसे, सम्प्रलर, मु. भोपाल 5. श्री विजय प्रताप आर्य, सम्प्रलर, मु. भोपाल 6. श्री राजकुमार मसातकर, सम्प्रलर, के.का. भोपाल 7. श्री अरविंद कुमार सिंह, कनि. वैज्ञा., के.का. भोपाल 8. श्री अब्दुल हनीफ, बायरमेन, मु. भोपाल 9. श्री दिपक चिलकुले, सहा. ड्राफ्टसमेन, मु. भोपाल 10. श्री सलिम शर्मा, इलेक्ट्रिशियन, मु. भोपाल 11. श्री रीलेन्ड कल्याप, प्र.शा. सहा., के.का. भोपाल 12. कु. अंकिता कूलधेष्ठ, एस.आर.एफ., मु. भोपाल 13. श्री साकेत मिश्रा, एस.आर.एफ., मु. भोपाल

क्र.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
					14. श्री शुभेजित ए, रौथ, जे.आर.एफ., मु. भोपाल 15. कु. पूनम दुबे, प्रोजेक्ट फैलो, मु. भोपाल 16. कु. ममति सेन, प्रोजेक्ट फैलो, मु. भोपाल 17. श्री माल्वन परमार, प्रोजेक्ट फैलो, मु. भोपाल 18. श्री हरीश उड़ुके, प्रोजेक्ट फैलो, मु. भोपाल 19. श्रीमति चंदना रमानी, प्रोजेक्ट फैलो, मु. भोपाल
12	Sampling & Analysis of Specific Pollutants (Metals, Ions, Pesticides, PAHs, BTX/VOCs, Carbonyls/PCBs etc., Method Validation, SOPs, Data Interpretation and Quality Assurance	CPCB	Delhi (AQ-II)	Aug. 02-04, 2017	1. श्री हरीश चानदेहे, वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, भोपाल 2. श्री महेश पुरेया, वैज्ञानिक, थे.का. जबलपुर
13	Real Time Pollution Monitoring System: From Understanding to Implementation	Centre for Science and Environment (CSE)	नई दिल्ली	21 से 25 अगस्त 2017	1. श्री आलोक कुमार जैन, अधीक्षण चंद्री, मु. भोपाल 2. श्री सुनील ल्यास, वैज्ञानिक, थे.का. इंदौर 3. श्री सतीश चौकसे, उपर्यंगी, थे.का., सामर
14	One Day Awareness Program NABL Accreditation EPA Recognition & Interaction Meet	Zonal Office CPCB	भोपाल	24 अगस्त 2017	समस्त सेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला प्रभारी
15	इको सेन्सेटिव जोन के जीनल प्लान की तैयारी के लिये अधिकारियों को प्रशिक्षण	CPCB	देहान्दन	28 से 30 अगस्त 2017	1. डॉ. अविनाश करेरा, मुख्य रसायनज, थे.का. भोपाल 2. श्री भनोज जैन कनि. वैज्ञानिक, मु. भोपाल
16	Workshop on "Improve Mercury Management in India" reg-	MOEF	नई दिल्ली	31 अगस्त 2017	1. श्री आर.के. मालवीय, मुख्य रसायनज, मु. भोपाल 2. डॉ. आलोक सक्सेना, मुख्य रसायनज, मु. भोपाल
17	Design, Operation, Maintenance & Performance of STP, CETP, CBMWTFs	CPCB NEERI	Nagpur	Sep. 06-08, 2017	1. श्री अजय मिश्र, कनिष्ठ उपर्यंगी, मु. भोपाल 2. श्री के.पी. सोनी, कार्यपालन चंद्री, थे.का. इंदौर

क्र.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
18	Development of Protocol for Granting Consent and Inspection Procedures	Centre for Science and Environment (CSE)	नई दिल्ली	11 से 15 सितम्बर 2017	1. श्री कैलाश कटारे, कार्यपालन वंची, खेळा, गुगा 2. श्री बुजेश तामा, कार्यपालन वंची, मुं. घोपाल 3. श्री जितेन्द्र चन्द्रेल, रसायनज, खेळा, सिंगरीली
19	Advance Instrumental Analytical Techniques (AAS, ICP-OES, XRF, GC-MS, ATD-GC, HPLC, IC, EC/ OC, TOC etc.)	CPCB	Nagpur	Sep. 13-15, 2017	1. श्रीमती विनिता गौतम, कानिष्ठ वैज्ञानिक, मुं. घोपाल 2. श्रीमती संगीता शुक्ला, रसायनज, मुं. घोपाल
20	Real Time Data Acquisition, Transmission & Data Interpretation of Online Monitoring Systems (Ambient, Emission & Effluents)	CPCB	नई दिल्ली	Sep. 20-22, 2017	1. श्री अलोक कुमार जैन, अधीक्षण वंची, इ.आर.सी., घोपाल 2. श्री आदेश लोबास्टाव, अधीक्षण वंची, इ.आर.सी., घोपाल
21	Training Program for Environmental Regulators "Best Practices in Environmental Governance"	Centre for Science and Environment (CSE)	नई दिल्ली, स्टोकहोम (स्वीडन)	06 से 15 अक्टूबर 2017	1. श्री एम.एन. कटारे, कानि. वैज्ञानिक, खेळा. इंदौर, 2. डॉ. अर्पणा किंठाड़ी, उपर्यंत्री, मुं. घोपाल, 3. डॉ. रालिनी सिंह, उपर्यंत्री, खेळा. नवालियर
22	Participation and Sponsorship in BRSI Conference CSIR	NEERI	Nagpur	08 से 10 अक्टूबर 2017	1. डॉ. आलोक सर्वसेना, मुख्य रसायनज, घोपाल 2. श्री एम.एन. पाटील, मुख्य रसायनज, इंदौर
23	Integrated Waste Management Municipal Waste, Plastic Waste, Bio-Medical Waste, Bio Composting, Landfill Gas Management & Control & Waste to Energy with Field Visit	CPCB	IITM, Bengluru	Oct. 09-13, 2017	1. श्रीमती संध्या मोखले, वैज्ञानिक, मुं. घोपाल 2. डॉ. तरनीम सूफी, वैज्ञानिक, खेळा., घोपाल
24	Biological Monitoring, Analysis & Testing (Microbiology, Bio-Assay & Bio monitoring), SOP, Data Interpretation & Quality Assurance	CPCB	Punjab University	Oct. 12-14, 2017	1. श्रीमती स्वेता साह, रसायनज, खेळीय प्रयोगशाला, इंदौर 2. श्रीमती दीपा लीलास, रसायनज, खेळीय प्रयोगशाला, इंदौर

क्र.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
25	Nomination Suit For "CIOS-e-Governance Champions Training Programme (egcp)"	YASHDA	Pune	06 से 18 नवम्बर 2017	1. श्री बुद्धेश शर्मा, कार्यपालन चंडी, मु. भोपाल 2. श्री अमित शर्मा, कार्यपालन चंडी, मु. भोपाल
26	Investigation, Remediation & Management of Soil & Groundwater Contaminated Sites	CPCB	IIT, Roorkee EPTRI, Hyderabad	Nov. 20-22, 2017	1. श्री राजेश गांधे, रसायनकार, उप.क्षे. नाशिदा, 2. श्री रामदास चाप, कानिष्ठ वैज्ञानिक, शे.का., डिज्डी
27	Clean Development Mechanism (CDM): CDM Project Implementation for Industrial Sector, Energy Sector, Mining Sector & Carbon Trading.	CPCB	PCRI, Haridwar	Nov. 27-29, 2017	1. श्रीमती संभवा भोगले, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 2. डॉ. तस्नीम चूफी, वैज्ञानिक, शे.का., भोपाल
28	Source Emission Monitoring for Parameters Notified under Source Emission	CPCB	PGIMER, Chandigarh	Dec. 04-06, 2017	श्री जय कुमार राजौरिया, कानिष्ठ वैज्ञानिक, शे.का., गुना
29	Indoor & Outdoor Air Pollution, Standards & Impact on Human Health Case Studies	CPCB	NEERI, Delhi	Dec. 07-09, 2017	श्री अशोक कुमार रामवत, रसायनकार, से.का. इंदौर
30	Air Quality Monitoring (Ambient, Source, Noise), Analysis, Data Interpretation & Quality Assurance	CPCB	Zonal Centre	Jan. 02-05, 2018	श्री राहुल द्विवेदी, वैज्ञानिक, जॉ.का. रीवा
31	गवर्मेन्ट ई-मार्केट सेल्स (Gem) का शासकीय विभागों के द्वारा उपयोग के सम्बन्ध में वर्कशॉप	GeM	Panchanan Bhawan, Bhopal	03 जनवरी 2018	1. श्री बुद्धेश शर्मा, कार्यपालन चंडी, भोपाल 2. श्री डी.ए. चैन, कार्यपालन चंडी, भोपाल 3. श्री फरद शर्मा, वित्त अधिकारी, मु. भोपाल
32	गवर्मेन्ट ई-मार्केट सेल्स (Gem) का शासकीय विभागों के द्वारा उपयोग के सम्बन्ध में वर्कशॉप	GeM	Panchanan Bhawan, Bhopal	10 जनवरी 2018	1. श्री अर.पी. ठाकुर, सहायक चंडी, मु. भोपाल 2. श्री डी.डी. चैन, आई.टी. काला, मु. भोपाल 3. डॉ. नवल किशोर सोहनी, अधीक्षक, मु. भोपाल 4. श्री पम.एस. सेन, अधीक्षक, मु. भोपाल

क्र.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
33	Training Programme on Web Based, System VIZ 'Chemical Accident Reporting System (CAIRS)' and 'GIS Emergency Planning and Response System (GEPR)' and Discussion on Implementation —Reg.	MOEF And Climate Change	नई दिल्ली	02 फरवरी 2018	1. डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी, वैज्ञानिक, ई.आर.सी., भोपाल 2. डॉ. एस.के. खोरा, वैज्ञानिक, से.का. जबलपुर 3. श्री पंच.एस. शर्मा, कानिष्ठ वैज्ञानिक, से.का. उर्दून
34	Programme on "ASIA-AFRICA Regulators Conclave on Smart and Affordable Monitoring -reg	Centre for Science and Environment (CSE)	TURA Rajasthan	05 से 07 फरवरी 2018	श्री प.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव
35	Vehicular Emission & Exhaust Monitoring (Receptor & Dispersion Modeling)	CPCB	TERI, Delhi Training Venue: Gwal Pahari Gurugram	Feb. 07-09, 2018	श्री चौ.एम. पटेल, कानिष्ठ वैज्ञानिक, से.का. शहडोल
36	Environmental Regulators Self Regulation and Environmental Audit	Centre for Science and Environment (CSE)	नई दिल्ली	06 से 09 मार्च 2018	1. श्री अजय मिश्रा, उपरंत्री, मु. भोपाल 2. श्री अरविंद मांवले, उपरंत्री, मु. भोपाल

■ ■ ■

8. पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17(1) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-मानस में जागरूकता एवं जन-भागीदारी को भावना उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों, प्रचार एवं जनशिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की बर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुँचाने वाले तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिए वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

पर्यावरण जनजागृति हेतु बोर्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है।

बोर्ड मुख्यालय

- ई-वेस्ट अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन

भारत सरकार द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 में संशोधन किया गया है। नये नियम के प्रचार-प्रसार तथा जन जागृति के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 26/03/2018 को किया गया जिसमें प्रदेश के ई-अपशिष्ट रिसाईक्लर, बल्क कंज्यूमर, सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योग, बैंक आदि के 100 से अधिक



प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये

प्रतिनिधि उपस्थित हुये। इस कार्यशाला का शुभांगम्भ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया। यह नियम सभी बल्क कंज्यूमर, ई-उत्पाद ईकाइयों, कलेक्शन सेंटर, डिस्मेंटलर तथा रिसाइक्लर पर लागू है। ई-अपशिष्ट का पृथक से प्रबंधन न होने के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव होता है।

उत्पाद ईकाइयों को ई.पी.आर. योजना के अंतर्गत ई-अपशिष्ट के संग्रहण हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा बल्क कंज्यूमर को नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार डिस्पोजल करना आवश्यक है। कार्यशाला में ई-वेस्ट विशेषज्ञों द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी व ई-वेस्ट के पर्यावरणीय प्रबंधन की जानकारी दी गई।

भोपाल विज्ञान मेला

09 फरवरी से 12 फरवरी 2018 को बी.एच.ई.एल. दशहरा मैदान में आयोजित भोपाल विज्ञान मेले में पर्यावरण जन-जागृति हेतु भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें जल नमूनों का परीक्षण का प्रयोग छात्र-छात्राओं तथा आने वाले नागरिकों को समझाया गया। प्रदर्शनी में बोर्ड के गतिविधियों विषयक पोस्टर, मॉडल, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम एवं नर्मदा नदी में जल प्रदूषण की रोकथाम संबंधी विषयों पर भी जानकारी दी गई।



दिनांक 12.02.18 को विज्ञान मेले में बोर्ड की प्रदर्शनी

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यशाला का आयोजन

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यशाला का आयोजन दिनांक 26/03/2018 को झील संरक्षण प्राधिकरण के सभागार में किया गया। कार्यशाला में प्लास्टिक के निर्माता, पुनर्चक्रीकरण करने वाले व उत्पादक तथा ब्राण्ड ओनर के 100 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक वेस्ट का नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ प्रबंधन किया जाता है यह वेस्ट कई बर्षों तक पर्यावरण में विद्यमान रह सकता है जिसके कारण शहरों, समुद्र व अन्य जल स्रोतों में इसकी उपस्थिति रहती है। इसका प्रबंधन एक जटिल समस्या है तथा भारत सरकार हाथा जारी नये नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त सभी उद्योगों को राज्य बोर्ड से पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है तथा उत्पादक तथा ब्राण्ड ओनर को विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई.पी.आर.) योजना के अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट संग्रहण हेतु कार्यक्रम तैयार करने का प्रावधान किया गया है। कार्यशाला के दौरान उपस्थित हुए सभी स्टेक होल्डर्स को नियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया एवं उसके अनुरूप कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।



दिनांक 26.03.18 को अपशिष्ट प्लास्टिक विषय पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित स्टेक होल्डर्स एवं प्रतिभागी

इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार

- मई 2017 में राज्य शासन द्वारा पालिथीन कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध के बहुद प्रचार-प्रसार हेतु एफ एम रेडियो माध्यम से संदेश का प्रसारण किया गया।
- दिसम्बर 2017 में बायु प्रदूषण के कारण फौंग की स्थिति के परिदृश्य में आम जनों को सुरक्षित कदम ठाठायें जाने वालत एक संदेश का प्रसारण प्रदेश स्तर पर एफ एम रेडियो के माध्यम से किया गया।
- ई-वेस्ट के संशोधित नियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु बोर्ड द्वारा 2 मिनिट की ढाक्यूमेंटी फिल्म का निर्माण किया है जिसका प्रदर्शन बोर्ड की प्रदर्शनी तथा अन्य आयोजनों में किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 04 एवं 05 जून 2017 को टी.टी.नगर स्टेडियम भोपाल में पर्यावरण जनजागरूकता प्रदर्शनी एवं विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा विभिन्न स्कूलों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया साथ ही स्टेडियम में प्रशिक्षणरत् बच्चों द्वारा मलखम्ब एवं एरोबिक्स के माध्यम से स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ पर्यावरण पर अपनी प्रस्तुती दी गई।
- 31/08/2017 को गणेश चतुर्थी पर्व के समय तथा 06/09/2017 को नव दुर्गा पर्व के समय इको फ्रेन्डली रूप से मूर्ति विसर्जन का कार्य करवाने संबंधी प्रचार-प्रसार होशंगाबाद, शाहगंज तथा बुधनी में किया गया।
- दिनांक 16/09/2017 को "बल्ड ओजोन डे" पर कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया जिसमें संबंधित उद्घोग प्रतिनिधियों को जागरूक किया गया।
- नर्मदा सेवा मिशन के अन्तर्गत बुधनी, होशंगाबाद शहर में 24/11/2017 को स्कूली छात्रों के साथ प्रदूषण मुक्ति एवं जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- दिनांक 30/11/2017 एवं 07/12/2017 को होशंगाबाद एवं हरदा शहर में प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंध के संबंध में जन-जागृति कार्यक्रम एवं पालिथीन जब्ती अभियान चलाया गया।
- दिनांक 11/12/2017 को Waste Management for suitable growth & Investment Opportunities in M.P. विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति स्टेक होल्डर को जागरूक किया गया।

- दिनांक 22/12/2017 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, जिसमें क्षेत्र के सभी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को नियमों की जानकारी से अवगत कराया गया तथा तदानुसार कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।
- दिनांक 29/12/2017 को जल एवं वायु अधिनियम एवं परिसंकटमय अपशिष्ट नियम से संबंधित कार्यशाला का आयोजन मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। कार्यशाला में उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों को नियमों की जानकारी से अवगत कराया गया तथा तदानुसार कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।
- दिनांक 13/01/2018 को बुधनी में जन-जागृति अधियान कॉलेज के छात्रों के साथ चलाया गया। दिनांक 14/01/2018 को मकर संकान्ति के पर्व पर होशंगाबाद में जन-जागरूकता कार्यक्रम तथा घाटों की साफ-सफाई हेतु अधियान चलाया गया।
- दिनांक 02/02/2018 को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें क्षेत्र के नर्सिंग होम एसेसियेशन के प्रतिनिधि तथा कामन बायोमेडिकल डिस्पोजल फेसिलिटिज के प्रतिनिधियों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।



दिनांक 22.12.2017 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 विषय पर आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर

- दिनांक 5 जून 2017 को इन्दौर एवं पीथमपुर जिला धार के स्कूली बच्चों एवं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ख्रिलीयंट कन्वेशन सेन्टर, इन्दौर में 'लोगों को प्रकृति से जोड़े तथा पर्यावरण संरक्षण' विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता एवं स्लोगन स्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 300 प्रतियोगियों ने भाग लिया।
- दिनांक 5 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इन्दौर में पोलोग्राउन्ड स्थित मेसर्स ईंका लेबोरेट्रीज में 'वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा स्कूली बच्चों को जूट के बैग वितरित किये गये।
- दिनांक 09.08.2017 को "मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण की रोकथाम" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला इन्दौर में आयोजित की गई।
- दिनांक 31 अगस्त 2017 को गणेश उत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन के संबंध में नगर परिषद मण्डलेश्वर एवं महेश्वर के साथ संयुक्त रूप से नगर में गणेश उत्सव समितियों व आम नागरिकों को जन जागरूकता के उद्देश्य से मूर्ति विसर्जन के लिए में नगर परिषद द्वारा बनाये गये अस्थायी कुण्ड में मूर्तियों का विसर्जन करने संबंधी समझाईश दी गई व पम्पलेट वितरित किये गये।
- दिनांक 17/01/2018 को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 निर्माण एवं विध्वंस नियम, 2016 से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।



दिनांक 17.01.18 को निर्माण एवं विध्वंस नियम, 2016 पर आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

- विश्व पर्यावरण दिवस 2017 के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला एवं बालाधाट में जन-जागृति रैली का आयोजन किया गया। जबलपुर में 'नर्मदा संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण' विषय पर एक संगोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता, निःशुल्क वाहन उत्सर्जन मापन शिविर का आयोजन किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय M0PRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर द्वारा दिनांक 02/08/2017 को इंडियन काफी हाउस जबलपुर में मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजन किया गया। कार्यशाला में शहर के मूर्तिकार, नगर निगम जबलपुर एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में भिट्टी की मूर्तियों के निर्माण करने एवं उनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।
- दिनांक 14/01/2018 को मकर संक्रान्ति एवं दिनांक 24/01/2018 को नर्मदा जयंती के दौरान नर्मदा तट रपटाधाट जिला मंडला, ग्वारीधाट, तिलवाराधाट जबलपुर, सरस्वतीधाट भेड़ाधाट एवं बरमानधाट जिला नरसिंहपुर में आयोजित मेलों के दौरान नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु जनजागृति बाबत प्रदर्शनी लगाई गई एवं पोस्टर, पंपलेट बॉटकर तथा लाठडस्पीकर के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में आम जनता को जागरूक किया गया। मेला के दौरान नर्मदा नदी के जल गुणवत्ता की जाँच हेतु नमूने संग्रहित किये गये।
- दिनांक 26/02/2018 को क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर एवं International Institute of Waste Management (IIWM), Bhopal के संयुक्त तत्वाधान में "Capacity Building Programme on Environmental Impact of Mining and its Remedial Measures" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें माइनिंग के उचित प्रबंधन एवं टेलिंग के डिस्पोजल हेतु व्यवस्था करने की विस्तृत जानकारी दी गई।



5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनजागृति रैली

क्षेत्रीय कार्यालय, धार एवं पीथमपुर

- विश्व पर्यावरण दिवस 2017 के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, धार द्वारा पर्यावरण जनजागृति रैली का आयोजन किया गया साथ ही बृक्षारोपण कार्य किया गया। म.प्र.शासन द्वारा पॉलीथीन कैरी बैग के संबंध में जारी किये गये आदेश दिनांक 24/05/2017 के क्रियान्वयन को गति देने हेतु शासकीय विभागों एवं संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा अन्य बृहद/मध्यम एवं लघु उद्योगों में बृक्षारोपण का कार्य कराया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नदी/तालाबों के शुद्धिकरण हेतु जन-जागृति अभियान के तहत मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु मूर्तिकारों व नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के परिपालन की समझाई दी गई। क्षेत्र की अधिकांश निकायों द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु लाईंग युक्त पृथक पॉड की स्थापना का कार्य कर मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही की गई।
- नर्मदा सेवा मिशन अंतर्गत नर्मदा नदी के छ: घाटों पर जल मॉनिटरिंग का कार्य तथा घाटों पर जनजागृति हेतु समय-समय पर प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित पेम्पलेट वितरण कार्य किया गया। घाटों पर नर्मदा नदी के संरक्षण संबंधी स्लोगन की वाल राईटिंग कराई गई एवं साईन बोर्ड लगाये गये। अभियान के तहत म.प्र.शासन के पॉलीथीन को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 24/05/2017 की जानकारी दी गई।



दिनांक 05 जून 2017 को धार में आयोजित जन-जागृति रैली

क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन

- 05 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में जन-जागृति, नुककड़ नाटक, चित्रकला व वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, बृक्षारोपण, साइकिल रैली, बाहन मॉनिटरिंग व संगोष्ठी आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रमों में प्लास्टिक धैलियों के विकल्प के रूप में कपड़े की धैलियां भेट की गईं साथ ही उपस्थित अतिथियों व गणमान्य नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक संकल्प भी दिलवाया गया।
- प्लास्टिक की धैलियों का प्रचलन रोकने हेतु समय-समय पर जन-जागृति का कार्यक्रम संपादित किया गया।
- गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा पर पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जन-जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जिला मुख्यालयों में एन.जी.टी. द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु दिये गये निर्देशों के तहत नगरीय निकायों को सी.पी.सी.बी. माईडलाइन अनुसार व्यवस्था करने वालत उज्जैन में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एन.जी.ओ., मूर्तिकार, नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।
- दीपावली पर्व के दौरान अधिक ध्वनि वाले पटाखे पर प्रतिबंध के संबंध में प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने हेतु जन-जागरूकता संबंधी कार्य तथा ध्वनि/परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की गई।



5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उज्जैन में रैली

क्षेत्रीय कार्यालय सागर

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, सागर सिविल लाईन चौराहा में पर्यावरण जन-जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया साथ ही बाहन प्रदूषण मापन, स्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबंध के संबंध में जन-मानस बो पम्पलेट्स बैनर के माध्यम से अवगत कराया गया।
- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिल के मान, सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, मा. विधायक श्री शैलेन्द्र जैन एवं मान, अध्यक्ष नगर-निगम, सागर श्री राजबहादुर सिंह द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया।
- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेशनल मौड़िया फाउण्डेशन के साथ "जल एवं पर्यावरण संरक्षण में मौड़िया की भूमिका" विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय मौड़िया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- दिनांक 16/08/2017 को गणेश/दुर्गा उत्सव के दौरान जल स्त्रोतों में मूर्ति विसर्जन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण हेतु मूर्तिकारों के साथ कार्यालय के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया।



05 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सागर में आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल

- दिनांक 05.06.2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में पर्यावरण जन-जागरूकता कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाहन प्रदूषण मापन, प्लास्टिक बैरी बैग के प्रतिबंध के संबंध में जन-मानस को पैम्पलेट्स, बैनर के माध्यम से अवगत कराया गया।
- दिनांक 18/08/2017 को शहडोल में मूर्ति विसर्जन के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- दिनांक 19/09/2017 को अमरकंटक में पर्यावरण जन-जागृती एवं जल प्रदूषण नियंत्रण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- महाशिवरात्रि पर्व पर अमरकंटक में आयोजित मेले में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता का मापन किया गया। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल एवं विभिन्न सेप्पलिंग बिन्दुओं से जल नमूने एकत्रित कर परीक्षण किया गया। स्थानीय दुकानों में पालिथीन की जाँच स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की गयी।



05 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालय देवास

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, देवास द्वारा निःशुल्क बाहन प्रदूषण जाँच शिविर, चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता, संगोष्ठी, पर्यावरण संरक्षण शपथ के कार्य किये गये।
- 5 जून 2017 को देवास आधिकारिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में बृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- दिनांक 11/08/2017 को, “जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016” के संबंध में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें जिले के नर्सिं होम एसोसिएशन के सदस्यों ने धारा लिया।
- दिनांक 14/10/2017 को, दीपावली पर्व के दौरान पटाखों से होने वाले घटनि एवं वायु प्रदूषण के संबंध में विभिन्न स्कूलों में जन-जागरूकता कार्यक्रम किये गये तथा प्रदूषणमुक्त दीपावली मनाने वाले आम जनता को प्रेरित किया गया।
- दिनांक 14/01/2018 मकर संक्रान्ति तथा नर्मदा जयंती पर्व के दौरान नेमावर स्थित घाटों की साफ-सफाई हेतु अभियान चलाया गया साथ ही नदी संरक्षण से संबंधित पोस्टर, बैनर के माध्यम से जन-जागरूकता कार्यक्रम किये गये।
- प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को रोकने हेतु स्थानीय निकायों के सहयोग से छापामार कार्यवाही की गई।



दिनांक 14.01.18 को मकर संक्रान्ति के अवसर पर नेमावर स्थित घाटों की साफ-सफाई अभियान

क्षेत्रीय कार्यालय रीवा

- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रीवा शहर में परिवेशीय बायु गुणवत्ता, घनिस्तर मापन, पौलीथीन से संबंधित जागरूकता पम्पलेट्स वितरण किया गया। एन.जी.ओ. के साथ जन-जागरण, संगोष्ठी, बृक्षारोपण एवं रैली का आयोजन भी किया गया जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, स्कूली छात्र-छात्राएं, पर्यावरण प्रेमी एवं पत्रकार गण द्वारा सहभागिता दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उद्योग एवं व्यापार म.प्र. शासन एवं जिलाध्यक्ष रीवा द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया जाकर सम्बोधित किया गया, इसके उपरांत पर्यावरण जन-जागरण रैली शहर के पौलीकोटी से प्रमुख बाजार से होते हुए निकाली गई।
- दिनांक 24.08.2017 को, मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जलाशयों के क्षरण एवं प्रदूषण से बचाने हेतु कार्यशाला एवं जनजागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनुबिभागीय दण्डाधिकारी श्री के.के. पाण्डेय, समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया।
- दिनांक 15.08.2017 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी, अंतर विद्यालयीन एवं अंतर महाविद्यालयीन निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
- दिनांक 25.10.17 को दीपावली के अवसर पर पटाखों के होने वाले प्रदूषण नियंत्रण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई।



दिनांक 25.10.17 रीवा में दीपावली के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण हेतु आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय छिन्दवाडा

- 5 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायड़ेकर की अध्यक्षता में पॉलीथीन मुक्त छिन्दवाडा मुहिम को प्रारम्भ किया गया। नगर-निगम, छिन्दवाडा एवं बोर्ड की संयुक्त कार्यवाही के तहत वेस्ट पॉलीथीन एकत्रिकरण का कार्य संपादित कराया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें भा. केन्द्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे।
- औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव में वृक्षारोपण का कार्य एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज के साथ किया गया।
- पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्कूली छात्र-छात्राओं की चित्रकला प्रतियोगिता की गई तथा विजेता छात्रों को पुरस्कार वितरण किया गया।
- गणेश/दुर्गा उत्सव के दौरान छिन्दवाडा एवं समस्त तहसीलों में प्राकृतिक जल स्त्रोतों में मूर्तियों एवं पूजा सामग्री का विसर्जन नहीं करने हेतु जन-जागरण कार्य किया गया तथा पृथक से मूर्ति विसर्जन के कुण्ड का निर्माण कराया गया।
- दीपावली पर्व के दौरान समाचार-पत्रों के माध्यम से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में तथा प्रदूषणमुक्त दीपावली मनाने हेतु जनजागृता संबंधी कार्य किया गया।



दिनांक 05 जून 2017 को छिन्दवाडा में आयोजित जन-जागृति रैली

क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली

- 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता, बृक्षारोपण तथा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें पेम्पलेट वितरण, बैनर, पर्यावरण रथ ध्रुमण आदि से जन सामान्य को पर्यावरण संरक्षण संबंधित एवं पौलिथीन उपयोग सीमित करने वाले जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान क्षेत्रीय विद्यायक श्री रामलल्लू वैश्य तथा महापौर श्रीमती प्रेमवती खंडवार भी उपस्थित रहे।
- दिनांक 17.07.2017 को सिंगरौली में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- गणेश उत्सव के दौरान ईको फ्रेन्डली मूर्ति निर्माण करने हेतु तथा मूर्तियों के जल स्वोतों में विसर्जन करने से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में जनजागरूकता हेतु एक द्विसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- दीपावली पर्व के दौरान समाचार-पत्रों के माध्यम से अधिक छवनि वाले पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में तथा प्रदूषणमुक्त दीपावली मनाने हेतु जनजागरूकता संबंधी कार्य किया गया।



5 जून 2017 को पर्यावरण दिवस पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय सतना

- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सतना में एक मैराथन दौड़, चित्रकला प्रतियोगिता, पर्यावरण संगोष्ठी, बाहन मॉनिटरिंग का आयोजन किया गया।
- दिनांक 18/08/2017 को गणेश/दुर्गा उत्सव पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ईकोफेडली मूर्ति निर्माण तथा सुरक्षित पर्यावरणीय विसर्जन की जानकारी दी गई।
- दिनांक 15/11/2017 को दूषित जल उपचार संबंधी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग प्रतिनिधियों को नवीन तकनीकी की जानकारी दी गई।
- दिनांक 04/12/2017 को प्लास्टिक नियम के संबंध में प्लास्टिक विक्रेता संघ के साथ एक संगोष्ठी की गई, जिसमें नये नियमों की जानकारी से अवगत कराया गया।
- दिनांक 23/03/2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, सतना को ISO 9001 एवं ISO 14001 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ।
- दिनांक 28/03/2018 को ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय, सतना को स्वच्छता के क्षेत्र में नगर पालिका निगम, सतना द्वारा प्रथम पुरुस्कार दिया गया।



दिनांक 18.08.17 को मूर्ति विसर्जन विषय पर आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम दिनांक 02-06 जून 2017 तक कराये गये। 5 जून 2017 को एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें जनप्रतिष्ठि, महापौर ग्वालियर तथा उद्योगों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण किये गये।
- दिनांक 08/09/2017 को “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016” के कियान्वयन हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय प्लास्टिक निर्माता उद्योग प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिनिधियों को नियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा तदानुसार कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।
- गणेश/दुर्गा उत्सव के दौरान क्षेत्र में मूर्तियों के विसर्जन एवं पूजा सामग्री से प्राकृतिक जल स्रोतों को होने वाले दुष्प्रभावों से जन सामान्य को जागरूक किया गया।



दिनांक 05 जून 2017 को ग्वालियर में आयोजित जन-जागृति रैली

क्षेत्रीय कार्यालय कटनी

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, कटनी हारा जन-जागृति कार्यक्रम व बृक्षारोपण संबंधी कार्य कराया गया।
- दिनांक 17/08/2017 को गणेश/दुर्गा उत्सव के दौरान मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन करने के होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में जनजागरूकता हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा क्षेत्र के स्थानीय निकायों में विसर्जन कुण्ड की स्थापना की गई।
- दिनांक 24/03/2018 को "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" विषय पर नगरीय निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया।
- दिनांक 27/03/2018 को "जीव चिकित्सा प्रबंधन नियम, 2016" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित क्षेत्र के नरसिंग होम, अस्पतालों के प्रतिनिधियों को नियमों के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा उसके अनुरूप कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।



दिनांक 24.03.18 को कटनी में ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 पर आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय गुना

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, गुना शहर में शास्त्री पार्क से नगर-पालिका गुना तक पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गुना ज़िले के जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, उद्योग प्रतिनिधि, अस्पतालों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
- दिनांक 30/05/2017 को अशोक नगर, नगर पालिका में ज़िला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से पॉलीथीन कीरी बैग जब्ती संबंधी कार्यवाही की गई साथ ही पम्पलेट वितरण कर जागरूकता कार्यक्रम किया गया।
- दिनांक 01 से 07/06/2017 तक क्षेत्र में वाहन मॉनिटरिंग, परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग संबंधी कार्य किये गये।
- दिनांक 03/06/2017 को इंडियन ऑयल परिसर राधौगढ़ क्षेत्र में दिनांक 04/06/2017 को गेल परिसर, विजयपुर में तथा दिनांक 06/06/2017 को पीलूखेड़ी ज़िला राजगढ़ में वृक्षारोपण कार्य किया गया।



विश्व पर्यावरण दिवस 2017 के अवसर पर पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में
वृक्षारोपण कार्यक्रम

9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दायर किये गये : -

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की घारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मे. नाहर स्पिनिंग मिल (यूनिट-1) ग्राम सिमराई तह, गोहरगंज जिला रायसेन	819/17 24/06/2017	जल अधिनियम की घारा 24(1) एवं 43	जल प्रदूषण फैलाने के कारण।
2	मे. नाहर स्पिनिंग मिल (यूनिट-2) ग्राम सिमराई तह, गोहरगंज जिला रायसेन	820/17 24/06/2017	जल अधिनियम की घारा 24(1) एवं 43	जल प्रदूषण फैलाने के कारण।
3	सिविल सर्वन सह अधीक्षक जिला रायसेन	29/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की घारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
4	शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र औबेदुल्लाहगंज जिला रायसेन	29/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की घारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
5	शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडीदीप जिला रायसेन	29/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की घारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
6	मे० सुरजीत हुण्डई कीकल वर्कशाप फर्म का नाम मे. इशान ऑटोकार्प इंडिया एलएलपी 30-31 अमलतास कॉलोनी चूना घट्टी कोलार रोड शोपाल	26/08/2017	जल अधिनियम की घारा 25,44, एवं 47 एवं वायु अधिनियम की घारा 21,37, एवं 40	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
7	हमीदिया हास्पिटल, भोपाल	10/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
8	शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोधी नगर भोपाल	10/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
9	जिला आयुर्वेदिक हास्पिटल शिवाजी नगर भोपाल	10/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
10	टॉ.बी हास्पिटल ईंदगाह हिल्स भोपाल	10/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
11	ई.एस.आई हास्पिटल रायसेन रोड भोपाल	10/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
12	मे. ब्रेष्टा ऑटोमोटी प्रा. सि प्लाट न. 06 अशोका गार्डन नियर प्रभात पेट्रोल पंप भोपाल	08/02/2018	जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
13	मे. दीपक फास्टनर्स प्रा०लि. ग्राम खोकारी 466001 जिला सीहोर	15/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24, 25, 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
14	मे. अल्का प्रोटिन्स ग्राम भाडखेडी तहा) इच्छावर जिला सीहोर	07/09/2017	जल अधिनियम की धारा 25,47	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करण एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
15	जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद	14/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण द्वायर करने का कारण
16	जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर	14/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
17	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा	1372/17 21/11/2017	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
18	मेसर्स एवरेस्ट इण्डस्ट्रीज लि. कैमोर जिला-कटनी	1873/17 16/06/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 41, 43, 44 तथा 47	सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने के कारण।
19	मे. सचिन गुप्ता लेटराइट एवं फायर बले माइन ग्राम-धौरा तह, विजयराघवगढ़ जिला कटनी माइनस रकवा 5. 00 हेक्टे	23/03/2018	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	बोर्ड द्वारा जारी जल/वायु सम्मति शर्तों में उल्लेखित क्षमता से अधिक उत्खनन करने के कारण।
20	मे. ऋषभ इंटरप्राइजेस रतलाम	1572/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
21	श्रीमती गजेन्द्र कुलंर ग्राम सुनेरा जिला रतलाम	1576/17	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
22	मे. ज्योति इंडस्ट्रीज रतलाम	1577/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
23	मे. अंबिका साल्वेक्स लि. जावरा जिला रतलाम	2170/17	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
24	में. एकता प्रिन्टर्स चैरबगड़ उज्जैन	7/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 व 47 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
25	में. फारुख स्कॉन प्रिंटर्स चैरबगड़ उज्जैन	8/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 व 47 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
26	में. प्रवीण इंडस्ट्रीज उज्जैन	9/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
27	में. हेमंत इंडस्ट्रीज उज्जैन	10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत	जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत बाहर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
28	में. शिवम मल्टीप्लॉस्ट ओ.सी. जिला उज्जैन	6244/17	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बाहर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
29	में. जगदीश धूलजी जाट, ग्राम शंकरपुर जिला उज्जैन	6245/17	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
30	में. आर.के इंडस्ट्रीज (फृड प्रोसेसिंग यूनिट) ओ. सी. उज्जैन	6246/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 के अंतर्गत	जल अधिनियम के अन्तर्गत बाहर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
31	श्री जितेन्द्र सिंह आत्माराम पटेल ग्राम लेकोडा, अंजना	6247/17	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
32	में. समन इंटरप्राइजेस, ग्राम मक्कला जिला उज्जैन	6248/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 व 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा-37 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
33	में यूनिक ड्रग्स लेबोटरीज इंडिया हर्बल डिवीजन ओ.सी. उज्जैन	6249/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
34	श्री रामेश्वर चौधरी, ग्राम जयवंतपुर जिला उज्जैन	6250/17	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत	सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने पर सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण।
35	मे. जीत पैकेजिंग (प्लास्टिक यूनिट) औ. श्री. मकसी रोड उज्जैन	6251/17	जल अधिनियम 1974 की धारा, 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत	जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
36	मे. लैन्पैस इंडिया प्रा.लि. विरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन	4903/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 ए के अंतर्गत	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
37	मे. ग्रेसिम इंड लि. (स्टेपल फार्मिंग डिवीजन) विरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन	4870/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 व 47 के अंतर्गत	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
38	मे. ग्रेसिम इंड लि. (क्रेमिकल डिवीजन) विरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन	4877/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 व 47 के अंतर्गत	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
39	मेसर्स राजाराम एंड बदर्स महू- नीमच रोड मंदसौर	एम.पी 14- 01001659/18	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 के अंतर्गत	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
40	मे. अमृत रिफायनरी मंदसौर	एम.पी 14- 01008875/17	जल अधिनियम की धारा 1974 के 33,44 के अंतर्गत	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
41	मे. राजाराम एंड बदर्स महू- नीमच रोड मंदसौर	सी.एन. आर.एम.पी 14- 01008875/17	जल अधिनियम की धारा 1974 के 33,44 के अंतर्गत	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
42	अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, एन.सी.एल पंजरे भवन सिंगरौली म. प्र एवं अन्य 11	1211/2017 - 13/10/17	वायु अधिनियम, 1981 की धारा 37 व 38	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
43	मेसर्स ग्रेट गैलियन लि. घार	964/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 25,44 व 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39	बोर्ड की वैध सम्मति प्राप्त किये बिना पेट बाटल प्लांट व बॉथलर स्थापित करने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
44	मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदानावर धार	20/09/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
45	मेसर्स भोज चिकित्सालय धार	22/09/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
46	मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंधवानी धार	27/09/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
47	मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनावर धार	27/09/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
48	कैथोलिक हास्पिटल धानी धामनौद धार	5/10/2017	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
49	मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धामनौद धार	5/10/2017	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
50	मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरमपुरी	20/11/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
51	मेसर्स राजेन्द्रगुरु हास्पिटल राजगढ़ धार	16/2018 03/01/18	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
52	मेसर्स सर्वोत्तम पैथालॉजी धार	16/2018 03/01/18	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
53	मेसर्स आनन्द हास्पिटल धार	17/2018 03/01/18	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
54	मेसर्स नोबल हास्पिटल धार	18/2018 03/01/18	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
55	मेसर्स लेखी हास्पिटल पीथमपुर धार	19/2018 03/01/18	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
56	मेसर्स प्रायमरी हेल्थ सेंटर राजगढ़ धार	22/09/17	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
57	मेसर्स मालवीय मेसर्स मालवीय चिकित्सालय धामनौद धार	19/2018 22/09/17	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण
58	मेसर्स इम्पैक्स कमर्शियल प्रा.लि. मह-नीमच रोड लेबड- घाटाविल्लौद धार	294/18 15/03/18	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
59	मेसर्स ट्रैट कोमिकल इण्ड.मेघनगर झाबुआ	717/17 29/04/17	जल अधिनियम की धारा 25 एवं वायु अधिनियम की धारा 21	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
60	मेसर्स आदित्य इन्टर प्राइजेज मेघनगर झाबुआ	4/3/17	जल अधिनियम की धारा 24,25,26,42,43,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
61	मेसर्स जिला चिकित्सालय झाबुआ	22/9/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए, अस्पताल संचालन के कारण।
62	मेसर्स बदाखाला क्लिनिक झाबुआ	19/18 04/01/18	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
63	मेसर्स ओम शिव फूड, लोहगढ़, डबरा, म्बालियर	1/9/2017	जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
64	मेसर्स गुप्ता सल्लेट प्रा. लि. ग्राम हिंगोनाखुर्द मुरैना	198/17 24/7/17	जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
65	मेसर्स कामतानाथ फूड प्राइवेट प्रा.लि.लोहगढ़ डबरा	13/11/17	जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
66	मेसर्स पार्वती स्वॉटनर एवं पॉवर लि.ग्राम सांखनी भितरबार	13/12/17	जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
67	मेसर्स हिन्द सिन्टेक्स लि. पौलखेडी, राजगढ़	593/17 27/06/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 व 41 (2) एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
68	मेसर्स भोपाल ग्लू एवं केमिकल्स प्रा.लि. पौलखेडी	594/17 27/06/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 व 41 (2) एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
69	मेसर्स वेटनरी हॉस्पीटल, शाजापुर	975/17 22/12/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2016 के उल्लंघन के कारण।
70	मेसर्स बसंत पाईप्स इण्डस्ट्रीज शाजापुर	996/17 22/12/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
71	मेसर्स दुग्ध शीत केन्द्र शुजालपुर	997/17 22/12/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
72	मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पालायकला	22/12/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
73	मेसर्स सिविल हास्पिटल शुजालपुर	22/12/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
74	मेसर्स राज पायोनियर लेबोटीज इण्डिया प्रा. लि.देवास	2626/17 29/12/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
75	मेसर्स नगर परिषद पोलायकला शुजालपुर	1581/17 22/12/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियमों के उल्लंघन के कारण।
76	मेसर्स नगर परिषद अकोदिया शुजालपुर	1582/17 22/12/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियमों के उल्लंघन के कारण।
77	मेसर्स नगर पालिका परिषद शुजालपुर	1583/17 22/12/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियमों के उल्लंघन के कारण।
78	मेसर्स कपोरो ट्रयूब इ. लि.देवास	10532/18 13/03/18	सीआरपीपी 378	जल/वायु सम्मति शतों के उल्लंघन के कारण।
79	मेसर्स विमला स्टील्स पीथमपुर	4/09/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
80	मेसर्स रेजीन एण्ड पिगमेंट्स पीथमपुर	4/09/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
81	मेसर्स भगवान मोटसं प्रा. लि.पीथमपुर	4/09/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
82	मे. मेकीन लेबोरेटरीज प्रा.लि.	4/09/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
83	मेसर्स रोकमेट विंग्स पीथमपुर	2723/17 14/09/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
84	मेसर्स सुप्रीम इंजिनीयरिंग वकर्स पीथमपुर	2721/17 14/09/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
85	मेसर्स पी.एस. केमशाफ्ट्स प्रा.लि. पीथमपुर	2720/17 14/09/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
86	मेसर्स बी.एल.एफ पॉलीमर्स प्रा.लि. पीथमपुर	2722/17 14/09/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
87	मेसर्स इन्हस टेक्नोलॉजी पीथमपुर	2719/17 14/09/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
88	मेसर्स डी.जे.लेबोरेटरीज प्रा.लि.पीथमपुर	2724/17 14/09/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
89	मेसर्स स्वास्थ्यक इंडस्ट्रीज गुरुद्वारा रोड बुरहानपुर	2724/17 14/09/17	पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 व 16	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
90	अक्षत गाहन, इन्दौर	3832/17 16/02/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
91	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, इन्दौर	17634/ 17 04/04/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 41 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
92	एम.बाय. हास्पिटल, इन्दौर	69511/17 23/08/2017	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
93	ईडेक्स मेडिकल हास्पिटल, इन्दौर	69507/17 23/08/2017	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
94	मयूर हास्पिटल, इन्दौर	70992/17	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
95	गवर्नमेंट पोली अलीनिक मल्हारगंज, इन्दौर	70998/17	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
96	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिचौली हप्ती, इन्दौर	70998/17	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
97	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कनाड़िया, इन्दौर	70990/17	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
98	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंद्रावतीगंज, इन्दौर	70985/17 29/08/2017	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
99	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमनाला, खरगोन	24/08/2017	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
100	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेडिया, खरगोन	24/08/2017	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
101	कम्प्यूनिटी स्वास्थ्य केन्द्र बेटमा, इन्दौर	70988/17 28/08/2017	पर्यावरण अधिकारी की धारा 15 व 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण।
102	श्री शिवा मार्बल, गंगादेवी नगर, इन्दौर	68422/17 18/08/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
103	श्री महादेव मार्बल, सुखदेव नगर, इन्दौर	68401/17 18/08/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
104	सागर टायर सर्विस, मैकेनिक नगर, इन्दौर	68423/17 18/08/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
105	न्यू मद्रास टायर्स, गुरुनानक मार्केट, इन्दौर	37305/17 24/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
106	महादेव जिनिंग फैक्ट्री, करही, खरगोन	24/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
107	लकी टायर सर्विस, मैकेनिक नगर, इन्दौर	37312/17 24/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
108	टेल्को जिनिंग एंड आईएल पिल, भीकनगाँव, खरगोन	24/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
109	अविल हेल्थ केयर प्रा. लि., पालदा, नेमावर रोड, इन्दौर	37315/17 24/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
110	हरयाणा टायर सर्विस, गुरुनानक मार्केट, इन्दौर	37318/17 24/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
111	शिव ट्यूब मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी, ओ.से., सांवेर रोड, इन्दौर	36341/17 29/08/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
112	अथर्व पोलीमर्स, ओ.से., सांवेर रोड, इन्दौर	36359/17 18/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
113	विनायक रबर इंडस्ट्रीज, ओ.से., सांवेर रोड, इन्दौर	36323/17 18/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
114	खानवलकर इंडस्ट्रीज, ओ.से., सांवेर रोड, इन्दौर	23315/17 18/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
115	एम. कुमार एंड कंपनी, ग्राम- धन्नाड, देपालपुर	36306/17 18/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
116	कस्टूरी इंडस्ट्रीज, ओ.से., निमरानी, खरगोन	4/9/417	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
117	शॉन फार्मास्युटिकल लि, जम्बुरी हप्सी, हातोद रोड, इन्दौर	64422/17 18/08/2017	पर्यावरण अधि. की धारा 15 व 16	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
118	शॉन फार्मास्युटिकल लि, जम्बुरी हप्सी, हातोद रोड, इन्दौर	64417/17 18/08/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
119	टायर लाईफ, 103, मैकेनिक नगर, गुरुनानक मार्केट, इन्दौर	68421/17 18/08/2017	बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
120	रामदेव मार्बल, शीतल नगर, इन्दौर	68424/17 18/08/2017	बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
121	सुविधा टायर सर्विस, गुरुनानक मार्केट, मैकेनिक नगर, इन्दौर	68413/17 18/08/2017	बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
122	एन.के. इंडस्ट्रीज, टिम्बर मार्केट, इन्दौर	68418/17 18/08/2017	बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
123	सोनी इलेक्ट्रोप्लेटस, भागीरथपुरा, इन्दौर	70993/17 28/08/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
124	सन एज फार्मा, औ.से., सांखेर रोड, इन्दौर	70995/17 29/08/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16.	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
125	शिव ट्रायूब मेन्युफैक्चरिंग कंपनी, औ.से., सांखेर रोड, इन्दौर	71001/17 29/08/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
126	कारेटेक्स इंडस्ट्रीज लेण्डरेट प्रा. लि., 200/2 लसूलिहायामोरी, इन्दौर	70986/17 09/12/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
127	स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, गुरुद्वारा रोड, बुरहानपुर	1091/17 01/09/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं बायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ बायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
128	स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, गुरुद्वारा रोड, बुरहानपुर	4271/17 24/10/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
129	बी. बेल्यू होम डेवलपमेंट प्रा. लि., अरविन्दो हास्पिटल के सामने, इन्दौर	36642/17 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
130	सूयश कंस्ट्रक्शन (उत्सव आयोग), छोटा खांगड़ा, इन्दौर	36659/17 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
131	शिवनेरी माहिल एम्पायर, बिचौली मर्दाना, इन्दौर	36653/17 10/02/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
132	स्पेस पार्क, पार्म्स, केट रोड, इन्दौर	36655/17 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
133	सॉइं रॉयल पार्म्स, केट रोड, इन्दौर	36633/17 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
134	पुष्परत्न रियेलिटी प्रा. लि., खजराना, इन्दौर	36648 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
135	निश्चिन ओरा, महालक्ष्मी नगर, पिपल्याकुमार, इन्दौर	36631/17 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
136	एच.आर.ए, डिजाइन प्रा. लि., ग्राम-भौरासला, इन्दौर	36646/17 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
137	डी.एन.एस.एल. इफ्सा लि., पिपल्याकुमार महालक्ष्मीनगर, इन्दौर	36637/17 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
138	दिलपसंद ग्रीन, बिचौली मर्दाना, इन्दौर	3577/17 21/07/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
139	होराईजन ओएसिस ग्रीन, पिपल्याकुमार, इन्दौर	3937/17 01/08/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
140	नवजीवन दाल मिल, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर	3707/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	ठायोग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
141	सचदेवा दाल मिल, पंचकूटीया रोड़, इन्दौर	37096/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
142	घनश्याम ठायोग, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर	37064/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
143	नटराज कार्पोरेशन (जी. डी. ट्रॉडर्स) उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर	3793/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
144	मनोज दाल मिल, टी. एस. नवलखा, इन्दौर	37074/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
145	पवन दाल मिल, नवलखा, इन्दौर	37045/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
146	घनश्याम पल्सेस, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर	3527/17 18/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
147	महालक्ष्मी दाल मिल, नवलखा मेन रोड़, इन्दौर	36379/17 18/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
148	शिवशंकर पल्स मिल, 30/6, नवलखा, इन्दौर	37089/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
149	अमृत दाल मिल, शंकरबाग, नवलखा, इन्दौर	37092/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
150	दिनेश कुमार गोविन्दलाल, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर	37074/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
151	रामस्वरूप शिवनारायण गोयल, नवलखा, इन्दौर	3521/17 17/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
152	ओमप्रकाश एंड ब्रदर्स, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर	3526/17 18/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
153	अग्रवाल पल्स एंड पोलीमर्स इंडस्ट्रीज, नवलखा मेनरोड़, इन्दौर	3529/17 17/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
154	शिवनारायण कन्हैयालाल, नवलखा, इन्दौर	3663/17 22/07/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
155	स्वप्निल इंजीनियरिंग एंड एंट्रो प्रोडक्ट, पिपल्याराब, इन्दौर	71642/17 30/08/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
156	गणेश इंजीनियरिंग बवर्स, आौ.से.राठ, इन्दौर	71925/17 01/09/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
157	एस.बी. टायर एंड ट्रेड, लसूलिङ्गा मोरी, देवास नाका, इन्दौर	71915/17 01/09/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
158	ए.आर. टायर्स सर्विस, मैकेनिक नगर, इन्दौर	71928/17 01/09/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
159	सूरेसिल पैकेजिंग प्रा. लि., पिपल्याराब, इन्दौर	71922/17 01/09/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
160	कार्टेक्स इंडस्ट्रीज लेण्डरेटे प्रा. लि., लसूलिङ्गा मोरी, इन्दौर	70986/17 09/12/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।
161	गुरुकृष्ण पोलीमर्स, उद्योग नगर, पालदा, इन्दौर	70994/17 29/08/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्पति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
162	केम्पस पोलीफ्लास्ट प्रा. लि., नेमावर रोड, पालदा, इन्दौर	70987/17 29/08/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
163	आयुष इंडस्ट्रीज, नवलखा, इन्दौर	70991/17 09/12/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
164	प्रहलाद कॉटन कार्पोरेशन, ग्राम-खेड़ीबुरुंग, जुलबानिया रोड, खरगोन	04/09/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
165	गुरुनानक जिनिंग फैक्ट्री, ग्राम-गुड़ी, खण्डवा	31/08/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
166	आनन्द ट्रैडर्स, स्कीम नं. 54, इन्दौर	70990/17 29/08/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
167	परिषय (सतगुरु) रिसोर्ट, 21 माल के सामने, इन्दौर	70989/17 29/08/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
168	लक्षण गृह निर्माण सहकारी संस्था, खजराना, इन्दौर	719/17 01/09/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
169	टेक्समो पाईप एंड प्रोडक्ट लि., बुरहानपुर	5188/17 27/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
170	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि., बुरहानपुर	5190/17 27/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
171	इनो फ्लेक्स प्रा. लि. यूनिट-2, सोबर रोड, इन्दौर	382956/17 08/11/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
172	आकाश ग्लोबल फूड्स प्रा. लि., कुमेडी, इन्दौर	84591/17 24/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
173	श्री बालाजी हाईंग, औ. क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	801478/17 26/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
174	लकी सौप फैक्ट्री, औ. क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	1480/17 26/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
175	पायोनियर हाईंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	84592/17 24/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
176	संदीप सौप फैक्ट्री, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	81273/17 24/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
177	तपस्वी फलालेन, औ. क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	3801478/17 26/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
178	विनय टेक्सटाइल्स, औ. क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	3801779/17 26/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
179	चंचशील आर्गेनिक्स, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	3802954/17 09/11/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
180	बोरा कोमिकल्स, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	229 /17 01/01/2018	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
181	केहीएम टेक्सटाइल्स, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	3802956 /17 14/11/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
182	नवजीवन हाईंग एंड प्रिंटिंग, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	3802953/17 14/11/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
183	इम्प्रो सोया लेसीथीन प्रा. लि., औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	84589/17 03/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
184	धनलक्ष्मी टेक्सटाइल्स प्रोसेसिंग मिल्स, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर	84725/ 03/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
185	गोकुल एंड्रो सौप फैक्ट्री, अगरबत्ती कॉम्प्लेक्स, सांवेर रोड, इन्दौर	84783/17 03/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
186	डायमंड प्लास्टिक, औ. क्षे, सांवेर रोड, इन्दौर	84590/17 03/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
187	बेल्को इंडिया लि., औ.क्षे सांवेर रोड, इन्दौर	84768/17 03/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
188	विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी, औ.क्षे, सांवेर रोड, इन्दौर	84754/17 03/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
189	स्लाटर हाउस कोट बोर्ड, मह., इन्दौर	78795/17 06/10/2017	जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
190	पटारिया स्टोन क्रशर यू.-२ ग्राम अमझर जबलपुर	20138/17 15/09/2017	वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
191	नवदीप स्टोन क्रशर ग्राम मानेगांव जबलपुर	20143/17 15/09/17	वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
192	गोविंद यादव स्टोन क्रशर ग्राम कुण्डम. जबलपुर	20145/17 15/09/17	वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
193	दिलीप यादव स्टोन क्रशर ग्राम अमझर	20141/17 13/09/2017	वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
194	धाम्यश्री स्टोन क्रशर ग्राम अमझर जबलपुर	202244/17	वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
195	गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मसी प्रा.लि. कट्टगी रोड जबलपुर	20279/17	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
196	सरकार हास्पिटल करमचंद चौक जबलपुर	1176/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
197	गोरखपुर हेल्प होम मैन रोड गोरखपुर जबलपुर	1179/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
198	सिल्वर ओक हास्पिटल नेपियर टाडन जबलपुर	1173/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
199	हर्ष हेल्प केयर हास्पिटल प्रा.लि. कमला नेहरूनगर जबलपुर	1171/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
200	ग्रोवर मल्टी स्पेशियलिटी एण्ड टामा सेंटर राईट टाडन जबलपुर	1174/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
195	गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मसी प्रा.लि. कटंगी रोड जबलपुर	20279/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
196	सरकार हास्पिटल करमचंद चौक जबलपुर	1176/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
197	गोरखपुर हेल्प होम मैन रोड गोरखपुर जबलपुर	1179/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
198	सिल्वर ओक हास्पिटल नेपियर टाडन जबलपुर	1173/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
199	हर्षे हेल्प केयर हास्पिटल प्रा.लि. कमला नेहरूनगर जबलपुर	1171/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
200	ग्रोवर मल्टी स्पेसियलिटी एण्ड टामा सेंटर राईट टाडन जबलपुर	1174/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
211	अस्थिनी हास्पिटल कटंगी रोड जबलपुर	21123/17 4/10/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
212	हिन्दुस्तान हास्पिटल सिविक सेन्टर जबलपुर	21126/17 4/10/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
213	धामस नसिंग होम आजाद नगर रांझी जबलपुर	21127/17 4/10/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
214	पूजा नसिंग होम बलदेवाग जबलपुर	21129/17 4/10/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
215	बंसल सुपर टेक क्लीनिक सुखेजा टावर राइटाडन जबलपुर	21124/17 4/10/2017	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
216	रामसुजान अवस्थी डेयरी फार्म ग्राम कर्दाराखेड़ा जबलपुर	21505/17 7/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
217	हरीसिंह डेयरी फार्म ग्राम कर्दाराखेड़ा जबलपुर	21502/17 7/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	ठायोग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
218	विजय खत्री डेयरी फार्म ग्राम सालीबाड़ा, जबलपुर	21499/17 7/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
219	सतपाल डेयरी फार्म ग्राम परियट, जबलपुर	21507/17 7/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
220	पसरीचा डेयरी फार्म ग्राम गौरथाघाट, जबलपुर	21498/17 7/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
221	साई एक्वा मिनरल्स अमखेरा रोड जबलपुर	1224/17 5/10/2017	जल अधिनियम की धारा -33 क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
222	मालती आइसक्रीम औ.स्के, जबलपुर	1227/17 5/10/2017	जल अधिनियम की धारा 33क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
223	लोटस इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर	1228/17 5/10/2017	जल अधिनियम की धारा 33क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
224	नेचुरल मेडीकामेन्ट्स प्रा. लि. बिलहरीघाट रोड जबलपुर	1283/17 5/10/2017	जल अधिनियम की धारा 33क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
225	बर्मा पेट्रोलियम कं. ग्राम सकरा पाटन जबलपुर	21467/17 6/10/2017	वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
226	तिलकराज एंड कं. औ. स्के. अधारताल जबलपुर	21465/17 6/10/2017	जल अधिनियम की धारा 33क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
227	शर्मा डेयरी ग्राम-जमतरा जबलपुर	1290/17 11/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
228	भोला डेयरी ग्राम-मंदराखेड़ा जबलपुर	1289/17 11/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
229	खलिन्दर डेयरी, ग्राम कन्द्राखेड़ा जबलपुर	2995/17 12/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
230	बबू रामचन्द्र डेवरी, ग्राम-कन्दाखेड़ा जबलपुर	21710/17 10/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
231	गुणकृपा डेवरी, परियट जबलपुर	21718/17 10/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
232	भाईजान डेवरी, कन्दाखेड़ा जबलपुर	27345/17 12/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
233	सुभाष बलहारा डेवरी, कन्दाखेड़ा जबलपुर	2134/17 12/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
234	नन्द डेवरी, कन्दाखेड़ा जबलपुर	21712/17 10/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
235	मिजाम डेवरी, परियट जबलपुर	21717/17 10/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
236	नरेन्द्र डेवरी, झूँझिनगर जबलपुर	21711/17 10/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
237	सिकन्दर बलहारा डेवरी, परियट जबलपुर	2882/17 12/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
238	शर्मा डेवरी, जमतरा, जबलपुर	1290/17 11/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
239	सुधीर पटेल डेवरी, परियट जबलपुर	22575/17 24/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
240	राजेश यादव डेवरी, कन्दाखेड़ा जबलपुर	22333/17 24/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^{वां} का 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
241	विजय डेयरी फार्म, कन्दाखेड़ा जबलपुर	22667/17 24/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
242	मोनू डेयरी फार्म, छण्डि नगर जबलपुर	22576/17 24/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
243	ललित भजन डेयरी, इमलिया जबलपुर	25403/17 31/10/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
244	प्रकाश तिवारी डेयरी, कन्दाखेड़ा जबलपुर	24249/17 9/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
245	मन्टा डेयरी, परियट जबलपुर	24243/17 9/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
246	बड़ेरिया डेयरी, इमलिया जबलपुर	24629/17 14/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
247	उमेश डेयरी, कन्दाखेड़ा जबलपुर	24675/17 14/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
248	प्रखीण डेयरी, परियट जबलपुर	24248/17 9/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
249	गण्ठ डेयरी, कन्दाखेड़ा जबलपुर	24247/17 9/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
250	सेवा डेयरी, कन्दाखेड़ा जबलपुर	24246/17 9/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
251	मास्टर डेयरी, खेड़ी जबलपुर	242473/17 14/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33 ^क 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
252	दर्शन डेयरी, परियट, जबलपुर	24245/17 9/11/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'के 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
253	रजनीश डेयरी, इमालिया, जबलपुर	1479/17 8/12/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'के 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
254	चौबे डेयरी परियट, जबलपुर	1476/17 6/12/2017	जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'के 41, 43 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
255	खीकल फैक्ट्री जबलपुर	2777/18 7/2/2018	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
256	506 आर्मी बेस बर्केशाप जबलपुर	2779/18 7/2/2018	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण।
257	शुक्ला नर्सिंग होम वार्ड नं. 16 बालाघाट	1095/17 20/09/17	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
258	अनुश्री हॉस्पिटल एवं अन्य बालाघाट	220/18 14/03/2018	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
259	इदनानी नर्सिंग होम कट्टगी बालाघाट	43/2018 22/03/2018	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
260	आनंद टाईल्स औद्योगिक क्षेत्र गर्ग बालाघाट	1094/17 20/9/2017	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
261	नर्मदा स्टोन क्रशर, बड़गाँव	1174/17 23/10/17	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 39	वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
262	चितरंजन लाल बेगड आईनरी ब्लै माईन ग्राम- दहोंगडवा 2 एकड बालाघाट	1175/17 23/10/17	जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 का उल्लंघन बाबत्	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
263	दिलीप कुमार दहाडे आईनरी ब्लै माईन बालाघाट	1173/17 23/10/17	जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 का उल्लंघन बाबत्	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
264	चितरंजन लाल बेगड आईनरी ब्लै माईन ग्राम- घलसुआ 2 एकड बालाघाट	1172/17 23/10/17	जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 का उल्लंघन बाबत्	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
265	महाजन नरसिंग होम एवं अन्य, बालाघाट	221/18 14/03/2018	पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत
266	वैभव लक्ष्मी आर.सी.सी. पाइप इंडस्ट्रीज ग्राम सुआखेड़ा	8/2017 3/10/2017	वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44.	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
267	श्रीकृष्ण आटो मोबाइल एन.एच.7 जबलपुर रोड सिवनी	07/2017 3/10/2017	वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44.	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
268	बीना प्लास्टिक यू.2 औ. क्षे.सिवनी	10/2017 3/10/2017	वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44.	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
269	बीना प्रोडक्ट औ.क्षे. सिवनी	06/2017 3/10/2017	वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44.	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।
270	तरंग पालीमस्स औ.क्षे. सिवनी	09/2017 3/10/2017	वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44.	जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण।

उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर प्रकरणों में दोषी उद्योगों को दिया गया दण्ड

- 1 मेसर्स प्रतिभा सिंथेटिक्स प्रा.लि. धार के विरुद्ध बोर्ड द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार के न्यायालय में जल अधिनियम की धारा 25,24 सहपठित धारा 43 एवं 44 के अन्तर्गत बगैर अनुमति के उत्पादनरत रहने तथा निस्सारित दृष्टि जल निधीरित मानकों तक उपचारित व्यवस्था नहीं करने के कारण दिनांक 7/4/11 को बाद दायर किया गया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31/7/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को। वर्ष 06 माह के सभ्रम कारबास एवं प्रत्येक धारा में 5000-5000/-रूपये अर्थात प्रत्येक आरोपी को कुल 10,000-10,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का पृथक से साधारण कारबास की सजा दी गई।
- 2 मेसर्स राजेन्द्र शर्मा स्टोन क्रेशर सिंधीडा, इन्दौर के विरुद्ध स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में वायु अधिनियम की धारा 21 एवं सहपठित धारा 37 एवं 40 के तहत स्टोन क्रेशर बोर्ड की बगैर सम्मति के संचालित करने के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 6/12/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को उक्त धाराओं के अन्तर्गत दोषी पाते हुये न्यायालय अवसान अवधि तक के कारबास एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 02-02 माह का पृथक से कारबास की सजा दी गई।
- 3 मेसर्स सुखायु हास्पिटल एवं मेटरनिटी होम राठ, इन्दौर के विरुद्ध स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत जीव चिकित्सा नियम 1999 के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किये अवशिष्टों का प्रथकरण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, उपचार एवं व्ययन नियमानुसार नहीं करने के कारण अस्पताल संचालित करने के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 18/01/18 को निर्णय पारित कर आरोपियों को उक्त धाराओं के अन्तर्गत दोषी पाते हुये रूपये दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से व अभियुक्त 02 को न्यायालय अवसान अवधि तक के कारबास व रूपये 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 02-02 माह का पृथक से कारबास की सजा दी गई। साथ ही उक्त राशि से कुल रूपये बीस हजार बोर्ड को दिये जाने के आदेश दिये गये।
- 4 मेसर्स नर्सिंग वाटिका, इन्दौर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर के न्यायालय में दिनांक 8/10/10 को वायु अधिनियम की धारा 21 सहपठित धारा 37 व 40 के तहत बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने व जनरेटर संचालित करने के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 11/09/17 को उक्त धारा में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं रु. 10,000-10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि जमा न किये जाने पर तीन-तीन माह का कारबास भुगतने की सजा दी गई।
- 5 मेसर्स नर्सिंग वाटिका, इन्दौर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर के न्यायालय में जल अधिनियम की धारा 44 व सहपठित धारा 47 के तहत बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने व बिना अनुमति के दृष्टि जल निस्सारण हेतु सीबेज डिस्पोजल सिस्टम बनाये जाने कारण वर्ष 2010 में बाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 13/10/17 को उक्त धारा में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं प्रत्येक अभियुक्त को रु. 10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि जमा न किये जाने पर तीन-तीन माह का कारबास भुगतने की सजा दी गई।

- 6 मेसर्स इंद्रप्रस्थ गार्डन, इन्दौर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में दिनांक 8/10/10 को बायु अधिनियम की धारा 21 सहपठित धारा 37 व 40 के तहत बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने व जनरेटर संचालित करने के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे मान, न्यायालय द्वारा दिनांक 11/09/17 को उक्त धारा में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं रु 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि जमा न किये जाने पर तीन-तीन माह का कारावास भुगतने की सजा दी गई।
- 7 मेसर्स सहगल इंटर प्राईजेज, सलैया कटनी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के न्यायालय में बिना बैध सम्मति के उघोग का संचालन करने के कारण बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 का उल्लंघन बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 38 प्रकरण क्रमांक 366/2007 दिनांक 7/2/07 को दायर किया गया था। दिनांक 30/12/17 को मा. न्यायालय द्वारा आरोपियों को धारा-37(1) के अन्तर्गत 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रु. के अर्थदण्ड धारा-38 (घ) के तहत 03 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रु. के अर्थदण्ड उपरोक्त दोनों सजाएँ एक साथ चलेगी अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये अभियुक्त को एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 8 मेसर्स सहगल इंटर प्राईजेज, सलैया कटनी बिना बैध सम्मति के उघोग का संचालन करने के कारण बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 38 प्रकरण क्रमांक 364/2007 दिनांक 7/2/07 को दायर किया गया था। जिसे दिनांक 30/12/17 को मा. न्यायालय द्वारा आरोपियों को धारा-37(1) के अन्तर्गत 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रु. के अर्थदण्ड धारा-38 (घ) के तहत 03 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रु. के अर्थदण्ड उपरोक्त दोनों सजाएँ एक साथ चलेगी अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये अभियुक्त को एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 9 मेसर्स पी.सी.शर्मा माइंस, कटनी बिना अनुमति के उल्पादनरत रहने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 व 26 का उल्लंघन करने के कारण तथा बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 का उल्लंघन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-43,44 एवं 45 बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 38 प्रकरण क्रमांक 1771/2005 दिनांक 22/11/05 को दायर किया गया था। दिनांक 10/03/18 को मा. न्यायालय द्वारा आरोपियों को धारा-37(1) के अन्तर्गत 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रु. के अर्थदण्ड धारा-38 (घ) के तहत 03 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रु. के अर्थदण्ड उपरोक्त दोनों सजाएँ एक साथ चलेगी अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये अभियुक्त को तीन माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 10 मेसर्स डालिफन मार्बल प्रा.लि., बहोरीबंद कटनी बोर्ड की अनुमति के बगैर माइंस संचालन करने के कारण बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 का उल्लंघन बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 38 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-44 व 45 प्रकरण क्रमांक 1324/2012 दिनांक 30/4/12 को दायर किया गया था। दिनांक 15/03/18 को मा. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी फर्म को बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 व 37 के अन्तर्गत रु.10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- 11 मेसर्स गुरुकृपा एग्रोटेक प्रा.लि., मालनपुर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में दिनांक 04/06/10 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की घारा-43 सम्मति नवीनीकरण कराये बिना उत्पादनरत रहने, दूषित जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने, सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे दिनांक 29/12/17 को मा. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर आरोपियों को अधिनियम की घारा-43 सहपठित घारा-24 के तहत 01 वर्ष छै: माह-01 वर्ष छै: माह के साधारण कारबास और 1,000/- एक-एक हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अधियुक्त को एक-एक माह का अतिरिक्त कारबास की सजा दी गई।
- 12 मेसर्स चिमनलाल राबल एंड संस मैगनीज माईन, कटंगी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी जिला-बालाघाट के न्यायालय में दिनांक 26/4/06 को बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की घारा-37 बिना अनुमति के मैगनीज अयस्क एवं क्वाटर्ज का उत्खनन करने के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे दिनांक 30/6/17 को मा. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर आरोपियों को 02 वर्ष के सश्रम कारबास और 10,000/- दस हजार रु. के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि जमा करने में व्यतिक्रम पर आरोपी को 04 माह का सश्रम कारबास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 13 मेसर्स रायबहादुर श्रीराम एंड क.प्रा.लि. चिकमारा मैगनीज माईन कटेदरा, कटंगी जिला बालाघाट के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी जिला-बालाघाट में दिनांक 26/4/06 को बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की घारा-37 बिना अनुमति के मैगनीज अयस्क का उत्खनन करने के कारण बाद दायर किया गया था जिसे दिनांक 12/9/17 को मा. न्यायालय द्वारा आरोपियों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारबास और 10,000/- 10,000/- दस दस हजार रु. के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि जमा करने में व्यतिक्रम पर आरोपी को 04-04 माह का सश्रम कारबास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 14 मेसर्स रायबहादुर श्रीराम एंड क.प्रा.लि. सेलवा मैगनीज माईन कटेदरा कटंगी जिला बालाघाट के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी जिला-बालाघाट के न्यायालय में प्रकरण दिनांक 26/4/06 को बायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की घारा-37 बिना अनुमति के मैगनीज अयस्क का उत्खनन करने के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 12/9/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारबास और 10,000/- 10,000/- दस दस हजार रु. के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि जमा करने में व्यतिक्रम पर आरोपी को 04-04 माह का सश्रम कारबास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 15 मेसर्स जयदीप ग्लास इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., पीथमपुर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार के न्यायालय में दिनांक 28/7/11 को जल अधिनियम 1974 की घारा 44 व 41(2) के तहत सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/11/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को दोनों घाराओं में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष 06-06 माह का सश्रम कारबास तथा रु.5000-5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा व्यतिक्रम की स्थिति में दो-दो माह के साधारण कारबास से दण्डित किया गया।
- 16 मेसर्स केंद्रिय ग्रेट गैलियन सेजबाया, धार के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार के न्यायालय में दिनांक 28/8/02 को जल अधिनियम 1974 की घारा 43, 44 व 47 के तहत बगैर सम्मति के उत्पादनरत रहने तथा निस्सारित दूषित जल निर्धारित मानकों तक उपचारित न करने के कारण बाद दायर किया गया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21/11/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को दोनों घाराओं में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष 06-06 माह का सश्रम कारबास तथा रु.5000-5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा व्यतिक्रम की स्थिति में दो-दो माह के साधारण कारबास से दण्डित किया गया।



10. बोर्ड के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2017-18 के संबंध में वित्तीय जानकारी एवं आंकड़े अपरीक्षित लेखों से लिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत किया गया है। जल अधिनियम की धारा-40(4) के अनुरूप वैधानिक लेखा परीक्षण हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) व वायु (प्रदूषण सम्भावित है) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षा निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन माननीय विधानसभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानों अनुसार वर्ष 2016-17 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 12.03.2018 को माननीय सदन के पटल पर रखा जा चुका है।

बोर्ड की आय व प्राप्तियाँ :

बोर्ड की आय के साथनों में सम्मति, सम्मति नवीनीकरण, प्राधिकार, प्राधिकार का नवीनीकरण, जल विश्लेषण, वायु मापन व वाहन प्रदूषण मापन आय के प्रमुख स्रोत हैं इस के अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संचालन हेतु राज्य मापन व केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान भी आय का एक स्रोत है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर शासन व केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान भी आय का एक स्रोत है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर शासन व केन्द्र शासन को भेजी जाती थी व कुल भेजी गई राशि से अधिकतम 80 प्रतिशत राशि स्थापना, इनकोरमेंशन एवं केन्द्र शासन को भेजी जाती थी व कुल भेजी गई राशि से अधिकतम 80 प्रतिशत राशि स्थापना, इनकोरमेंशन एवं टेक्नोलोजी तथा प्रदूषण नियंत्रण के कारों हेतु बोर्ड को प्राप्त होती थी। देश में जीएसटी लागू होने के पश्चात् दिनांक 30.06.2017 से उपरोक्त अधिनियम समाप्त कर दिया गया है। जिसके कारण इस मद के अन्तर्गत आय का स्रोत खत्म हो चुका है। वर्ष 2017-18 के अपरीक्षित लेखों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से बोर्ड को लगभग रु. 7848.16 लाख की चुका है। वर्ष 2017-18 के अपरीक्षित लेखों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से बोर्ड को लगभग रु. 448.66 लाख, राज्य शासन प्राप्तियाँ हुई हैं। उपरोक्त राशि में केन्द्र शासन से बोर्ड को प्राप्त जल उपकर का अंश राशि रु. 1215.00 लाख सम्मिलित है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु राशि रु. 223.38 लाख प्राप्त हुई है।

व्यय एवं भुगतान:

बोर्ड की गतिविधियों को संचालित करने हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग राशि रु. 6132.23 लाख अपरीक्षित लेखों के आधार पर व्यय हुआ है। व्यय की प्रमुख मर्दों में प्रशासकीय एवं स्थापना, आवर्ती व पूँजीगत व्यय प्रमुख है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान किये गये व्यय में 73.90 प्रतिशत प्रशासनिक एवं स्थापना, 11.66 प्रतिशत पूँजीगत व 14.44 प्रतिशत आवर्ती व्यय है।

राज्य अनुदान प्रस्ताव वर्ष 2018-19 :

राज्य शासन द्वारा माँग संख्या-71 के अन्तर्गत शीर्ष क्रमांक-2215 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुदान योजना क्रमांक 8049 के तहत राशि रु 1819.89 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त अनुदान के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास, सर्वे एवं मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरणीय प्रशिक्षण/कार्यशाला/जन-जागृति/सूचनाओं का आदान-प्रदान, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना तथा नर्मदा सेवा मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

11. राज्य बोर्ड द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य

11.1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित किया जाता है। जिसका निर्धारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जल उपकर के रूप में प्राप्त राशि भारत सरकार को भेजी जाती है। जहां से इसका 80 प्रतिशत अंश राज्य बोर्ड में वित्तीय संसाधनों के सुदृढ़िकरण हेतु प्राप्त होता है।

निम्नलिखित तालिका में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का व्यौरा प्रस्तुत किया गया है:-

वर्ष	निर्धारित उद्योगों की संख्या	निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या	एकत्रित उपकर/केन्द्र शासन को भेजी गई राशि रूपये लाख में	केन्द्र शासन से प्राप्त राशि रूपये लाख में
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	2086	380	349.00	448.65

नोट:- वस्तु एवं सेवा कर केन्द्रीय अधिनियम, 2017 लागू होने के कारणवश 01 जुलाई 2017 से जल उपकर निर्धारण कार्य समाप्त हो गया है।

11.2 बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं क्रियान्वयन

प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को आम जन तक पहुंचाने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.mp.gov.in पर संचालित है। इस पर सम्मति प्रबंधन की जानकारी, पर्यावरणीय विषयों की जानकारी, अधिनियम/नियम/नोटिफीकेशन/आदेशों की जानकारी एवं पर्यावरण गुणवत्ता के अन्तर्गत परिवेशीय बायु गुणवत्ता, एवर क्वालिटी इंडेक्स तथा जल गुणवत्ता परिणाम शामिल है, जिनका नियमित संधारण एवं अपडेशन का कार्य किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन के अन्तर्गत फ्लाईएश उपयोग, ई-वेस्ट प्रबंधन एवं परिसंकटमय अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रदेश की जानकारी प्रदर्शित है। समय समय पर बोर्ड द्वारा प्रसारित अनुदेश, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी साइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

बोर्ड की वेबसाइट पर निविदा, साक्षात्कार, पर्यावरण पुरस्कार आवेदन पत्र एवं लोक सुनवाई के अन्तर्गत परियोजना का कार्यकारी सारांश, तकनीकी प्रस्तुतिकरण आदि जानकारी को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।



Madhya Pradesh Pollution Control Board

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रमुख सेवाएँ इनमें से कौन सी उपलब्ध हैं ?

प्रमुख सेवाएँ

कृषि बोर्ड

प्रमुख सेवाएँ इनमें से कौन सी उपलब्ध हैं ?

All Industries / Institutions are responsible

प्रमुख सेवाएँ

- प्रमुख सेवाएँ इनमें से कौन सी उपलब्ध हैं ?
- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ इनमें से कौन सी उपलब्ध हैं ?
- प्रमुख सेवाएँ

प्रमुख सेवाएँ इनमें से कौन सी उपलब्ध हैं ?

- प्रमुख सेवाएँ इनमें से कौन सी उपलब्ध हैं ?
- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ

प्रमुख सेवाएँ

- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ

"Safe Water, Safe Environment"

**BIRMAN DECLARATION
REGIONAL CONFERENCE OF NATIONAL
GREEN YOUTH FORUM (NGYF)
20 JULY 2017, AMRITSAR**

NGYF के सदस्यों ने अमृतसर अंडमान विद्यालय की ओर से जल प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन का आरंभ करना चाहा।

प्रमुख सेवाएँ

- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ

प्रमुख सेवाएँ

- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ
- प्रमुख सेवाएँ

एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर

"ईज़ आफ ड्रैग बिजेस" के अन्तर्गत शासन से प्राप्त दिये निर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा निम्नानुसार सम्मति/प्राधिकार/रजिस्ट्रेशन कार्य कम्प्यूटराईज्ड ऑनलाईन व्यवस्था से संचालित किया जा रहा है :-

- जल/वायु सम्मति
- परिसंकटमय अपशिष्ट प्राधिकार
- बायो मेडिकल अपशिष्ट प्राधिकार
- ठोस अपशिष्ट प्राधिकार (नगरीय ठोस अपशिष्ट)
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रजिस्ट्रेशन

उपरोक्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुतीकरण एवं इनके निराकरण की कार्यवाही एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है। एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर एवं इसका डेटा बेस स्टेट डेटा सेन्टर (एमपीएसडीसी) के सर्वर पर स्थापित है। सॉफ्टवेयर के संचालन एवं संचारण का कार्य बोर्ड आईटीसेल में निकसी द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर डेवलपर (मेनपॉवर) द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार अपग्रेडेशन एवं सतत संचालन हेतु कार्य किया जाता है। विगतवर्ष में निम्नानुसार प्रमुख कार्य/सुविधा एक्स.जी.एन. सॉफ्टवेयर में किये गये हैं :-

- एक्सजीएन साटवेयर को 'TRIFAC' के सॉटवेयर से इंटीग्रेट किया है।
- ठोस अपशिष्ट मेनेजमेन्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट मेनेजमेन्ट के माध्यूल संचालित किये गये।
- 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्पत्ति से संबंधित जानकारी को एक्सजीएन के माध्यम से सीपीसीबी के ई-समीक्षा पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया।
- बोर्ड द्वारा दिनांक 15 जून 2017 को जारी लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों की सूची अनुसार एक्सजीएन में सेक्टर की सूची अपडेट की गई।
- एक्सजीएन के मुख्य पृष्ठ को रीडिजाइन किया गया एवं इसमें विभाग का लागिन एवं उद्योगों का लागिन पृथक किया गया।
- एक्सजीएन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया।

M.P. Pollution Control Board
2018 - Online Complaint Management System

राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची

1.	श्री अनुपम राजन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (प्रभुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग)	अध्यक्ष
2.	प्रभुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल	सदस्य
3.	प्रभुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, भोपाल	सदस्य
4.	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें, भोपाल	सदस्य
5.	मुख्य बन संरक्षक, बन विभाग, भोपाल	सदस्य
6.	आयुक्ता-सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	सदस्य
7.	श्रीमती अर्चना गुहड़ सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, छतरपुर	सदस्य
8.	श्री हरभजन शिवहरे, ई-8/21, भरत नगर, ओरेग कॉलोनी, भोपाल	सदस्य
9.	श्री अभय दरे, 45 द्वारिका, विहार कॉलोनी, तिली वार्ड, सांगर	सदस्य
10.	श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7, जैन पाठशाला, गंजबासीदा, जिला विदिशा	सदस्य
11.	कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल	सदस्य
12.	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल	सदस्य
13.	श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	सदस्य सचिव

विभागीय संरचना



प्रयोगशाला संरचना

मुख्यालय भोपाल केन्द्रीय प्रयोगशाला

केन्द्रीय प्रयोगशाला



■ आंचलिक कार्यालय

■ केन्द्रीय कार्यालय

■ सिंगल बिंडो सिस्टम

**वर्ष 2017-18 में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले
उद्योगों / संस्थानों / खदानों की सूची**

क्र. उद्योग का नाम

1. मेसर्स रिलायंस इण्हस्ट्रीज लिमिटेड, (मलटीपरपज केमिकल टर्मिनल), भौती बकानिया, भोपाल
2. पारसहोह मध्यम उद्योग सिंचाई परियोजना (मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग), पचार, बैतूल
3. होरियापीपर सेप्ह बवारी कलस्टर (एम.पी. माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड), होरियापीपर होशंगाबाद
4. छोपानेर माइक्रो उद्योग सिंचाई परियोजना (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण), छोपानेर, सीहोर
5. मेसर्स खण्डेलवाल मेटल वर्क्स, (ग्रेनाइट खदान) ग्राम-दतया-शाहगढ़, जिला-सागर
6. मेसर्स परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना, ग्राम-बकसवाहा, तह. ब जिला-सागर
7. मेसर्स सागर एम.एस.हस्त्यू साल्यूशन प्रा.लि. ग्राम-मसवासी ग्रंट, तह. ब जिला-सागर
8. मेसर्स मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना, ग्राम-मझगाँय तह. अजयगढ़ जिला-पन्ना
9. मेसर्स बंशीबाले स्टोन क्रोसर, ग्राम गुंधारा, सर्वे क्र. 865, जिला खालियर
10. मेसर्स मेडीकेयर इन्वारमेंट्स मैनेजमेंट प्रा.लि., जडेझाआ, मुरैन
11. मेसर्स हेक्स सर्जिको ग्राम आंतरी सर्वे क्र. 331/2, तहसील-चिनोर, खालियर
12. मेसर्स ओम स्पेलटर एण्ड रोलर्स प्रा.लि., ग्राम भरवरी, तहसील, चिनोर, खालियर
13. मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., इन्दौर न्यू आई.आर.डी. मांगलिया, जिला इन्दौर
14. मेसर्स आवसा मीडियम ऐरिगेशन प्रोजेक्ट, ग्राम नई चौटी, ब्लाक बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर
15. मेसर्स इन्द्रा सागर प्रोजेक्ट (केनाल), छैगाँव माखन लिट माइक्रो सिंचाई योजना, ग्राम ढोगर गाँव, तहसील पंथाना, जिला खण्डवा
16. मेसर्स हरसूद लिट सिंचाई योजना, ग्राम नन्दगाँव, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा
17. मेसर्स नर्मदा बेली हेवलपमेंट अथरिटी, बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजना, ग्राम बलवाड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन
18. मेसर्स नर्मदा बेली हेवलपमेंट अथरिटी, बिस्टान लिट सिंचाई योजना, ग्राम बड़गाँव, तहसील गौगांव, जिला खरगोन
19. मेसर्स दुर्गा खांडसारी (शुगर) मिल्स, ग्राम मेन्दराना, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी
20. मेसर्स कैलाज जैन चौरहिया, मैगनीज और माईन, खसरा न. 273/1-8, 274, 275, 276/1, 276/2, 277 ग्राम मिरगपुर तह.0 खैरलांजी, जिला बालाधाट, लीज क्षेत्रफल 9.311 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 400 मै.टन प्रति वर्ष की खदान
21. मेसर्स श्री सुनील कुमार कलवानी, अर्जुनी मैगनीज और माईन, खसरा न. 237/1, 237/2, 238/1, 238/2, 238/3, 239/3, 240/1, 4/9/10/11, 251/2 ग्राम अर्जुनी तह.0 कटंगी, जिला बालाधाट, लीज क्षेत्रफल 3.238 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 2658 मै.टन प्रति वर्ष की खदान
22. मेसर्स खत्री मिनरल्स एंड माईनिंग कम्पनी, सिलुआ झांसी आयरन और एवं ब्लू डस्ट माईन, खसरा न. 000 ग्राम सिलुआ झांसी, तह.0 सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 4.56 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 20114 टन प्रति वर्ष हेतु
23. मेसर्स खत्री मिनरल्स एंड माईनिंग कम्पनी, सिलुआ झांसी आयरन और एवं ब्लू डस्ट माईन, खसरा न. 000 ग्राम सिलुआ झांसी, तह.0 सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 4.49 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 20114 टन प्रति वर्ष हेतु

24. मेसर्स श्रीकांत पांडे, मैगनीज, लेटेराईट एवं आयरन ओर माईन, खसरा न० 348, 350, 443-761, 414, 349, 351 ग्राम हिरदानगर, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लौज क्षेत्रफल 4.67 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 35255 टन प्रति वर्ष हेतु की खदान
25. मेसर्स मेहीकेयर इन्वायरनमेंट प्रा.लि., सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ., मनेरी, मंडला
26. मेसर्स श्री शारदा प्रसाद जैसवाल, मोहला लेटेराईट, बाक्साईट एवं फायरबल्स माईन, खसरा न. 01 ग्राम मोहला, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लौज क्षेत्रफल 5.90। हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 10000 टन प्रति वर्ष से 162237 टन प्रति वर्ष करने हेतु
27. मेसर्स अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिरगपुर मैगनीज ओर माईन, फारेस्ट कम्पार्टमेंट न. 51 (ए.एवं बी) ग्राम मिरगपुर तह. कट्टंगी, जिला बालाघाट, लौज क्षेत्रफल 130.0 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 26460 मै.टन प्रति वर्ष की खदान
28. मेसर्स एअरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया द्वारा ग्राम झुमना, गढ़ेरी एवं चकदेही, जिला जबलपुर में स्थित एअरपोर्ट के प्रस्तावित विस्तार करने हेतु
29. मेसर्स शोभा मिनरल्स, केवलारी लेटेराईट, मैगनीज, आयरन ओर एवं येलो ओकर माईन, खसरा न. 99 ग्राम केवलारी, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लौज क्षेत्रफल 4.03 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 307235 टन प्रति वर्ष हेतु
30. मेसर्स निर्मला मिनरल्स, आयरन ओर डिपोजिट माईन, खसरा न. 407/1 (पुराना) 8/1 भाग (नया) ग्राम धुधरीकला, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लौज क्षेत्रफल 8.59 हेक्टेयर का उत्खनन क्षमता 2,00,000 टन प्रति वर्ष हेतु
31. मेसर्स आनन्द माईनिंग कार्पोरेशन, आयरन ओर डिपोजिट माईन, खसरा न. 407/1 (पुराना) 668/1 भाग (नया) ग्राम धुधरीकला, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लौज क्षेत्रफल 8.26 हेक्टेयर का उत्खनन क्षमता 1,78,510 टन प्रति वर्ष हेतु
32. मेसर्स मैगनीज और इंडिया लि., मैगनीज ओर माईनिंग, खसरा न. 59/1-59/8, 62/1-62/12, 63, 89/1-89/21, 96/1-96/5, 97/1-97/5, 99/1-99/3, 100/1, 100/2 एवं 101 ग्राम लगमा तहो चैहर, जिला बालाघाट, लौज क्षेत्रफल 48.974 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 0.120 एम.टी.पी.ए. (मिलियन टन प्रति वर्ष) की खदान हेतु
33. मेसर्स श्री मुकुल खम्परिया, बिजैया आयरन ओर एवं मैगनीज माईन, खसरा न. 101 ग्राम बिजैया, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लौज क्षेत्रफल 27.61 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 1,59,992 टन प्रति वर्ष हेतु
34. मेसर्स महाओंड्री मिनरल्स एंड कंमिकल्स द्वारा मैगनीज आक्साईड, मैगनीज डाईआक्साईड एवं अन्य फैरोएल्डियन निर्माण हेतु खसरा न. 248/2, 249/2, 248/3 एवं 249/3, ग्राम कुम्हाली तह. खैरलाजी, जिला बालाघाट में प्रस्तावित उद्योग हेतु
35. जल संसाधन विभाग डिविजन- मनावर, धार
36. जल संसाधन विभाग डिविजन- धार
37. म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (इन्वैर) लि., मेघनगर
38. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि., मनावर
39. मेसर्स बंदर सीमेंट लि., खैरवास, बदनावर
40. मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा. लि., ग्राम गुरसल (8.5941 हेक्टेयर), जिला धार
41. मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा. लि., ग्राम गुरसल (6.773 हेक्टेयर), जिला धार
42. मेसर्स गेट गैलियन लि. लेवड चौकी, धार
43. मेसर्स नर्मदा धाटी विकास प्रधिकरण, सौंडवा, अलीराजपुर
44. मेसर्स ओएसिस डिस्टलरीज, बोराली
45. मेसर्स एस.आर.फैरोएल्डियन, अलीराजपुर

46. मेसर्स वैक मेट इंडिया लि. ठंडीनी, धार
47. मेसर्स वसुधा मिनरल्स, मालेगांव तहसील सौसर जिला छिंदवाड़ा
48. मेसर्स ए.सी.सी.सीमेन्ट लि. कैमोर बडारी माइन्स रकवा 1.093 हेक्टेयर जिला कटनी
49. मेसर्स ए.सी.सी.सीमेन्ट लि. कैमोर बडारी माइन्स रकवा 1.21 हेक्टेयर जिला कटनी
50. मेसर्स मावित्री मिनरल्स बाक्साइट लेटराइट माइन्स ग्राम टिकारिया रकवा 8.094 हेक्टेयर जिला कटनी
51. मेसर्स इस्माईल एण्ड संस लाइम स्टोन माइन्स ग्राम विस्तरा रकवा 7.358 हेक्टेयर जिला कटनी
52. मेसर्स एम.एन.दुबास लाइम स्टोन माइन्स ग्राम विस्तरा रकवा 4.578 हेक्टेयर जिला कटनी
53. मेसर्स एस.एन.एस.एण्ड क. लाइम स्टोन माइन्स ग्राम पोंडी रकवा 4.76 हेक्टेयर जिला कटनी
54. मेसर्स मदन लाल ग्रोवर लाइम स्टोन माइन्स ग्राम सलैया पहराई रकवा 4.12 हेक्टेयर जिला कटनी
55. मेसर्स मदन लाल ग्रोवर लाइम स्टोन ढोलोमाइट माइन्स ग्राम सलैया पहराई रकवा 4.69 हेक्टेयर जिला कटनी
56. मेसर्स मदन लाल ग्रोवर लाइम स्टोन ढोलोमाइट माइन्स ग्राम सलैया पहराई रकवा 9.84 हेक्टेयर जिला कटनी
57. मेसर्स मदन लाल ग्रोवर लाइम स्टोन ढोलोमाइट माइन्स ग्राम सलैया पहराई रकवा 4.65 हेक्टेयर जिला कटनी
58. मेसर्स अरुनेद्र प्रताप सिह लाइम स्टोन एण्ड ढोलोमाइट माइन्स ग्राम जमुखानीकर्ता रकवा 5.958 हेक्टेयर जिला कटनी
59. मेसर्स एस.एन.एस मिनरल्स लि. लाइम स्टोन ढोलोमाइट माइन्स ग्राम जमुखानी कला रकवा 3.50 हेक्टेयर जिला कटनी
60. मेसर्स सेन्ट्रल इंडिया माइनिंग कार्पो.ग्राम मोहनिया लाइम स्टोन एण्ड ढोलोमाइट माइन्स रकवा 2.33 हेक्टेयर जिला कटनी
61. मेसर्स सेन्ट्रल इंडिया माइनिंग कार्पो.ग्राम घटगवाँ सुनहरा लाइम स्टोन एण्ड ढोलोमाइट माइन्स रकवा 4.13 हेक्टेयर जिला कटनी
62. मेसर्स आरिफ अहमद माइन्स ग्राम घटगवाँ सुनहरा लाइम स्टोन एण्ड ढोलोमाइट माइन्स रकवा 9.35 हेक्टेयर जिला कटनी
63. मेसर्स श्री किशोर कुमार बगड़िया लाइम स्टोन माइन्स ग्राम रजरवारा रकवा 3.73 हेक्टेयर जिला कटनी
64. मेसर्स किशन चंद बदलानी लाइम स्टोन एण्ड ढोलोमाइट माइन्स ग्राम सुनहरा रकवा 4.20 हेक्टेयर जिला कटनी
65. मेसर्स श्री अनिल नागरथ लाइम स्टोन माइन्स ग्राम कछगवाँ रकवा 1.821 हेक्टेयर जिला कटनी
66. मेसर्स एन.सी.एल. जयत (क्षमता विस्तार), जिला सिंगरीली
67. मेसर्स सिंह विनायक मिनिरल्स लाइम स्टोन माइन्स ग्राम खोधया, तहसील मैहर रकवा 4.547 हेक्टेयर जिला सतना
68. मेसर्स एस.एन.एस.मिनिरल्स लिमि. ग्राम भटूरा तहसील मैहर रकवा 4.047 हेक्टेयर जिला सतना
69. मेसर्स हुकुमचंद स्टोन लाइम कं. भटूरा लाइम स्टोन माइन्स तहसील मैहर रकवा 5.529 हेक्टेयर जिला सतना
70. मेसर्स श्री अजय कुमार पाठक, रामपुर चौरासी, तहसील रघुगंगनगर रकवा 8.094 हेक्टेयर जिला सतना
71. मेसर्स प्रसेनजीत सिंह पिपरहट लाइम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माइन्स ग्राम पिपरहट, तहसील मैहर रकवा 8.68 हेक्टेयर जिला सतना
72. मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका कुबरी लाइम स्टोन, जले एवं बक्साइट माइन्स ग्राम कुबरी तहसील मैहर रकवा 69.301 हेक्टेयर जिला सतना
73. मेसर्स एस.एन.एस.मिनिरल्स लिमि. तिलौरा लाइम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माइन्स ग्राम तिलौरा तहसील मैहर रकवा 3.774 हेक्टेयर जिला सतना

**वर्ष 2017-18 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले
उद्योगों / संस्थानों / खदानों की सूची**

- क. उद्योग का नाम
1. मेसर्स ट्रायडेन्ट लिमिटेड, बुधनी, जिला सीहोर
 2. मेसर्स एन.टी.पी.सी., सेलदा, खरगोन
 3. नगरनिगम इन्दौर
 4. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट प्रा. लि., सीतापुरी ब मोहनपुरा लाईम स्टोन खदान, मनावर/गंधवानी, जिला-धार
 5. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट प्रा. लि. (सीमेन्ट प्लांट, प्रस्तावित), मनावर, जिला-धार
 6. मेसर्स वेकमेट लि., औद्योगिक क्षेत्र ठजैनी, जिला-धार
 7. मेसर्स मुजलान एनर्जी, बदनावर, जिला-धार
 8. मेसर्स ग्रैट गैलियन लि., घाटाचिल्लौद, जिला-धार
 9. मेसर्स ओएसिस डिस्टलरी, बदनावर, जिला-धार
 10. मेसर्स गेल लि., झाकुआ
 11. मेसर्स कश्यप स्वीटनर्स लि., बदनावर, जिला-धार
 12. मेसर्स एस.ई.सी.एल. सोहागपुर एरिया जिला शहडोल
 13. मेसर्स एस.ई.सी.एल. हसदेव एरिया जिला अनूपपुर
 14. मेसर्स एस.ई.सी.एल. जोहिला एरिया जिला रमरिया
 15. मेसर्स एन.टी.पी.सी.लिमिटेड विन्ध्याचल सुपर वर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज 01 से 05 तक) जिला सिंगरीली
 16. मेसर्स एन.सी.एल कोल माइंस प्रोजेक्ट, अमलोरी, जिला सिंगरीली
 17. मेसर्स एन.सी.एल कोल माइंस प्रोजेक्ट, दुधिचुआ, जिला सिंगरीली
 18. मेसर्स हिन्डलको महान एल्युमिनियम, बरगवी, जिला सिंगरीली
 19. मेसर्स जे.पी.निगरी सुपर वर्मल पावर प्रोजेक्ट निगरी, तहसील सरई, जिला सिंगरीली
 20. मेसर्स एन्जिनीयरिंग सीमेन्ट लि., जिला सतना

**वर्ष 2017-18 में दृष्टित जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने
वाले वृहद्, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची**

- क्र. उद्योग / संस्थान / खदान का नाम
1. मेसर्स गैलेक्सी भोपाल व्हीकल प्रा.लि. (व्हीकल वर्कर्शॉप), बाबड़ियाकलां, भोपाल
 2. मेसर्स पावर आटो हीलर्स प्रा.लि. (व्हीकल वर्कर्शॉप), होशंगाबाद रोड, भोपाल
 3. मेसर्स भोपाल गैरेज सर्विस स्टेशन (व्हीकल वर्कर्शॉप), कोलार रोड, भोपाल
 4. मेसर्स भोपाल गैरेज सर्विस स्टेशन (व्हीकल वर्कर्शॉप), बैरसिया रोड, भोपाल
 5. मेसर्स अट्रेक्टिव आटोमोबाईल्स (व्हीकल वर्कर्शॉप), इन्द्रपुरी, भोपाल
 6. मेसर्स अट्रेक्टिव आटोमोबाईल्स (व्हीकल वर्कर्शॉप), अशोका गार्डन, भोपाल
 7. मेसर्स आर.एम.आटोलिंक (व्हीकल वर्कर्शॉप), एम.पी.नगर, भोपाल
 8. मेसर्स भोपाल केयर हास्पिटल, भोपाल
 9. मेसर्स एचीएम हास्पिटल, भोपाल
 10. मेसर्स सिल्वर लाईन हास्पिटल, भोपाल
 11. मेसर्स डीएचआरसी, भोपाल
 12. मेसर्स सेन्ट्रल हास्पिटल, भोपाल
 13. मेसर्स शिवालय हास्पिटल, भोपाल
 14. मेसर्स अग्रबाल हास्पिटल (मेटरनिटी एण्ड चेस्ट केयर सेन्टर), भोपाल
 15. मेसर्स ए.एस.जी. हास्पिटल, भोपाल
 16. मेसर्स रोशन हास्पिटल, भोपाल
 17. मेसर्स लाईफ केयर हास्पिटल, भोपाल
 18. मेसर्स चिरंजीव नर्सिंग होम, भोपाल
 19. मेसर्स सुदिति हास्पिटल, भोपाल
 20. मेसर्स मनन हास्पिटल, भोपाल
 21. मेसर्स नवोदय केसर हास्पिटल, भोपाल
 22. मेसर्स अंतश्री हास्पिटल, भोपाल
 23. मेसर्स मिराकल हास्पिटल, भोपाल
 24. मेसर्स विश्वोई हास्पिटल, भोपाल
 25. मेसर्स पौलीवाल हास्पिटल, भोपाल
 26. मेसर्स एल.बी.एस.हास्पिटल, भोपाल
 27. मेसर्स गेस्ट्रो केयर हास्पिटल, भोपाल
 28. मेसर्स एम.जे. हास्पिटल, भोपाल

29. मेसर्स बैरसिया जनरल हास्पिटल, भोपाल
30. मेसर्स किंड केयर हास्पिटल, भोपाल
31. मेसर्स वेदान्ता हास्पिटल, भोपाल
32. मेसर्स नेचर हास्पिटल, भोपाल
33. मेसर्स डॉलिफिन हास्पिटल, भोपाल
34. मेसर्स प्रांजल हास्पिटल, भोपाल
35. मेसर्स सीईटीपी गोविंदपुरा, भोपाल
36. मेसर्स आईलॉण्ड्री, भोपाल
37. मेसर्स रिधिल इलेक्ट्रोकल्स प्रा.लि., भोपाल
38. मेसर्स सुरजीत हुन्डई, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल
39. मेसर्स लेण्डमार्क कार प्रा.लि. गोविंदपुरा, भोपाल
40. मेसर्स संस्कृति मैरिज गार्डन, रायसेन रोड, भोपाल
41. मेसर्स गैलेक्सी हास्पिटल, भोपाल
42. मेसर्स चिरायु हास्पिटल, मालीपुरा, भोपाल
43. मेसर्स श्री एम फेक्चर हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, भोपाल
44. मेसर्स अंकुर मेटरनिटी एण्ड नर्सिंग होम, भोपाल
45. मेसर्स सेवा सदन आई हास्पिटल, भोपाल
46. मेसर्स गुरु आशीष हास्पिटल, भोपाल
47. मेसर्स शारदा हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, भोपाल
48. मेसर्स भोपाल फेक्चर हास्पिटल, भोपाल
49. मेसर्स अवीसेना मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल, भोपाल
50. मेसर्स अक्षय हास्पिटल, भोपाल
51. मेसर्स ग्लोबल मल्टी सुपरस्पेशलिटी हास्पिटल, भोपाल
52. मेसर्स बी.एस. सकलेचा हास्पिटल, भोपाल
53. मेसर्स उबन्तु हार्ट इन्सटीट्यूट, भोपाल
54. मेसर्स सहारा फेक्चर एण्ड जनरल हास्पिटल, भोपाल
55. मेसर्स श्री सांई हास्पिटल, भोपाल
56. मेसर्स मेयो हास्पिटल, भोपाल
57. मेसर्स मनोरिया हास्पिटल, भोपाल
58. मेसर्स माताश्री नेत्रालय हास्पिटल, भोपाल
59. मेसर्स आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, भोपाल
60. मेसर्स आरकेडीएफ यूनीवर्सिटी, भोपाल
61. मेसर्स सीएफएसएल, भोपाल

62. मेसर्स ब्लू बबल्स इण्डस्ट्रीयल लॉण्ड्री, रायसेन
63. मेसर्स सौ.जे. जिलेटिन लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
64. मेसर्स राजस्थान ड्यूग, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
65. मेसर्स एरेस्टो फार्मास्यूटीकल्स प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
66. मेसर्स आरोग्य हास्पिटल, मण्डीदीप, रायसेन
67. मेसर्स कांति चिकित्सा (प्रा.) लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
68. मेसर्स टी.एस.एस. फूड, उदयपुरा, रायसेन
69. मेसर्स अन्वी फूहस, पिपलियामीरा, सीहोर
70. मेसर्स सिद्धार्थ हास्पिटल, आष्टा, सीहोर
71. मेसर्स पुष्प कल्याण हास्पिटल, आष्टा, सीहोर
72. मेसर्स केयर हास्पिटल, आष्टा, सीहोर
73. मेसर्स निदान हास्पिटल, सीहोर
74. मेसर्स अल्फा प्रोटीन्स प्रा.लि. भाकखेड़ी, सीहोर
75. मेसर्स सपना फूड इण्डस्ट्रीज, सीहोर
76. मेसर्स लायन फेब्रिक्स लिमिटेड, सीहोर
77. मेसर्स भिल्क चिलिंग सेन्टर (भोपाल सहकारी दुग्ध संघ), सीहोर
78. मेसर्स बैतूल फ्रेक्चर हास्पिटल, बैतूल
79. मेसर्स आशीर्वाद हास्पिटल, बैतूल
80. मेसर्स संजीवनी हास्पिटल, बैतूल
81. मेसर्स बैष्णव हास्पिटल, हरदा
82. मेसर्स पल्स हास्पिटल, हरदा
83. मेसर्स प्रियंका नर्सिंग होम, हरदा
84. मेसर्स भागवती नर्सिंग होम, हरदा
85. मेसर्स सिटी हास्पिटल, हरदा
86. मेसर्स सिटी नर्सिंग होम, हरदा
87. मेसर्स रेखा हास्पिटल, हरदा
88. मेसर्स तुष्टि नर्सिंग होम, हरदा
89. मेसर्स काकाजी हास्पिटल, हरदा
90. मेसर्स मानकर ट्रामा एण्ड मेटरनिटी केयर सेंटर, हरदा
91. मेसर्स सदभावना हास्पिटल, हरदा
92. मेसर्स त्रिपाठी नर्सिंग होम, हरदा
93. मेसर्स सावरिया एग्रो ऑयल्स लिमिटेड, (राईस हिवीजन यूनिट-2), होशंगाबाद
94. मेसर्स मां शारदा हास्पिटल, होशंगाबाद

95. मेसर्स केशव हास्पिटल, होशंगाबाद
96. मेसर्स मेन्ट जोसेफ हास्पिटल, होशंगाबाद
97. मेसर्स गुप्ता नर्सिंग होम, होशंगाबाद
98. मेसर्स मनीष हास्पिटल, होशंगाबाद
99. मेसर्स केशव चाइल्ड केयर हास्पिटल, होशंगाबाद
100. मेसर्स रेवा नर्सिंग होम, होशंगाबाद
101. मेसर्स न्यू पाण्डेय हास्पिटल, होशंगाबाद
102. मेसर्स आर्डनेन्स फैक्ट्री, इटारसी, होशंगाबाद
103. मेसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद
104. मेसर्स प्रगति फूड्स, पिपरिया, होशंगाबाद
105. मेसर्स कृष्णा रिसोर्ट एण्ह मैरिज गार्डन, इटारसी, होशंगाबाद
106. मेसर्स राजेश्वरी मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
107. मेसर्स नर्मदा नमन मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
108. मेसर्स गीता भवन मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
109. मेसर्स केसटी मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
110. मेसर्स आकाश ज्योति हास्पिटल, विदिशा
111. मेसर्स डॉ. हरिशंकर हास्पिटल, विदिशा
112. मेसर्स सुन्दर डेयरी, विदिशा
113. मेसर्स बिनायक मैरिज गार्डन, विदिशा
114. मेसर्स आशीबाद मैरिज गार्डन, विदिशा
115. मेसर्स तुलसी मैरिज गार्डन, विदिशा
116. मेसर्स जालौरी मैरिज गार्डन, विदिशा
117. मेसर्स बृन्दावन मैरिज गार्डन, विदिशा
118. मेसर्स कपूर गार्डन, विदिशा
119. मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (एस.एफ.डी.) नागदा, जिला उज्जैन
120. मेसर्स अश्रवाल सोया, नीमच
121. मेसर्स फिल्टरको, नीमच
122. मेसर्स होटल शेल्टर इन, बस स्टैण्ड छतरपुर
123. मेसर्स होटल ऊपा बुदेला, खजुराहो, छतरपुर
124. मेसर्स होटल यश लाजिस्टिक, खजुराहो, छतरपुर
125. मेसर्स अनुराग सिटी मॉल, छतरपुर
126. मेसर्स भाग्योदय तीर्थ हास्पिटल, सागर
127. मेसर्स श्री चैतन्य हास्पिटल, सागर

128. मेसर्स गणेश नर्सिंग होम, सागर
129. मेसर्स किलकारी चाईल्ड हास्पिटल, सागर
130. मेसर्स खन्ना यूरोलॉजी, सागर
131. मेसर्स शांति नर्सिंग होम, सागर
132. मेसर्स सागरश्री हास्पिटल, सागर
133. मेसर्स श्री अरविंद हास्पिटल होम, सागर
134. मेसर्स चौबे हास्पिटल, छतरपुर
135. मेसर्स प्रेमरूपा नर्सिंग होम, छतरपुर
136. मेसर्स डॉ. एम.पी.एन. खरे हास्पिटल, छतरपुर
137. मेसर्स चौहान नर्सिंग होम, नौगाँव छतरपुर
138. मेसर्स पालीबाल चाईल्ड हास्पिटल, दमोह
139. मेसर्स रामराजा सुपर मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल, ओरछा, टीकमगढ़
140. मेसर्स वी.आर. आयिल, ए.बी. रोड, मुरेना
141. मेसर्स विक्रम बूली, जी.एच.- 1 से 4, मालनपुर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिण्ड
142. मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीष्म, प्लॉट नं. टी- 1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालनपुर, जिला भिण्ड
143. मेसर्स मॉन्टेज इंटरप्राइज प्रा.लि., एल.-1, बिरोंगी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालनपुर, जिला भिण्ड
144. मेसर्स हार्षित टेक्सटाइल, बिरलानगर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्वालियर
145. मेसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्रा.लिमि., एसईजे३ पीथमपुर, जिला धार
146. मेसर्स एम.पी.ए.के.ली.एन.इन्डौर लिमि. कॉमन सॉविएज ट्रीटमेंट प्लॉट, एसईजे३ फोस-1, पीथमपुर, जिला धार
147. मेसर्स दुर्गा फूड प्रोडक्ट, इन्डौर
148. मेसर्स सन साईन कार, 01, महावीर नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्डौर
149. मेसर्स तुलसी अमृत प्रा.लि., सेक्टर डी, सोवेर रोड इन्डौर
150. मेसर्स जबलपुर मोटर्स, 3। मैकेनिक नगर इन्डौर
151. मेसर्स प्यूरोकेयर, मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर
152. मेसर्स साधी ब्रदर्स (इन्डौर) प्रा.लि. पिपल्याकुमार, देवास नाका इन्डौर
153. मेसर्स असीम टेक्नोलॉजी प्रा.लि., 25/बी, लक्ष्मीबाई औ.से.इन्डौर
154. मेसर्स यूल इंजेक्शन 53/1, लसूडिया मोरी देवास नाका, इन्डौर
155. मेसर्स साई पॉलीमर्स
156. मेसर्स इण्डस मेगा फूड पार्क प्रा.लि., निमरानी,
157. मेसर्स एसोसिएट अल्कोहल एण्ड नेवरीज प्रा.लि., चुरहानपुर, खरगोन
158. मेसर्स श्री अंटोमोबाईल्स प्रा.लि., इन्डौर
159. मेसर्स गुर्जर फाईटोकेम, सेक्टर-डी, औ.से.इन्डौर
160. मेसर्स पूर्णी इन्का इण्डिया प्रा.लि. (सेन्ड माईन प्लॉट) पूर्णी, खरगोन

161. मेसर्स लीला फूड प्रा.लि. निमरानी, खरगोन,
162. मेसर्स प्योर एंड श्योर फूड बाईट्स प्रा.लि., इन्दौर,
163. मेसर्स सी.ई.टी.पी. (सांचेर रोड औद्योगिक क्षेत्र) नगर निगम, इन्दौर
164. मेसर्स भास्कर व्हिक्टोरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि. यूनिट-2, इन्दौर
165. मेसर्स सहज हास्पिटल, इन्दौर
166. मेसर्स स्वयंबर गार्डन, इन्दौर
167. मेसर्स एच.आर.रिसोर्ट एंड मैरिज गार्डन, इन्दौर
168. मेसर्स शिवसुंदर एंड कॉफीनी (होटल रेडिएंट), इन्दौर
169. मेसर्स रिलायबल इफाबूल (कल्याणम होटल), इन्दौर
170. मेसर्स रॉयल आर्चिड गार्डन, इन्दौर
171. मेसर्स इंदौर मल्टीफंक्शनल प्रा.लि. (होटल यूनिट), इन्दौर
172. मेसर्स बिंजालिया फार्म्स एंड रिसोर्ट, इन्दौर
173. मेसर्स अंबर गार्डन, इन्दौर
174. मेसर्स घंडारी फार्म्स एंड रिसोर्ट, इन्दौर
175. मेसर्स मध्यंक ब्लू बाटर पार्क (मैरिज गार्डन), इन्दौर
176. मेसर्स नरसिंह बाटिका, इन्दौर
177. मेसर्स ओमनी रेसीडेंसो (मैरिज गार्डन), इन्दौर
178. मेसर्स पप्या ट्री होटल एंड रिसोर्ट, इन्दौर
179. मेसर्स उत्तम होटल एंड रिसोर्ट, बुरहानपुर
180. मेसर्स राजश्री अपोलो हास्पिटल, इन्दौर
181. मेसर्स आम्बे प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
182. मेसर्स आयुष प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
183. मेसर्स देव एलम एण्ड कोमिकल्स, खरगोन
184. मेसर्स गायत्री कोटिंग, बुरहानपुर
185. मेसर्स कमल प्रोसेस, बुरहानपुर
186. मेसर्स महाराजा प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
187. मेसर्स श्री राम प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
188. मेसर्स सप्ताष्ट प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
189. मेसर्स सुनीता इलेक्ट्रोप्लेटर्स, 7/1, झौ.क्षे. रामबली नगर, इन्दौर
190. मेसर्स श्रुति स्नेक्स, इन्दौर
191. मेसर्स अग्रवाल हिस्टलरी प्रा.लि. बहवाह, खरगोन
192. मेसर्स सी.आई.एल. टेक्सटाइल लि., शिवनगर, इन्दौर
193. मेसर्स खण्डवा आईल लि. (यूनिट-1), खण्डवा

194. मेसर्स वियरईट ग्लोबल, भीलपुरा, खरगोन
195. मेसर्स ट्रेन्ट कोमिकल्स लि., मेघनगर, जिला-ज्ञानुआ
196. मेसर्स कृष्णा फॉस्केम प्रा. लि. (यूनिट-३), नवीन इकाई, मेघनगर, जिला-ज्ञानुआ
197. मेसर्स द्वीमोस कोमिकल्स, मेघनगर, जिला-ज्ञानुआ
198. मेसर्स अंजनिया इंडस्ट्रीज, मेघनगर, जिला-ज्ञानुआ
199. मेसर्स क्ली ई कार्परिंग्स क्लीकल्स लि., बस बॉडी प्लान्ट, बगह, जिला-धार
200. मेसर्स मारेवा शुगर्स प्रा. लि., नर्मदानगर, कुक्सी, जिला-धार
201. मेसर्स होटल रॉयल पैलेस-१, मांडव, जिला-धार
202. मेसर्स वेकमेट इंडिया लि., औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला-धार
203. मेसर्स मेघनगर फार्माकेम प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला-ज्ञानुआ
204. मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-पोडार, तहसील-गाहरवारा जिला-नरसिंहपुर
205. मेसर्स नर्मदा जिलेटिन्स लि., भीरगंज, जिला जबलपुर
206. मेसर्स हिस्ट्रुस्टान कॉपर लि., मत्ताजखण्ड, जिला बालाघाट
207. मेसर्स शक्ति शुगर मिल, नरसिंहपुर
208. मेसर्स करेली शुगर मिल, करेली, जिला नरसिंहपुर
209. मेसर्स नगर पालिक निगम जबलपुर
210. मेसर्स ए.पी.त्रिवेदी मैग्नीज और माइन्स, जिला बालाघाट
211. मेसर्स करेली शुगर मिल, करेली, जिला नरसिंहपुर
212. मेसर्स रेवाळू पशुगर मिल प्रा.लि., जिला जबलपुर
213. मेसर्स बंशिका शुगर मिल, ग्राम बिलागुआ, जिला नरसिंहपुर
214. मेसर्स प्रकृति इण्डस्ट्रीज, जिला जबलपुर
215. मेसर्स राज राजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि., जिला नरसिंहपुर
216. मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका मैग्नीज और माइन्स, जिला बालाघाट
217. मेसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन लिमि., जिला मण्डला
218. मेसर्स शिखर जी राईस आलय मिल, जिला सिवनी
219. मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर
220. मेसर्स आनन्द परवायलिंग (यूनिट-२), बालाघाट
221. मेसर्स संचेती राईस मिल, बालाघाट
222. मेसर्स आकाश राईस मिल, बालाघाट
223. मेसर्स श्री परबाईलिंग, बालाघाट
224. मेसर्स अग्नवाल परबाईलिंग, बालाघाट
225. मेसर्स बालाजी परबाईलिंग, बालाघाट
226. मेसर्स चौराहिया ईंडबिल आयल, बालाघाट

227. मेसर्स होटल नर्मदा ब्रैक्सन, सिविल लाईन, जबलपुर
228. मेसर्स मत्य अशोका होटल, राईट टाउन, जबलपुर
229. मेसर्स तथास्तु रिसोर्ट, मैच, सिवनी
230. मेसर्स किपलिंग कोर्ट रिसोर्ट, सिवनी
231. मेसर्स कान्हा सफारी लाज, मुक्की गेट, बालापाट
232. मेसर्स बाईसन हृष्टवे रिसोर्ट, रुखड़, सिवनी
233. मेसर्स स्टैण्डर्ड आटो एजेन्सी, जबलपुर
234. मेसर्स स्पेलहिंड आटो एजेन्सी, जबलपुर
235. मेसर्स कामर्शियल मोटर्स सेल, जबलपुर
236. मेसर्स खटवानी मोटर्स, करमेता, जबलपुर
237. नगर पालिका परिषद मण्डला
238. मेसर्स आदित्य हास्पिटल, जबलपुर
239. मेसर्स सेठ मनूलाल जगन्नाथ हास्पिटल (शैल्पी), विजय नगर, जबलपुर
240. मेसर्स भण्डारी हास्पिटल, जबलपुर
241. मेसर्स बाब्बे हास्पिटल, जबलपुर
242. मेसर्स दुबे सर्जिकल हास्पिटल, जबलपुर
243. मेसर्स रक्षा निधि मेटेलिटी हास्पिटल, जबलपुर
244. मेसर्स सेन्ट्रल इंडिया किंडनी हास्पिटल, जबलपुर
245. मेसर्स लक्ष्मी नारायण हास्पिटल, जबलपुर
246. मेसर्स अनंत हास्पिटल, जबलपुर
247. मेसर्स शंकराचार्य नेत्र चिकित्सालय हास्पिटल, नरसिंहपुर
248. मेसर्स आशीष हास्पिटल, जबलपुर
249. मेसर्स स्वामितक हास्पिटल, जबलपुर
250. मेसर्स संजीव हास्पिटल, जबलपुर
251. मेसर्स जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जबलपुर
252. मेसर्स सिटी हास्पिटल, जबलपुर
253. मेसर्स बेस्ट सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल, जबलपुर
254. मेसर्स साहू हास्पिटल, नरसिंहपुर
255. मेसर्स चिरायु हास्पिटल, जबलपुर
256. मेसर्स मार्बेल सिटी हास्पिटल, जबलपुर
257. मेसर्स ग्रोवर हास्पिटल, जबलपुर
258. मेसर्स कटगा हास्पिटल, मण्डला
259. मेसर्स पाण्डेय हास्पिटल, जबलपुर

260. मेसर्स अशीष हास्पिटल, करोली, नरसिंहपुर
261. मेसर्स शीतल छाया हास्पिटल, जबलपुर
262. मेसर्स अशिल हास्पिटल, नरसिंहपुर
263. मेसर्स सुविधा हास्पिटल, जबलपुर
264. मेसर्स दादा बीरन्द्र पुरी जी आई हास्पिटल, जबलपुर
265. मेसर्स चित्रकूट आई केयर हास्पिटल, जबलपुर
266. मेसर्स जौहरी हास्पिटल, जबलपुर
267. मेसर्स चन्द्रकला हास्पिटल, बालाघाट
268. मेसर्स अपेक्ष हास्पिटल, जबलपुर
269. मेसर्स पड़ारकर हास्पिटल, नरसिंहपुर
270. मेसर्स लाइफ मेडिसिटी हास्पिटल, जबलपुर
271. मेसर्स टी.एन.शुभला आई हास्पिटल, जबलपुर
272. मेसर्स सिसोदिया नरसिंग होम, मण्डला
273. मेसर्स बहगीया डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
274. मेसर्स मूरज बनारसी डेयरी फार्म, इमलिया जबलपुर
275. मेसर्स रामधीन डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
276. मेसर्स मिश्रा जी डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
277. मेसर्स प्रेमसिंह डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
278. मेसर्स सेठी डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
279. मेसर्स सुभाष बलहारा डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
280. मेसर्स यादव डेयरी फार्म (श्री राजेश), कन्दखेड़ा, जबलपुर
281. मेसर्स वेदराज केशवानी डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
282. मेसर्स रामसुजान अवस्थी डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
283. मेसर्स मुरली डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
284. मेसर्स पारस डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
285. मेसर्स धनीराम अवस्थी डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
286. मेसर्स नारंग डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
287. मेसर्स हरि सिंह डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
288. मेसर्स कुन्दन डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
289. मेसर्स अक्षित कोहली डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर
290. मेसर्स गुरुकृष्णा डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर
291. मेसर्स भोला डेयरी फार्म, कन्दखेड़ा, जबलपुर
292. मेसर्स बलहारा डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर

293. मेसर्स राजेन्द्र मौनी डेयरी, परियट, जबलपुर
294. मेसर्स आदर्श डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर
295. मेसर्स जनता डेयरी फार्म, सालीवाडा, जबलपुर
296. मेसर्स मिट्टू यादव डेयरी फार्म, गौरीयाघाट, जबलपुर
297. मेसर्स जीत पशरीचा डेयरी फार्म, गौरीयाघाट, जबलपुर
298. मेसर्स मामा डेयरी फार्म, जमतरा, जबलपुर
299. मेसर्स शर्मा डेयरी फार्म, जमतरा, जबलपुर
300. मेसर्स शेख बाबू डेयरी फार्म, जमतरा, जबलपुर
301. मेसर्स नवीन लोरीन लिमि., देवास
302. मेसर्स सन फार्म लिमि., देवास
303. मेसर्स संघवी फूहस प्रा.लिमि., देवास
304. मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज लि., पीथमपुर
305. मेसर्स धनबंतरी ऑटो इंडस्ट्रीज, पीथमपुर
306. मेसर्स क्वालिपैक पैकेजिंग प्रा.लि., पीथमपुर
307. मेसर्स मालिकका एण्टोटेक प्रा.लि., पीथमपुर
308. मेसर्स कनिका एक्सपोर्ट्स., पीथमपुर
309. मेसर्स मदरसन सुमी सिस्टम लि., पीथमपुर
310. मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा.लि. (यूनिट १), पीथमपुर
311. मेसर्स एन पंजाब शुगर, ग्राम हरनाथेडी, तहसील चांद, जिला छिंदवाडा
312. मेसर्स सुंदर फूह प्रोडक्ट्स, औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव, तहसील सोसर, जिला छिंदवाडा
313. मेसर्स भोपाल एण्ड ग्लूज कॉमीकल्स प्रा.लि., पीलूखेडी, जिला राजगढ़
314. मेसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बैबरीज प्रा.लि., पीलूखेडी, जिला राजगढ़
315. मेसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि., पीलूखेडी, जिला राजगढ़
316. मेसर्स अधुमिलन इण्ड.(प्रोसेस एण्ड डाइंग), ब्यावरा, जिला राजगढ़
317. मेसर्स दिन्हा डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि., कुराबर, जिला राजगढ़
318. मेसर्स बैल्यू रिसाइकलर्स एण्ड रिक्लेमर्स प्रा.लि., पीलूखेडी, जिला राजगढ़
319. मेसर्स आनन्द शिव मैरिज गार्डन, बोदा रोड, रीवा
320. मेसर्स श्री सार्व मैरिज गार्डन, फूलमती मंदिर के पास, बाणसागर कालोनी रोड, रीवा
321. मेसर्स संस्कृति मैरिज गार्डन, रिलायंस पम्प के सामने, बरा, रीवा
322. मेसर्स गीतांजली मैरिज गार्डन, वार्ड ३५, फोर्ट रोड, रीवा
323. मेसर्स आशीषाद मैरिज गार्डन, पड़ारा, रीवा
324. मेसर्स प्रताप हेरीटेज मैरिज गार्डन, नेहरूनगर कालोनी रोड, रीवा
325. मेसर्स उत्तम सदन मैरिज गार्डन, वार्ड नं. १५, समान, रीवा

326. मेसर्स डल्सब राजविलास मैरिज गार्डन, पीलीकोठी, रीवा
327. मेसर्स जलसा इन मैरिज गार्डन, हीरालाल कालोनी, रीवा
328. मेसर्स बृन्दावन मैरिज गार्डन, शिरिया, रीवा
329. मेसर्स गंगोत्री मैरिज गार्डन, शिरिया, रीवा
330. मेसर्स राधल मैरिज गार्डन, रिलायस पम्प के सामने, बरा, रीवा
331. मेसर्स आशियाना मैरिज गार्डन, गुलाब नगर, रीवा
332. मेसर्स साधूश्री मैरिज गार्डन, समान वॉथ, रीवा
333. मेसर्स न्यू स्वयंबर मैरिज गार्डन, नरेंद्र नगर, रीवा
334. मेसर्स लक्ष्मीबाग मैरिज गार्डन, होटल लैडमार्क के पास, रीवा
335. मेसर्स युवराज मैरिज गार्डन, मानस भवन के पास, रीवा
336. मेसर्स ग्रीनलैंड मैरिज गार्डन, द्वारिका नगर, रीवा
337. मेसर्स अशोक वाटिका मैरिज गार्डन, ढेकहा, रीवा
338. मेसर्स संजय गांधी चिकित्सालय, रीवा
339. मेसर्स अग्रवाल नर्सिंग होम, रीवा
340. मेसर्स चौरसिया नर्सिंग होम, रीवा
341. मेसर्स चहक चाइल्ड केयर नर्सिंग होम, रीवा
342. मेसर्स पसोनिया सर्जिकल नर्सिंग होम, रीवा
343. मेसर्स साईकृपा नर्सिंग होम, रीवा
344. मेसर्स शांति हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, रीवा
345. मेसर्स गोस्वामी एक्सरे एण्ड पैथालाजी, रीवा
346. मेसर्स मिथिलेश मेमोरियल हास्पिटल, रीवा
347. मेसर्स नीता नर्सिंग होम, रीवा
348. मेसर्स सागर नर्सिंग होम, रीवा
349. मेसर्स तीर्थ मेमोरियल हास्पिटल, रीवा
350. मेसर्स विघ्नहर्ता हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रीवा
351. मेसर्स शिवम पैथालाजी, रीवा
352. मेसर्स डी.के. हास्पिटल, सीधी
353. मेसर्स विघ्नहर्ता हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, रीवा
354. मेसर्स चिरायु हास्पिटल सिरमोर चौक, रीवा
355. मेसर्स शंकर नर्सिंग होम, बरा, रीवा
356. मेसर्स मिश्रा नर्सिंग होम, सीधी
357. मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल
358. मेसर्स अमरकंटक थर्मल पॉवर स्टेशन, चचाई, जिला अनूपपुर

359. मेसर्स निर्मल छाया रिसार्ट, बॉधवगढ़, उमरिया
360. मेसर्स लेमन ट्रीरिसार्ट, बॉधवगढ़, उमरिया
361. मेसर्स मेडास रिसार्ट, बॉधवगढ़, उमरिया
362. मेसर्स साईना रिसार्ट, बॉधवगढ़, उमरिया
363. मेसर्स एम.बी.पावर (म.प्र.) प्रा.लि., जैतहरी, जिला अनूपपुर
364. मेसर्स खैरहा यू.जी. माइन, जिला शहडोल
365. मेसर्स धनपुरी यू.जी. माइन, जिला शहडोल
366. मेसर्स शारदा ओ.सी. माइन, जिला शहडोल
367. मेसर्स विन्ध्या यू.जी. माइन, जिला उमरिया
368. मेसर्स बहेरा बांध यू.जी. माइन, जिला अनूपपुर
369. मेसर्स नटराज फूड प्रोडक्ट, इमलिया, जिला कटनी
370. मेसर्स श्री हास्पिटल, कटनी
371. मेसर्स जी.जी.नर्सिंग होम, कटनी
372. मेसर्स चांडक हास्पिटल, कटनी
373. मेसर्स स्टार रिकवरी हास्पिटल, कटनी
374. मेसर्स धर्मलोक हास्पिटल, कटनी
375. मेसर्स एम.जी.एम. हास्पिटल, कटनी
376. मेसर्स जय प्रकाश पावर बैंचर लि., अमिलिया नौर्थ ओपन कास्ट कोल माइंस, जिला सिंगरीली
377. मेसर्स जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, निगरी, जिला सिंगरीली
378. मेसर्स मोहेर एण्ड मोहेर अमलोरी एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माइंस, जिला सिंगरीली
379. मेसर्स बी. कमर्शियल बीकल प्राइवेट लि., विद्यनगर, सिंगरीली
380. मेसर्स एस्सार पावर (एम.पी.) लि., बंधीरा, जिला सिंगरीली
381. मेसर्स टूरिस्ट बंगलो चित्रकूट, जिला सतना
382. मेसर्स होटल सुरबहार, मैहर, जिला सतना
383. मेसर्स होटल भरहुत, सतना
384. मेसर्स सार्थक हास्पिटल, सतना
385. मेसर्स सदगुरु हास्पिटल, चित्रकूट, जिला सतना
386. मेसर्स नाहर नर्सिंग होम, सतना
387. मेसर्स शारदा हास्पिटल, राजेन्द्र नगर, सतना

- क्र. उद्योग / संस्थान / खदान का नाम
- 1 मेसर्स जे.के. फेब्रीकेटर्स, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
 - 2 मेसर्स काकड़ा रोलिंग मिल, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
 - 3 मेसर्स स्टेग इन्फ्रास्टेकचर प्रा.लि. (स्टोन क्रेशर), भोपाल
 - 4 मेसर्स सुधीर जैन स्टोन क्रेशर, भोपाल
 - 5 मेसर्स भोपाल इंसीनेटर लिमिटेड, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
 - 6 मेसर्स पीपुल्स मेहिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, भोपाल
 - 7 मेसर्स विशाल स्टोन क्रेशर, नीलबड़, भोपाल
 - 8 मेसर्स सफायर माईन्स (स्टोन क्रेशर), नीलबड़, भोपाल
 - 9 मेसर्स तुलसी आहूजा स्टोन क्रेशर, नीलबड़, भोपाल
 - 10 मेसर्स परमानंद पाठीदार स्टोन क्रेशर, बरखेड़ानाथू, भोपाल
 - 11 मेसर्स क्यूब कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड, (आर.एम.सी. प्लांट), भोपाल
 - 12 मेसर्स किसान स्टोन क्रेशर, भोपाल
 - 13 मेसर्स आनन्द टायर बर्कर्स, भोपाल
 - 14 मेसर्स माधव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ईगल इन्फ्रा इण्डिया (जेबी) (आरएमसी प्लांट), भोपाल
 - 15 मेसर्स माधव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ईगल इन्फ्रा इण्डिया (जेबी) (स्टोन क्रेशर यूनिट), भोपाल
 - 16 मेसर्स हटे सिंह सोर्लंकी स्टोन क्रेशर, भोपाल
 - 17 मेसर्स मलिक इन्फ्राटेक स्टोन क्रेशर, भोपाल
 - 18 मेसर्स रिचिल इलेक्ट्रोकाल्स, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
 - 19 मेसर्स सावरिया एग्रो ऑयल्स लिमिटेड, (ऑयल हिथीजन) औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
 - 20 मेसर्स ब्लू बबल्स इण्डस्ट्रीज, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
 - 21 मेसर्स शुभम् इण्डस्ट्रीज, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
 - 22 मेसर्स रामविन रबर्स प्रा.लि. (यूनिट-2), रायसेन
 - 23 मेसर्स शिवप्रिया दाल मिल, बरेली, रायसेन
 - 24 मेसर्स आशीष इन्फ्राकॉम प्रा.लि. (हॉट मिक्स प्लांट), रायसेन
 - 25 मेसर्स मैक्सन हेल्प केयर, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
 - 26 मेसर्स नासिर खान स्टोन क्रेशर, रायसेन
 - 27 मेसर्स शुभम् इण्डस्ट्रीज, रायसेन
 - 28 मेसर्स शुभम् पटेल स्टोन क्रेशर, रायसेन
 - 29 मेसर्स शांति बाई स्टोन क्रेशर, रायसेन
 - 30 मेसर्स सैयद नूरल हसन परवेज स्टोन क्रेशर, रायसेन

- 31 मेसर्स कुमारी रानी टाकुर स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 32 मेसर्स राजेश राठोर स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 33 मेसर्स टी.एस.एस.फूड्स, रायसेन
- 34 मेसर्स बंसल कन्सट्रक्शन वर्कर्स स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 35 मेसर्स गौरव पचौरी स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 36 मेसर्स मोहनी गोस्वामी स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 37 मेसर्स चौरेन्द्र सिंह राजपूत स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 38 मेसर्स माँ नर्मदा आटा डब्बोग, उदयपुर, रायसेन
- 39 मेसर्स सावरिया एयो ऑफिल्स लिमिटेड, (राईस डिवीजन यूनिट-2), इटारसी, होशंगाबाद
- 40 मेसर्स नटराज प्रोटीन्स, इटारसी, होशंगाबाद
- 41 मेसर्स राधा स्टोन क्रेशर, हरदा
- 42 मेसर्स रूपेश पाटक स्टोन क्रेशर, हरदा
- 43 मेसर्स छोटे लाल सरोदे स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 44 मेसर्स नितेश परिहार स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 45 मेसर्स तिऱ्पती बिल्डकॉर्म प्रा.लि. (स्टोन क्रेशर), बैतूल
- 46 मेसर्स बी.डी.स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 47 मेसर्स राजेश सिंह टाकुर स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 48 मेसर्स बस्तीयम लवीस्कर स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 49 मेसर्स नीलेश बटकुले स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 50 मेसर्स शीलेष सिंह सिकरवार स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 51 मेसर्स माँ कर्मा स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 52 मेसर्स चिनोद कुमार शुक्ला कन्सट्रक्शन प्रा.लि. (स्टोन क्रेशर, आरएमसी, डब्ल्यूएमएम, एचएमपी), बैतूल
- 53 मेसर्स आईकेम इंजीनियरिंग कंपनी प्रा.लि., बैतूल
- 54 मेसर्स आयुष स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 55 मेसर्स याकूब खान स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 56 मेसर्स संजीव दांगी स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 57 मेसर्स ए.के.दत्ता स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 58 मेसर्स दिलीप सिंह रघुवंशी (एचएमपी, आरएमसी, डब्ल्यूएमएम प्लांट), विदिशा
- 59 मेसर्स मुजाहिद अली स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 60 मेसर्स दिलीप सिंह रघुवंशी स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 61 मेसर्स दिलीप सिंह रघुवंशी स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 62 मेसर्स बंसल कन्सट्रक्शन वर्कर्स (एचएमपी, आरएमसी, प्लांट), विदिशा
- 63 मेसर्स बंसल कन्सट्रक्शन वर्कर्स स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 64 मेसर्स चौरेन्द्र सिंह भीणा स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 65 मेसर्स अन्वी फूड्स, पिपलियामीरा, सीहोर

- 66 मेसर्स त्रिलोक सिंह स्टोन क्रेशर, सीहोर
 67 मेसर्स कमल सिंह ठाकुर स्टोन क्रेशर, सीहोर
 68 मेसर्स इनवायरमेंट प्रोटेक्शन कार्पोरेशन, सीहोर
 69 मेसर्स अल्फा प्रोटीन्स प्रा.लि., भाऊखेड़ी, सीहोर
 70 मेसर्स सपना फूड इण्डस्ट्रीज, सीहोर
 71 मेसर्स चेतन सिंह स्टोन क्रेशर, सीहोर
 72 मेसर्स अन्नपूर्णा ठाकुर स्टोन क्रेशर, सीहोर
 73 मेसर्स लायन फेनिक्स लिमिटेड, सीहोर
 74 मेसर्स अंचिका माल्वेक्स लि., जावरा, जिला रतलाम
 75 मेसर्स डी.पी.बायर, रतलाम
 76 मेसर्स बंसल एग्रो, नीमच
 77 मेसर्स पंकज पुरोहित स्टोन क्रेशर, रतलाम
 78 मेसर्स मुमाष्वंद्र जैन स्टोन क्रेशर रतलाम
 79 मेसर्स भारत पिता श्री श्यामसुंदर राठौर रतलाम
 80 मेसर्स मोहन्नत अली स्टोन क्रेशर जावरा जिला रतलाम
 81 मेसर्स आर.कबीर (सितारा खान) स्टोन क्रेशर, रतलाम
 82 मेसर्स चेतक इंटरप्राइजेस, ग्राम सुबाखेड़ा, जिला नीमच
 83 मेसर्स आलोक पिता श्री कैलाश बैरागी, नीमच
 84 मेसर्स प्रमोला पति श्री कैलाश बैरागी, नीमच
 85 मेसर्स धीरज सिंह पिता श्री नरेन्द्र सिंह, नीमच
 86 मेसर्स संजूलाई पति श्री निरंजन लिवारी, नीमच
 87 मेसर्स चेतक इंटरप्राइजेस, नीमच बायपास, जिला नीमच
 88 मेसर्स सागर सिसोदिया स्टोन क्रेशर, उज्जैन
 89 मेसर्स मधिन प्रकाशचंद्र पाटीदार स्टोन क्रेशर, नागदा
 90 मेसर्स बद्रीलाल संगीतला स्टोन क्रेशर, नागदा
 91 मेसर्स अश्वन मारु स्टोन क्रेशर, नागदा जिला उज्जैन
 92 मेसर्स अतुल स्टोन क्रेशर, उज्जैन
 93 मेसर्स ब्दारका प्रसाद रामचन्द्र गुप्ता स्टोन क्रेशर, उज्जैन
 94 मेसर्स रामप्रसाद पाटीदार स्टोन क्रेशर, ग्राम दलौदा, जिला मंदसौर
 95 मेसर्स कुमावत स्टोन क्रेशर, ग्राम ढोडियामीना, मंदसौर
 96 मेसर्स अनिता पति श्री निर्मल फरख्या, सीमामठ, जिला मंदसौर
 97 मेसर्स दिनेश ईश्वरलाल, दलौदा, जिला मंदसौर
 98 मेसर्स हरी स्टोन क्रेशर, ग्राम खडपालिया मलहारगढ़, मंदसौर
 99 मेसर्स मधुसूदन पाटीदार स्टोन क्रेशर, दलौदा, मंदसौर
 100 मेसर्स तरुण अग्रवाल, देवरी शामगढ़, मंदसौर

- 101 मेसर्स पृथ्वी अग्रवाल, गरोठ, मंदसौर
- 102 मेसर्स घनसिंह स्टोन क्रेशर, बाबुलदा भानपुरा, मंदसौर
- 103 मेसर्स प्रबोण शामलीकाकड़, सुवासरा, मंदसौर
- 104 मेसर्स अर्चना परमार, ग्राम अरनिया, तहसील आगर
- 105 मेसर्स अरविंद शर्मा, ग्राम डोंगरगांव, जिला आगर
- 106 मेसर्स बालाजी तिरुपति कन्स्ट्रक्शन, कस्बा आगर
- 107 मेसर्स गोपाल परमार, ग्राम सुमराखेड़ी
- 108 मेसर्स महेन्द्रसिंह राठौर स्टोन क्रेशर, ग्राम तनोड़िया, जिला आगर
- 109 मेसर्स के.पी. सालवेक्स प्रा.लि., निवाही, टीकमगढ़
- 110 मेसर्स आर.एस.पी.एल. यूनिट नं. 02, औ. क्षेत्र सिंहगढ़, सागर
- 111 मेसर्स मध्य भारत एंग्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं. 01, ग्राम रजीआ, सागर
- 112 मेसर्स यूनीपेच रबरलिमिटेड, एलॉट नं. 01, महाराजपुरा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, म्बालियर
- 113 मेसर्स एंग्रो सालवेट, गोविंद निवास, दतिया
- 114 मेसर्स जे.के. टायर्स इण्डस्ट्रीज, सी-। इण्डस्ट्रीयल एरिया, बानपोर, जिला मुरैना
- 115 मेसर्स अम्बा शक्ति प्रा.लि., बानपोर औ. क्षेत्र, मुरैना
- 116 मेसर्स बी.आर.एस. फूड्स, मालनपुर औ. क्षेत्र, भिण्ड
- 117 मेसर्स तुप्ति एल्कोब्रेन, रायरु, जिला म्बालियर
- 118 मेसर्स बी.आर. ऑयल, बानपोर, जिला मुरैना
- 119 मेसर्स मॉन्टेज, मालनपुर, जिला भिण्ड
- 120 मेसर्स कुसुम हेलथकेयर प्रा.लिमि., एसईबीए पीथमपुर, जिला धार
- 121 मेसर्स आष्टविनायक इण्डस्ट्रीज, औ.क्षे., सांचेर रोड, इन्दौर
- 122 मेसर्स आयुष हर्बल, सेक्टर-सी, सांचेर रोड, औ.क्षे., इन्दौर
- 123 मेसर्स दुर्गा फूड प्रोडक्ट, ग्राम-बडाली, देपालपुर रोड, इन्दौर
- 124 मेसर्स एफ.एस. स्टील इण्डस्ट्रीज, सांचेर रोड, औ.क्षे. इन्दौर
- 125 मेसर्स जी.पी. कंपनी, धार रोड, इन्दौर
- 126 मेसर्स जी.पी. प्लायिकेम, धार रोड, इन्दौर
- 127 मेसर्स गुर्जर फाईटोकेम, औ.क्षे., सांचेर रोड, इन्दौर
- 128 मेसर्स इम्प्रो सोया, औ.क्षे., सांचेर रोड, इन्दौर
- 129 मेसर्स कैलाश टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज, बुरहानपुर
- 130 मेसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज, औ.क्षे., सांचेर रोड, इन्दौर
- 131 मेसर्स कृष्णा मेटल, औ.क्षे., सांचेर रोड, इन्दौर
- 132 मेसर्स न्याती फार्मा, सेक्टर-ए, सांचेर रोड, औ.क्षे., इन्दौर
- 133 मेसर्स पारस फूड, नेमावर रोड, पालदा
- 134 मेसर्स प्योर केयर, बुरहानपुर
- 135 मेसर्स साई पॉलीमर्स, भौरासला, इन्दौर

- 136 मेसर्स शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज, बजरंग पालिया, इन्दौर
- 137 मेसर्स श्री गणपती इण्डस्ट्रीज, निमरानी, खरगोन
- 138 मेसर्स यू.डब्ल्यू.सी.फूहस प्रा.लि., राठ, इन्दौर
- 139 मेसर्स अग्रवाल केलेण्डरिंग वर्कर्स, बुरहानपुर
- 140 मेसर्स अम्बे प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 141 मेसर्स अन्नपूर्णा केलेण्डरिंग वर्कर्स, बुरहानपुर
- 142 मेसर्स भंडारी प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 143 मेसर्स ब्लैक बैरी टायर प्रा.लि., इन्दौर
- 144 मेसर्स बॉम्बे रोलिंग मिल, सांखेर रोड, इन्दौर
- 145 मेसर्स कॉन्ट्रीनेटल रिफेक्टरीज, सेक्टर सी, ओ.क्षे., सांखेर रोड, इन्दौर
- 146 मेसर्स जिनेश इण्डस्ट्रीज, सांखेर रोड, इन्दौर
- 147 मेसर्स मध्यान्धल स्टील, ओ.क्षे. सांखेर रोड इन्दौर
- 148 मेसर्स महाराजा प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 149 मेसर्स मंगलम प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 150 मेसर्स पारस प्रोसेस, बुरहानपुर
- 151 मेसर्स पवन साईंजिंग, बुरहानपुर
- 152 मेसर्स आर.आर.फेब्रिक्स, बुरहानपुर
- 153 मेसर्स राघव कास्टिंग, सांखेर रोड, इन्दौर
- 154 मेसर्स राजेश इण्डस्ट्रीज, बुरहानपुर
- 155 मेसर्स राजकमल क्लॉरिंग एण्ड प्रोसेसिंग (इंडिया) प्रा.लि., बुरहानपुर
- 156 मेसर्स राजकमल उद्योग (यूनिट-2), बुरहानपुर
- 157 मेसर्स समाट प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 158 मेसर्स संजय साईंजिंग वर्कर्स, बुरहानपुर
- 159 मेसर्स सेलवेल पॉलीमर्स, 112-बी, 115-ए, सांखेर रोड, ओ.क्षे. इन्दौर
- 160 मेसर्स श्री कृंजिहारी प्रोसेस, बुरहानपुर
- 161 मेसर्स श्री राम प्रोसेस, बुरहानपुर
- 162 मेसर्स श्रीनाथ साईंजिंग इण्डस्ट्री, बुरहानपुर
- 163 मेसर्स स्वास्तिक प्रोसेस, बुरहानपुर
- 164 मेसर्स तुलसी अमृत प्रा.लि., सेक्टर डी, सांखेर रोड, इन्दौर
- 165 मेसर्स एसोसिएट डिस्ट्रिब्युशन लि., खोड़ी, बढ़वाह, जिला खरगोन
- 166 मेसर्स दुर्गा खाण्डसारी प्रा.लि., पानसेमल, बढ़वाही
- 167 मेसर्स ओप्सिस हिस्टलरी, बोराली, जिला धार
- 168 मेसर्स ग्रैट गैलियन लि., घाटाबिल्लौद, जिला धार
- 169 मेसर्स तिरुपति स्टार्च एण्ड केमिकल्स लि., सेजवाया, घाटाबिल्लौद, जिला धार
- 170 मेसर्स आईकीएस इग्स, घाटाबिल्लौद, जिला धार

- 171 मेसर्स कृष्णा फॉस्कोम प्रा. लि. (यूनिट-३), नवीन इकाई, मेघनगर, जिला झाबुआ
- 172 मेसर्स वेकेमेट इंडिया लि., औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार
- 173 मेसर्स मेघनगर फार्मा केम प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला झाबुआ
- 174 मेसर्स कृष्णा स्टोन क्रेशर, ग्राम-देवजिरीपांडा, जिला झाबुआ
- 175 मेसर्स मेसर्स शीतल इंडस्ट्रीज, मेघनगर, जिला झाबुआ
- 176 मेसर्स वाम उर्जा, मेघनगर, जिला झाबुआ
- 177 मेसर्स कैलीबर इनकार्पोरेशन, मेघनगर, जिला झाबुआ
- 178 मेसर्स अजनार स्टोन क्रेशर, अलीराजपुर
- 179 मेसर्स रजत स्टोन क्रेशर, बदनावर, जिला धार
- 180 मेसर्स प्रकाश पाटीदार स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 181 मेसर्स गुरु ओम स्टोन क्रेशर, खेडा, जिला धार
- 182 मेसर्स तिरुपति स्टोन क्रेशर, खेडा, जिला धार
- 183 मेसर्स माँ नर्मदा एण्टोटेक एण्ड हन्कास्ट्रक्चर, धार
- 184 मेसर्स भोहमद शफी एवं अन्य दो क्रेशर, खेडा, जिला धार
- 185 मेसर्स राहुल झाणियां स्टोन क्रेशर, सलकनपुर, जिला धार
- 186 मेसर्स रायल स्टोन क्रेशर, जमोदी, जिला धार
- 187 मेसर्स मुकाती स्टोन क्रेशर, जमोदी, जिला धार
- 188 मेसर्स महाप्रजा स्टोन क्रेशर, जिला अलीराजपुर
- 189 मेसर्स दीपक स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 190 मेसर्स अधय कुमार जैन स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 191 मेसर्स आनंद स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 192 मेसर्स ऋषभ स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 193 मेसर्स हेमसींग पटेल स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 194 मेसर्स राजेश खरे स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 195 मेसर्स धूपेन्द्र नाहर स्टोन क्रेशर जिला धार
- 196 मेसर्स गौरीशंकर पाटीदार स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 197 मेसर्स खोकर स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 198 मेसर्स जी आर एस स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 199 मेसर्स माँ उमिया स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 200 मेसर्स महेन्द्र व्यास स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 201 मेसर्स शिवा स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 202 मेसर्स अंशुल ट्रेडर्स, जिला धार
- 203 मेसर्स सुशील शर्मा स्टोन क्रेशर, जिला झाबुआ
- 204 मेसर्स कृष्णा स्टोन क्रेशर, अलीराजपुर
- 205 मेसर्स जय आम्बे क्रेशर, अलीराजपुर

- 206 मेसर्स शिवशक्ति स्टोन केशर, जिला धार
- 207 मेसर्स रत्न संपदा स्टोन केशर, जिला धार
- 208 मेसर्स श्री अम्बाजी स्टोन केशर, जिला धार
- 209 मेसर्स जीवन चौधरी स्टोन केशर, जिला धार
- 210 मेसर्स शशांक जैन स्टोन केशर, जिला धार
- 211 मेसर्स मेरावत स्टोन केशर, जिला धार
- 212 मेसर्स शारदा स्टोन केशर, जिला झावुआ
- 213 मेसर्स बालाजी गिट्टी सम्पलायर्स, जिला धार
- 214 मेसर्स मोहन सिंह सोलंकी, जिला झावुआ
- 215 मेसर्स गंगबाल स्टोन केशर, जिला धार
- 216 मेसर्स अग्रबाल स्टोन केशर, जिला धार
- 217 मेसर्स गुरुओम स्टोन केशर, जिला धार
- 218 मेसर्स प्रकाश हीरालाल बर्फा, धार
- 219 मेसर्स शिवसाई स्टोन केशर, धार
- 220 मेसर्स हिरोडकर स्टोन केशर, धार
- 221 मेसर्स मां भगवती स्टोन केशर, सरदारपुर धार
- 222 मेसर्स चारू अंकित माली स्टोन केशर, धार
- 223 मेसर्स नर्मदा शुगर मिल, सालीचौका, नरसिंहपुर
- 224 मेसर्स महाकौशल शुगर मिल, बचई, जिला नरसिंहपुर
- 225 मेसर्स रमणीक पॉवर प्रा.लि., बालाघाट
- 226 मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. (कन्स्ट्रूटर प्लॉट), मर्लाजखण्ड, जिला बालाघाट
- 227 मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, अगरिया, जबलपुर
- 228 मेसर्स निर्मला मिनरल्स, अगरिया, जबलपुर
- 229 मेसर्स कमल लाईम इण्डस्ट्रीज, दर्शनी, जिला जबलपुर
- 230 मेसर्स शारदा प्रसाद जायसबाल, मोहला, जिला जबलपुर
- 231 मेसर्स जयपुरिया लियो सौट, मोहगांव, बालाघाट
- 232 मेसर्स विजय खण्डलबाल मैगनीज और माइन्स, बालाघाट
- 233 मेसर्स डेल्टा रियल इन्फ्रा., सागर स्टोन केशर, जबलपुर
- 234 मेसर्स राजीव गुप्ता ढोलोमाईट माइन्स, जबलपुर
- 235 मेसर्स विनोद श्रीबास्तव, मैगनीज और माइन्स, सिहोरा, जबलपुर
- 236 मेसर्स झक्कोदिया मिनरल्स, जबलपुर
- 237 मेसर्स ए.पी.त्रिवेदी एण्ड सन्स मैगनीज और माइन्स, बालाघाट
- 238 मेसर्स रेणु रठीर ढोलोमाईट माइन्स, जबलपुर
- 239 मेसर्स राजराजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि., जिला नरसिंहपुर
- 240 मेसर्स ब्रोकन हिल्स माइनिंग कॉपनी, लेटेराइट माइन्स, जबलपुर

- 241 मेसर्स गैलेबसी माइन्स एण्ड मिनरल्स, जबलपुर
- 242 मेसर्स अभिनव सिंह ठाकुर बोल्डर माइन्स, जबलपुर
- 243 मेसर्स ए.पी.त्रिवेदी मैगनीज माइन, बालाघाट
- 244 मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका मैगनीज माइन्स, बालाघाट
- 245 मेसर्स सोहनी एजेन्सी, जबलपुर
- 246 मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरखारा, नरसिंहपुर
- 247 मेसर्स शिखर जी राईस आयल मिल, सिवनी
- 248 मेसर्स माँ नर्मदा स्टोन क्रेशर, अमझर, जबलपुर
- 249 मेसर्स माझी स्टोन क्रेशर, ग्राम अमझर, जबलपुर
- 250 मेसर्स एम.एस. स्टोन क्रेशर, ग्राम मानेगांव, जबलपुर
- 251 मेसर्स अंजू सिंह बघेल, ग्राम मानेगांव, जबलपुर
- 252 मेसर्स सतनाम स्टोन क्रेशर, ग्राम-मानेगांव, जबलपुर
- 253 मेसर्स एल.एन.टी स्टोन क्रेशर, ग्राम-मानेगांव, जबलपुर
- 254 मेसर्स कुलबंत स्टोन क्रेशर, ग्राम-अमझर, जबलपुर
- 255 मेसर्स सतनाम स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 256 मेसर्स अशोक कुमार भूमिया, जबलपुर
- 257 मेसर्स तारेन्द्र बाहेल्या स्टोन क्रेशर, मण्डला
- 258 मेसर्स एस.एस. कन्स्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, जबलपुर
- 259 मेसर्स शारदा स्टोन क्रेशर, जबलपुर
- 260 मेसर्स अजेन्द्र गोहलानी, सिवनी
- 261 मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 262 मेसर्स गणपति स्टोन क्रेशर, मण्डला
- 263 मेसर्स मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मण्डला
- 264 मेसर्स महाबीर स्टोन क्रेशर, मण्डला
- 265 मेसर्स अवधिया स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 266 मेसर्स प्रयंक्षकेशवर स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 267 मेसर्स ताजुल स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 268 मेसर्स सीताराम स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 269 मेसर्स जैन स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 270 मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रेशर, मानेगांव, जबलपुर
- 271 मेसर्स एम.एस स्टोन क्रेशर, मानेगांव, जबलपुर
- 272 मेसर्स विनोद जयसबाल स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 273 मेसर्स बण्णी नायडू स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 274 मेसर्स रजीत सिंह सिसोदिया, सिवनी
- 275 मेसर्स गजानद स्टोन क्रेशर, सिवनी

- 276 मेसर्स खत्री स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 277 मेसर्स नितौश स्टोन के शर, गोरुआ, सिवनी
- 278 मेसर्स हेमंत देशमुख स्टोन के शर, सिवनी
- 279 मेसर्स माँ कल्यानी स्टोन के शर, सिवनी
- 280 मेसर्स गोदावरी स्टोन के शर, सिवनी
- 281 मेसर्स जगदम्बा स्टोन के शर, सिवनी
- 282 मेसर्स चौरसिया स्टोन के शर, सिवनी
- 283 मेसर्स कन्हा स्टोन के शर, सिवनी
- 284 मेसर्स उलम स्टोन के शर, सिवनी
- 285 मेसर्स जैन स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 286 मेसर्स शाह स्टोन के शर, बालाघाट
- 287 मेसर्स नर्मदा मिनरल स्टोन के शर, मण्डला
- 288 मेसर्स राजकुमार अग्रवाल स्टोन के शर, मण्डला
- 289 मेसर्स माँ योगमाया मेटल्स, सिवनी
- 290 मेसर्स उदित इन्फा बल्ड प्रा.लि. स्टोन के शर, सिवनी
- 291 मेसर्स मुशील पाण्डेय क्रेशर मशीन, जबलपुर
- 292 मेसर्स पारस स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 293 मेसर्स श्री सीताराम स्टोन के शर इण्डस्ट्रीज, सिवनी
- 294 मेसर्स ओम साईराम स्टोन क्रेशर, मङ्गई रैयरत, मण्डला
- 295 मेसर्स कटोरे स्टोन के शर, सिवनी
- 296 मेसर्स साह ब्रदर्स स्टोन के शर, सिवनी
- 297 मेसर्स शिवम स्टोन के शर, सिवनी
- 298 मेसर्स सोहनी स्टोन के शर, जबलपुर
- 299 मेसर्स माँ स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 300 मेसर्स स्नेहा स्टोन के शर, सिवनी
- 301 मेसर्स पटले स्टोन के शर, सिवनी
- 302 मेसर्स सोनी स्टोन के शर, पिपरिया, मण्डला
- 303 मेसर्स धनशरस्ती प्रोपरटीज प्रा.लि. स्टोन के शर, बालाघाट
- 304 मेसर्स दुबे स्टोन क्रेशर बोल्डर माईन, मण्डला
- 305 मेसर्स चौ.आर. गोयल इन्फास्ट्रक्चर प्रा.लि., स्टोन के शर, जबलपुर
- 306 मेसर्स आर.टी. माईन्स स्टोन क्रेशर, बालाघाट
- 307 मेसर्स मुकुल चंद्राकर स्टोन के शर, बालाघाट
- 308 मेसर्स गनपति स्टोन कोलिंग कंपनी, बालाघाट
- 309 मेसर्स सोनकेसरिया स्टोन के शर, सिवनी
- 310 मेसर्स ओसवाल स्टोन के शर, सिवनी

- 311 मेसर्स जैन स्टोन केशर, सिवनी
- 312 मेसर्स प्रकाश चंद जैन स्टोन केशर, मण्डला
- 313 मेसर्स डोली स्टोन केशर, सिवनी
- 314 मेसर्स बापी नायडू स्टोन केशर, सिवनी
- 315 मेसर्स छाया अग्रवाल स्टोन केशर, मण्डला
- 316 मेसर्स सुशील पाण्डेय माईन, जबलपुर
- 317 मेसर्स प्रेस्टीज फूड प्रा.लिमि., देवास
- 318 मेसर्स कृति इण्डस्ट्रीज, देवास
- 319 मेसर्स विष्णी इण्डस्ट्रीज, देवास
- 320 मेसर्स महाकाली फूड्स, यूनिट-2 एवं 3, देवास
- 321 मेसर्स मातुश्री केमिकल्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं.-1, देवास
- 322 मेसर्स डिलाईट डेयरी, भोपाल-देवास रोड, ग्राम खातम्बा, देवास
- 323 मेसर्स क्लाईट स्टार मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं.-1, देवास
- 324 मेसर्स पवन श्री फूड, मक्सी, शाजापुर
- 325 मेसर्स श्रीनिवास बोर्ड एण्ड फाईबर, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं.-1, देवास
- 326 मेसर्स अमाया पोलीमर्स, देवास
- 327 मेसर्स एच.आर. जॉनसन लिमि., देवास
- 328 मेसर्स मिल्लल एपलाईसेम लि., पीथमपुर
- 329 मेसर्स इंदौर कैप्स प्रा.लि., पीथमपुर
- 330 मेसर्स एम.सी.एल., ग्लोबल स्टील प्रा.लि., पीथमपुर
- 331 मेसर्स केसर इस्पात, पीथमपुर
- 332 मेसर्स राठी आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज लि. (युनिट 2), पीथमपुर
- 333 मेसर्स मिल्लल कोर्प लि. (युनिट 1), पीथमपुर
- 334 मेसर्स सूरजबाला स्टोन केशर, हिवरसेनदबर, छिन्दवाड़ा
- 335 मेसर्स पद्मावती स्टोन केशर, सीतापर, छिन्दवाड़ा
- 336 मेसर्स गनेश स्टोन केशर, लवहाना, छिन्दवाड़ा
- 337 मेसर्स गुरुनानक स्टोन क्रेशर एवं हॉटमिक्स प्लांट, थवरीदमोदर, छिन्दवाड़ा
- 338 मेसर्स रामनिवास कुशवाहा स्टोन क्रेशर, सचकुही, छिन्दवाड़ा
- 339 मेसर्स आर.के. मेटल स्टोन केशर, खेरख मोहखेड़, छिन्दवाड़ा
- 340 मेसर्स आर्थिकाद स्टोन क्रेशर, अमरबाड़ा, छिन्दवाड़ा
- 341 मेसर्स रचना स्टोन केशर, बड़चिंचोली, छिन्दवाड़ा
- 342 मेसर्स जाट स्टोन केशर, नरशाला, छिन्दवाड़ा
- 343 मेसर्स जुनेजा मिनरल्स स्टोन केशर, लवहाना, छिन्दवाड़ा
- 344 मेसर्स अनिल बिन्दा स्टोन केशर, बोरिया, छिन्दवाड़ा
- 345 मेसर्स जुनानकर स्टोन केशर, बड़ेगाँव, छिन्दवाड़ा

- 346 मेसर्स गुलबाके स्टोन केशर (बोल्डर माइन स्टोन क्रशर), बिलावर कला, छिन्दवाड़ा
- 347 मेसर्स पटेल स्टोन केशर, इटावा, छिन्दवाड़ा
- 348 मेसर्स सतगुरु स्टोन केशर, अमाबोह, छिन्दवाड़ा
- 349 मेसर्स आदित्यराज स्टोन केशर, लवहाना, छिन्दवाड़ा
- 350 मेसर्स प्रभु शेल्के स्टोन केशर, जवाहर वार्ड, छिन्दवाड़ा
- 351 मेसर्स साईं बाबा स्टोन केशर, पांडुसना, छिन्दवाड़ा
- 352 मेसर्स साईंनाथ स्टोन केशर, लवहाना, छिन्दवाड़ा
- 353 मेसर्स मुधीर जुनानकर स्टोन केशर (बड़चिचौली), चिचोलीबाद, छिन्दवाड़ा
- 354 मेसर्स तरनजीत सिंह बेदी स्टोन केशर, ग्राम भनदेही, छिन्दवाड़ा
- 355 मेसर्स मोघयार कन्स्ट्रक्शन कॉपनी स्टोन केशर, पाथरकटी, छिन्दवाड़ा
- 356 मेसर्स धनसाली इंजिनियरिंग पालिमर्स, ग्राम सतनूर, तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा
- 357 मेसर्स एन. पंजाब शुगर, ग्राम हिरनाखेड़ी, तहसील चौराँ, जिला छिन्दवाड़ा
- 358 मेसर्स घोपाल एण्ड ग्लूज केमीकल्स प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
- 359 मेसर्स विन्याचल हिस्टीलरोज प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
- 360 मेसर्स देवराज एसोसियेट्स, ग्राम बामौर, जिला शिवपुरी
- 361 मेसर्स ओम स्टोन क्रेशर, ग्राम-बामौर, जिला शिवपुरी
- 362 मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर, ग्राम-बामौर, जिला शिवपुरी
- 363 मेसर्स वैल्यू रीसाइक्लर्स एण्ड रीक्लेमर्स प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
- 364 मेसर्स फ्रीम बोइलिंग, ग्राम-तुगड़िया, जिला राजगढ़
- 365 मेसर्स दाशी इनर्जीलि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
- 366 मेसर्स पंकज ऑयल मिल्स, ग्राम खानपुरा, जिला राजगढ़
- 367 मेसर्स अशदा इण्डस्ट्रीज, ग्राम-डैहरवारा, तहसील-कोलारस, जिला शिवपुरी
- 368 मेसर्स विठ्या टेली लिंक्स लि., चोरहटा, रीवा
- 369 मेसर्स बिडला केबिल लि., चोरहटा, रीवा
- 370 मेसर्स जे.पी.एसोसियेट्स, रीवा
- 371 मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, बेला, रीवा
- 372 मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, बधवार, सीधी
- 373 मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल
- 374 मेसर्स अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चचाई, अनूपपुर
- 375 मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, विरसिंहपुर, जिला उमरिया
- 376 मेसर्स एम.बी.थर्मल पावर, जैतहरी, जिला अनूपपुर
- 377 मेसर्स राजनगर आर.ओ.यू.जी. माइन (रेल्वे मार्गिंग), हसटेब एरिया, जिला अनूपपुर
- 378 मेसर्स धनपुरी ओ.सी. माइन, सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
- 379 मेसर्स शारदा ओ.सी. माइन, सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
- 380 मेसर्स खैरहायू.जी. माइन, सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल

- 381 मेसर्स कचंन ओ.सी. माइन, जोहिला एरिया, जिला उमरिया
- 382 मेसर्स नौरोजाबाद यू.जी. माइन (रेलवे सार्फिंग), जोहिला एरिया, जिला उमरिया
- 383 मेसर्स महावीर कोल बेनीफिकेशन प्रा.लि., घिरील पटना, जिला अनूपपुर
- 384 मेसर्स बाबा मिनिरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम बेलिया छोट, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 385 मेसर्स मुसरफ अली स्टोन क्रेशर, ग्राम बेलिया छोट, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 386 मेसर्स प्रशान्त चौधरी स्टोन क्रेशर, ग्राम हर्टोला, तह. पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर
- 387 मेसर्स सरस्वती माईनिंग एण्ड मिनिरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम बड़ी तुम्ही, जिला अनूपपुर
- 388 मेसर्स धेना नायक स्टोन क्रेशर, ग्राम तरंग, तह. पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर
- 389 मेसर्स सिटी इन्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर, ग्राम चंगेरी, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 390 मेसर्स दीपक प्रसाद गुप्ता स्टोन क्रेशर, ग्राम पौनी, तह. पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर
- 391 मेसर्स जय हनुमान स्टोन क्रेशर, ग्राम चटुआ, तह. एवं जिला अनूपपुर
- 392 मेसर्स मालासर स्टोन क्रेशर, ग्राम घनगमा, तह. एवं जिला अनूपपुर
- 393 मेसर्स बिन्ध्य मिनिरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम मकरा, तह. एवं जिला अनूपपुर
- 394 मेसर्स माँ भवानी स्टोन क्रेशर, ग्राम पौनी, तह. पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर
- 395 मेसर्स माहिद अली स्टोन क्रेशर, ग्राम रेड्ला, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 396 मेसर्स तनुज स्टोन क्रेशर, ग्राम डोगरिया, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 397 मेसर्स राकेश स्टोन क्रांसिंग स्टोन क्रेशर, ग्राम लालपुर, जिला शहडोल
- 398 मेसर्स पाण्डेय स्टोन क्रेशर, ग्राम मठ, जिला शहडोल
- 399 मेसर्स आर.एस. स्टोन क्रेशर, ग्राम भमरहा, जिला शहडोल
- 400 मेसर्स पी.के भगत स्टोन क्रेशर, अनूपपुर रोड, जिला शहडोल
- 401 मेसर्स त्रिपाटी स्टोन क्रेशर, ग्राम कचंनपुर, जिला शहडोल
- 402 मेसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, ग्राम खरुका, जिला शहडोल
- 403 मेसर्स प्राची स्टोन क्रेशर, ग्राम कचंनपुर, जिला शहडोल
- 404 मेसर्स राकेश सिंह चंदेल स्टोन क्रेशर, ग्राम अमलई, जिला शहडोल
- 405 मेसर्स जय हनुमान स्टोन क्रेशर, ग्राम सोनहा, तह. बुद्धार, जिला शहडोल
- 406 मेसर्स चौ.पी. स्टोन क्रेशर, ग्राम जमुआ, जिला शहडोल
- 407 मेसर्स शारदा स्टोन क्रेशर, ग्राम छतवई, जिला शहडोल
- 408 मेसर्स जय जगदम्बे स्टोन क्रेशर, ग्राम मठ, जिला शहडोल
- 409 मेसर्स आर्थी स्टोन क्रेशर, ग्राम छुहियाटोला, जिला शहडोल
- 410 मेसर्स जी.एच.बी. स्टोन क्रेशर, ग्राम धाटा, जिला शहडोल
- 411 मेसर्स श्री स्टोन क्रेशर, ग्राम भमरहा, जिला शहडोल
- 412 मेसर्स प्रगति मिनिरल स्टोन क्रेशर, ग्राम चौखड़िया, जिला शहडोल
- 413 मेसर्स मलूजा स्टोन क्रेशर, ग्राम ओदरी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 414 मेसर्स भारत स्टोन क्रेशर, ग्राम ओदरी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 415 मेसर्स बाला जी स्टोन क्रेशर, ग्राम ओदरी, तह.-पाली, जिला उमरिया

- 416 मेसर्स बाणा स्टोन क्रेशर, ग्राम ओदरी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 417 मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रेशर, ग्राम गिजरी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 418 मेसर्स हुकूमचन्द्र कन्स्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, ग्राम उजनिया, तह.-बांधवगढ़, जिला उमरिया
- 419 मेसर्स मोनाली स्टोन क्रेशर, ग्राम मुदरिया, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 420 मेसर्स सुपर चिप्प स्टोन क्रेशर, ग्राम पोडी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 421 मेसर्स त्रिलोकी स्टोन क्रेशर, ग्राम घानाघाट, जिला डिण्डौरी
- 422 मेसर्स गुप्ता स्टोन क्रेशर, शहपुरा, जिला डिण्डौरी
- 423 मेसर्स जनता स्टोन क्रेशर, ग्राम देवरा, जिला डिण्डौरी
- 424 मेसर्स ए.सी.सी. सीमेन्ट लि., कैमोर, कटनी
- 425 मेसर्स एस.एन.सन्धरसंन मिनिरल्स, कटनी
- 426 मेसर्स मेहरोत्रा स्टोन क्रेशर, कटनी
- 427 मेसर्स के.पी. अवस्थी स्टोन क्रेशर, कटनी
- 428 मेसर्स पी.डी. अवस्थी स्टोन क्रेशर, कटनी
- 429 मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली, स्टेज 01
- 430 मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली, स्टेज 02
- 431 मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली, स्टेज 04
- 432 मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली, स्टेज 05
- 433 मेसर्स शंकर प्रसाद नारायण दास वैश्य स्टोन क्रेशर, फुलबारी, सिंगरौली
- 434 मेसर्स जय बजरंग बली स्टोन क्रेशर, भाठखाड, सिंगरौली
- 435 मेसर्स शिवा एसोसिएट स्टोन क्रेशर, सिंगराबल, सिंगरौली
- 436 मेसर्स सलासर स्टोन क्रेशर, भाठखाड, सिंगरौली
- 437 मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, गडेरिया, सिंगरौली
- 438 मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, गडेरिया, सिंगरौली
- 439 मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, गडेरिया, सिंगरौली
- 440 मेसर्स कार्तिक एसोसिएट स्टोन क्रेशर, फुलबारी, सिंगरौली
- 441 मेसर्स बिरला कार्पोरेशन, लि., जिला सतना
- 442 मेसर्स एस.स्टोन क्रेशर, ग्राम नैना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना
- 443 मेसर्स राजेश स्टोन क्रेशर, ग्राम बिरहुली, तह. रघुराजनगर, जिला सतना
- 444 मेसर्स उदय स्टोन क्रिंगिं कं., ग्राम बिरहुली, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना
- 445 मेसर्स महालीर स्टोर क्रेशर, पड़क्का अमरपाटन, जिला सतना
- 446 मेसर्स बंसल खनिज उद्योग, जैतबारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 447 मेसर्स रामेश्वर प्रसाद रामचंद्र बंसल, जैतबारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 448 मेसर्स मंगला मिनिरल्स, जैतबारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 449 मेसर्स हर्ष मिनिरल्स, जैतबारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 450 मेसर्स नारायणी मिनिरल्स, जैतबारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 451 मेसर्स शिव मिनिरल्स, जैतबारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना

वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था

क्र.	उद्योग का नाम	सेक्टर	जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था
1	मेसर्स हिन्दाइनको इण्डस्ट्रीज लि. (महान एल्ट्रोबिनियम प्रोजेक्ट) वरगांव, जिला सिंगरीली	एल्ट्रोबिनियम सेक्टर	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
2	मेसर्स अल्ट्रोटेक सीमेंट लि. (विक्रम सीमेंट), स्लौर, तहसील जावद जिला नीमच	सीमेंट	सीमेंट ट्रीटमेंट प्लॉट	बैग हाउस ई.एस.पी.
3	मेसर्स डायमंड सीमेंट (किंकर उत्पादन इकाई) नरसिंहगढ़, जिला दमोह	सीमेंट	एस.टी.पी.	हाईब्रिड फिल्टर, डस्ट कलेक्टर-5, ई.एस.पी.-6 हाईब्रिड ई.एस.पी., हाईब्रिड फिल्टर, बैग हाऊस बैग फिल्टर-2
4	मेसर्स डायमंड सीमेंट (किंकर ग्राहिंग इकाई), इमलाई, जिला दमोह	सीमेंट	एस.टी.पी.	हाईब्रिड फिल्टर, डस्ट कलेक्टर-5, ई.एस.पी.-6 हाईब्रिड ई.एस.पी., हाईब्रिड फिल्टर, बैग हाऊस बैग फिल्टर-2
5	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट प्लॉट, जे.पी. नगर, जिला रीवा	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
6	मेसर्स बेला सीमेंट वक्स (यूनिट- अल्ट्रोटेक सीमेंट लि.), जे.पी. पुरम, जिला रीवा	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
7	मेसर्स सीधी सीमेंट वक्स (यूनिट-अल्ट्रोटेक सीमेंट लि.) ग्राम माझगांव, जिला सीधी	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर
8	मेसर्स ए.सी.सी.लि. (कैमोर सीमेंट वक्स), कैमोर, जिला कटनी	सीमेंट	एस.टी.पी.	बैग फिल्टर, सायक्लोन, मल्टी सायक्लोन, बैग हाउस

9	मेसर्स जय प्रकाश पॉवर वेचर्स लि. (सीमेन्ट ग्राइडिंग यूनिट), जे.पी. निगरी, जिला सिंगरीली,	सीमेन्ट	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
10	मेसर्स विरला कार्पोरे. लि. (सीमेन्ट डिकीजन), विरला विकास, सतना	सीमेन्ट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
11	मेसर्स प्रियम सीमेन्ट लि., मनकहरी, जिला सतना	सीमेन्ट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
12	मेसर्स मैहर सीमेन्ट, सरलानगर, मैहर, सतना	सीमेन्ट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
13	मेसर्स रिलायन्स सीमेन्ट प्रा. लि., भरौली, तहसील मैहर, जिला सतना	सीमेन्ट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
14	मेसर्स के.जे.एस. सीमेन्ट लि., राजनगर, तहसील मैहर, जिला सतना	सीमेन्ट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
15	मेसर्स भिलाई जे.पी. सीमेन्ट, बाबुपुर, जिला सतना	सीमेन्ट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
16	मेसर्स अल्ट्राटिक सीमेन्ट लि. (धार सीमेन्ट प्रोजेक्ट) ग्राम टोकी, जिला धार	सीमेन्ट	एस.टी.पी.	बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि
17	मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (मेम्बेन सेल यूनिट-1 एवं 2) नागदा, जिला उज्जैन	कलोर अल्काली	फिजिको केमीकल ट्रीटमेंट	स्कवर्स
18	मेसर्स ओरियन्स पेपर मिल कास्टिक सोडा यूनिट, जिला अनूपपुर	कलोर अल्काली	ई.टी.पी., एस.टी.पी.	कलोरिन लाइम स्कवर
19	मेसर्स सोम डिस्टीलरीज प्रा. लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., इलोपोरेशन, इसीनरेटर	2 ई.एस.पी., वायलर साइक्लोन एवं बैग फिल्टर,
20	मे. जगपिन लेवीज लिमि. (पूर्व नाम- कॉम्प्स इंडिया लिमि.), डिस्टीलरी यूनिट, नीमांव, जिला रायपुर	डिस्टीलरी	एम.ई.ई., द्रायर	बैग ड्रस्ट कलोरटर

21	मेसर्स ग्वालियर एल्कोबू प्रा. पि., रायगृ., जिला ग्वालियर	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एकोपरेटर, सीपीयू, सवाज हिकेन्टर एवं आरओ,	डस्ट कलेक्टर, ई.एस.पी., मल्टीसाइक्लोन
22	मेसर्स ग्वालियर डिस्टलरीज लिमिटेड, ग्राम हिंडी, इटाचा रोड, जिला भिण्ड	डिस्टीलरी	एम.ई.ई., सीपीयू, द्राघर, आरओ	साइक्लोन, बैग फिल्टर
23	मेसर्स अश्वाल डिस्टीलरी प्रा. पि., सबलपुरा, बड़वाह, जिला लखणगाँव	डिस्टीलरी	सी.पी.यू., द्राघर	मल्टी साइक्लोन, डस्ट कलेक्टर
24	मेसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एंड ब्रेवरीज पि., खोडी, बड़वाह, जिला लखणगाँव	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एकोपरेटर, द्राघर	मल्टी साइक्लोन, डस्ट कलेक्टर बैग फिल्टर
25	मेसर्स शेट गैलियन पि., सेजवाया लेवड, जिला- धार	डिस्टीलरी	मल्टी इफेक्ट एकोपरेटर, द्राघर	ई.एस.पी.
26	मेसर्स ओएसिस डिस्टलरी पि. ग्राम-बोराली, तहसील- बदनावर जिला -धार	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., मल्टीइफेक्ट एकोपरेटर, द्राघर	पम्प जेट बैग हाउम
27	मेसर्स गुलशान पीलियाँव्हा, प्लाट नं. 9-11, एमपीएकेचीएन, इण्डस्ट्रीयल एरिया बोरगाँव, जिला छिन्दवाडा	डिस्टीलरी	ई.टी.पी., एम.ई.ई., द्राघर	ई.एस.पी.
28	मेसर्स चिन्हाचल डिस्टीलरीज प्रा.पि. पीनुखेडी, जिला राजगढ़	डिस्टीलरी	एम.ई.ई., द्राघर, एस.टी.पी.	ई.एस.पी.
29	मेसर्स ई.सी.आर.डिस्टलरी, ग्राम-मेहर, जिला सागर	डिस्टीलरी	एम.ई.ई., द्राघर	सायक्लोन, बैग फिल्टर्स
30	मेसर्स न्यूपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड, औ.ओ. मण्डीदीप, जिला रायसेन	फार्मास्युटिकल	ई.टी.पी., आरओ, एम.ई.ई.	इसिनिरेटर, मक्कर

31	मेसर्स ईफ्का लेबोरेटरीज लि., ग्राम सेजवाता, जिला रत्नाम	फार्मास्यूटिकल	प्रायमरी, सेकेषन्डी एवं टर्सी ट्रीटमेंट, एम.ई.ई., ए.टी.एफ.टी	बैग फिल्टर एवं स्क्वार
32	मेसर्स गर्विन्हमेट ओपियम अल्कोलाईड वर्क्स, जिला नीमच	फार्मास्यूटिकल	फिल्मीको केमीकल एवं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट	बैग फिल्टर एवं स्क्वार
33	मेसर्स सन फार्मा लि. (मेसर्स रेनबोकसी लि.) मालनपुर, भिण्ड	फार्मास्यूटिकल	ईटीपी, एमईई, द्रायर आरओ	स्क्वार
34	मेसर्स टेका ए.पी.आई. इचिडया लि., मालनपुर, जिला भिण्ड	फार्मास्यूटिकल	ईटीपी, एमईई, द्रायर, आरओ	स्क्वार
35	मेसर्स सिमबोयोटिक फार्मा, एस.ई.सेड. पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटिकल	ई.टी.पी., कार्बन फिल्टर एमईई	बैग फिल्टर
36	मेसर्स न्यूपिन फॉर्मासिटिकल्स, एस.ई.सेड. पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटिकल	प्राइमरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, रीबर्स-ओसमोसिस, मल्टी इफेक्ट इबोपरेटर,	स्क्वार
37	मेसर्स इफ्का लेबोरेटरीज लि., पोलोग्राउण्ड, जिला इंदौर	फार्मास्यूटिकल	ईटीपी, एमईई, द्रायर, एमबीबीआर, आरओ	बैग फिल्टर
38	मेसर्स सिमबोयोटिक फार्मा, राउ, जिला इंदौर	फार्मास्यूटिकल	ईटीपी, एमईई, द्रायर, एमबीबीआर, आरओ	बैग फिल्टर
39	मेसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स (फार्मूलेशन एवं बल्क ह्यू प्लाट) लि., देवास	फार्मास्यूटिकल	ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई., द्रायर	बैग फिल्टर
40	मेसर्स युनिकेम लबोरेटरीज लि., प्लॉट नं. 197, सेक्टर 1, पीथमपुर, जिला- धार	फार्मास्यूटिकल	ई.टी.पी., आर.ओ., प्लाट, रिबर्स ओस्मोसिस	स्क्वार व 35 मीटर चिमनी
41	मेसर्स थिक फार्मा क.लि. इडस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटिकल	ई.टी.पी.	बैग फिल्टर, स्क्वार, सायक्लोन
42	मेसर्स एनालेट लेब प्रा. लि. इडस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटिकल	ई.टी.पी., एम.ई.ई., आर.ओ.प्लाट	बैग फिल्टर, स्क्वार, सायक्लोन

43	मेसर्स मेडिलक्स लेबोरेटरीज प्रा.लि. प्लॉट नं. ९८-९९, सेक्टर १, पीथमपुर, जि.धार	फार्मास्यूटिकल	ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई., द्वायर	बैग किल्टर
44	चालाजी स्टेराइड एण्ड होमोस प्रा.लि. एसईजेड, पीथमपुर, जिला धार	फार्मास्यूटिकल	ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई., द्वायर	स्कवर, सायक्लोन
45	मेसर्स नेपा लिमिटेड, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (बंद)	पल्य एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	उद्योग नम्बे समय से बंद है।
46	मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल मेन प्लॉट, अमलाई, जिला ग़ाहड़ोल	पल्य एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी., बेट स्कवर
47	मेसर्स सेक्चुरिटी पेपर मिल, जिला होशगाबाद	पल्य एण्ड पेपर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर, मल्टी सायक्लोन, डस्ट कलेक्टर
48	मेसर्स रामदेव शुगर प्रा.लि., बनसोडी, जिला होशगाबाद	शुगर	ई.टी.पी.	मल्टी साइक्लोन, बेन्चुरी स्कवर, चिमनी
49	मेसर्स थीजी शुगर एण्ड पावर प्रा.लि., जिला बैतूल	शुगर	ई.टी.पी.	मल्टी साइक्लोन, बेन्चुरी स्कवर
50	मेसर्स पार्वती स्पीटनर्स एण्ड पावर लि., ग्राम-सालरी, भिलरवार, जिला ग्वालियर	शुगर	ई.टी.पी.	बेन्चुरी स्कवर, मल्टीसाइक्लोन
51	मेसर्स ओलम एंड्रो इंडिया लि., घटवा, जिला बढ़वानी	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर
52	मेसर्स नवलसिंग सहकारी संकर कारखाना, जिला बुरहानपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर
53	मेसर्स दुर्गा खाइसारी शुगर, पानसेमल, जिला बढ़वानी	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर, ई.एस.पी.
54	मेसर्स जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोमायटी लि., कसरावाद, जिला- ग्वालियर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर

55	मेसर्स मॉरेवा शुगर प्रा. लि. नर्मदा नगर तहसील- कुड़ी जिला - धार	शुगर	ई.टी.पी.	डस्ट कलेक्टर, मल्टी सायक्लोन तथा स्कवर
56	मेसर्स करेली शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, करेली, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर, एप्प हैण्डलिंग सिस्टम,
57	मेसर्स महाकौशल शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-चर्चई, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर,
58	मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-पोडार, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर, ईएसपी
59	मेसर्स चंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बिलमुआ, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर,
60	मेसर्स रेवा कृष्ण शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, भिटोनी गाहपुरा, जिला जबलपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर,
61	मेसर्स शक्ति शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज, गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर,
62	मेसर्स आकृति शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम तुमडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट स्कवर,
63	मेसर्स राज राजेश्वरी शुगर प्रा.लि., ग्राम मोहपानी, तहसील- गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर	शुगर	ई.टी.पी.	बेट किल्टर
64	मेसर्स एन. पंजाब शुगर, ग्राम हिरनासेडी, तहसील चौरई, जिला दिनदारा	शुगर	ई.टी.पी.	स्कवर

65	मेसर्सैं कृषक सहकारी शक्ति कारखाना भर्यादित नारायणपुरा, राधीगढ़, जिला गुना	गुना	ई.टी.पी.	वेचुरी स्कवर
66	मेसर्सैं मतपुड़ा घर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-6, 7, 8, 9 एवं 10, 11 सारणी, जिला बैतूल	घर्मल पावर	ई.टी.पी., ऐशा पोण्ड इफल्यूएन्ट - रियूज इन ऐशा स्लरी प्रिपरेशन। एसटीपी	ईएसपी, बेग फिल्टर
67	मेसर्सैं हिनडालको इण्डस्ट्रीज लि. (महान एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट) वरचावा, जिला सिंगरीली	घर्मल पावर	ऐशा पोण्ड इफल्यूएन्ट-बाटर रिसाईकिलिंग प्लांट, ईटीपी	ईएसपी
68	मेसर्सैं एचईओ लिमिटेड (सीटीपीपी 30 एवं 32 मेगावाट), ओ.ओ. मण्डीदीप, जिला रायसेन	घर्मल पावर	प्रायमरी सेटलिंग टैक	बायलर-ईएसपी कोल हेडलिंग प्लांट- साइक्लोन, बेग फिल्टर, डस्ट सेप्रेशन सिस्टम, बाटर से सिस्टम, विन्ड ब्रेकिंग शेल्स
69	मेसर्सैं वर्षमान फेन्डिक्स (सीटीपीपी 30 मेगावाट) ओ.ओ. सतलापुर, मण्डीदीप, जिला रायसेन	घर्मल पावर	प्रायमरी सेटलिंग टैक	बायलर-ईएसपी कोल हेडलिंग प्लांट- साइक्लोन, बेग फिल्टर, डस्ट सेप्रेशन सिस्टम, बाटर से सिस्टम, विन्ड ब्रेकिंग शेल्स
70	मेसर्सैं ब्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (25 एवं 40 मेगावाट), नामदा, जिला उज्ज्वल	घर्मल पावर	प्रायमरी	ई.एस.पी.
71	मेसर्सैं जे.पी.बीमा घर्मल पावर प्लांट, ग्राम-सिरचोपी, बीमा, जिला सामग्र	घर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी.
72	मेसर्सैं सिगाली घर्मल पावर प्लांट, ग्राम ढोगलीया, जिला सोडबा	घर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी.
73	मेसर्सैं बी.एल.ए. पावर लि, ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर	घर्मल पावर	ई.टी.पी.	ई.एस.पी., बैग हाउस, तथा जल छिडकान
74	मेसर्सैं झाबुआ पावर लि., ग्राम बरेला, तहसील घंसीर, जिला-सिवनी	घर्मल पावर	ई.टी.पी., ई.एस.पी., एवं बैग हाउस, तथा जल छिडकान	ई.एस.पी., बैग हाउस, तथा जल छिडकान

75	मेसर्स अमरकटक घर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-५ (1X210 मेगावाट), चचाई, ज़िला अनूपपुर	घर्मल पावर	ई.टी.पी., एम.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
76	मेसर्स संजय गांधी घर्मल पावर स्टेशन यूनिट-१, यूनिट-२ (4X210 मेगावाट) यूनिट-३ (500 मेगावाट) चिरसिंहपुर पासी, ज़िला उमरिया	घर्मल पावर	ई.टी.पी., एम.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
77	मेसर्स एम.बी.पावर म.प्र. प्रा. लि, जैतहरी, ज़िला अनूपपुर	घर्मल पावर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
78	मेसर्स सासन पावर लिमिटेड मिहिमुद, ग्राम जासन ज़िला सिंगरीली (म.प्र.) 3960 मेगावाट	घर्मल पावर	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
79	मेसर्स एम.टी.पी.सी लिमिटेड, विन्ध्याचल सुपर घर्मल पावर प्रोजेक्ट सिंगरीली, 4760 मेगावाट	घर्मल पावर	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
80.	मेसर्स जे.पी. निशरी सुपर घर्मल पावर प्रोजेक्ट निशरी, तह, सरई, ज़िला सिंगरीली, 1320 मेगावाट	घर्मल पावर	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर
81.	मेसर्स एस्सार पावर लि, बघीरा, तह, माडा, सिंगरीली(म.प्र.)1200 मेगावाट	घर्मल पावर	एस.टी.पी., ई.टी.पी.	ई.एस.पी., बैग फिल्टर
82.	मेसर्स मध्यभारत एंड्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं.-१, ग्राम-रजीबा, सागर	फटिलाईजर	सेटलिंग टैक व चक्रीकरण व्यवस्था	डस्ट सप्रेशन सिस्टम, 03 स्टेज बैचुरी स्कवर
83	मेसर्स मध्यभारत एंड्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं. ३ (एस.एस.पी.प्लाट), ग्राम सोरई, ज़िला सागर	फटिलाईजर	सेटलिंग टैक व चक्रीकरण व्यवस्था	बैग फिल्टर्स, साइक्लोन, 03 स्टेज बैच्यूरी स्कवर

84	मेसर्स रामा फास्केट लि., एसएसपी डिवीजन, हैदराबाद	फटिलाइजर	न्यूट्रोलाइजेशन टैक, सेटलिंग टैक, फिल्टर बैड, उपचारित दूषित जल का उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्बन्धन	सालस्युरिक एसिड प्लान्ट में डबल कल्पणा एवं डबल एच्जोर्जिप्पन कोटक्ट प्रोसेस। एस. एस.पी. हेतु-03 स्टेज बैचुरी स्क्वार
85	मेसर्स लैतान केमिकल्स एंड फटिलाइजर, निमरानी, जिला स्वरगोन	फटिलाइजर	न्यूट्रोलाइजेशन टैक, सेटलिंग टैक, फिल्टर बैड, उपचारित दूषित जल का उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्बन्धन	सालस्युरिक एसिड प्लान्ट में डबल कल्पणा एवं डबल एच्जोर्जिप्पन कोटक्ट प्रोसेस। एस.एस.पी. हेतु-03 स्टेज बैचुरी स्क्वार
86	मेसर्स कोरोमध्य इंडिया इंडरलेन्जनल लि., निमरानी, जिला स्वरगोन	फटिलाइजर	न्यूट्रोलाइजेशन टैक, सेटलिंग टैक, उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्बन्धन	एस.एस.पी. प्लान्ट में 04 स्टेज बैचुरी स्क्वार
87	मेसर्स मध्यभारत फास्केट प्रा. लि. ए.के.ची.एन. औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला झावुआ	फटिलाइजर	सेटलिंग टैक व चक्रीकरण च्यवस्था	सायक्लोन, पाल्मजेट बैग फिल्टर, ध्री स्टेज बैचुरी स्क्वार
88	मेसर्स कृष्णा फास्केम लि. (युनिट-1 एस.एस.पी.ज्वांट) ए.के.ची.एन. औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, झावुआ	फटिलाइजर	सेटलिंग टैक व चक्रीकरण च्यवस्था, सेप्टिक टैक, सोकापिट	सायक्लोन, पाल्मजेट बैग फिल्टर, ध्री स्टेज बैचुरी स्क्वार
89	मेसर्स इन्ड्रा इण्डस्ट्रीज लिमि. बदनामर, साईला, जिला धार	फटिलाइजर	सेटलिंग टैक व चक्रीकरण च्यवस्था	ध्री स्टेज बैचुरी स्क्वार
90	मेसर्स एन.एफ.एल. विजयपुर, जिला गुना	फटिलाइजर	ई.टी.पी., एस.टी.पी	अमोनिया एवं यूरिया। एवं 2 हेतु प्रिलिंग टावर, हीट रिकल्हरी यूनिट, प्रायमरी रीफार्मर, फ्लू गेस रीफार्मर,
91	मेसर्स ट्रेन्ट केमिकल इन्डस्ट्रीज, ज्वांट न. 164 ए., के.ची.एन. औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर जिला झावुआ	डाई एप्ल डाई इंटरमीडिएट	कलोक्षान टैक, न्यूट्रोलाइजेशन टैक, फिल्टर ट्रैम, एजीटेटेड चम्पल फिल्म एवोपरेटर, स्प्रे द्रायर बलटी इफेक्ट एवोपरेटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	सायक्लोन, बैग फिल्टर्स, स्क्वार्स,

92	मेसर्स कृष्णा काम्केम लि., (युनिट-2) (एवं एसिड), ए.के.जी.एन औद्योगिक क्षेत्र, मेघमगर, जिला-शाकुआ	डाई एण्ड डाई इंटरमीडिएट	क्रिस्टलाइंसाईजर, फिल्टर प्रेस, स्ट्रॉपर, मल्टी इफेक्ट एंबोपरेटर एवं स्पै ड्रायर	दस्ट कलेक्टर, अलकानी स्क्वार, नाईट्रिक एसिड स्क्वार, बेसल स्क्वार
93	मेसर्स श्रियुला इंडस्ट्रीज प्रा. लि., 700 टीपीए, एवं 365 टन/दिन एस.एम.एस., गोदवारी, जिला मिंगरौली	इंट्रोग्रेड स्टील ब्लॉट	एम.टी.पी.	ई.एस.पी., बैग फिल्टर
94	मेसर्स कमल संज स्टील एण्ड पावर लि., सगमा, जिला सतना (उद्योग बंद है)	संज आपारन	सेप्टिक टेक सोकपिट	ई.एस.पी.
95	मेसर्स भारत औभान रिफाइनरी लि. आगासोद, बीना, जिला सागर	रिफाइनरी	ई.टी.पी.	लो नॉक्स बर्नर, केटिव पावर ब्लॉट में ई.एस.पी.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
भी प्राप्त किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, मुख्यालय, दिनांक 24 मई 2017—खंड 3, फला 1039

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

बा. एक 5-2-2015-18-5.—मध्यप्रदेश नियंत्रण अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 नं. 2004) की घोषणा
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, एन्ड साथा एडदात्र लैंडहिट में सम्मूहीन प्रदृश्यों में प्राकृतिक लैंडिंगों के उत्तराधि, भण्डारण,
परिवहन, विक्रय और उपयोग पर इस अधिनियम के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से पूर्ण प्रतिबंध लगायी है।

F 5-2-2015-18-5.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Jaiw Anasuya
Apushiaha (Niyantran) Adhiniyam, 2004 (No. 20 of 2004), the State Government, hereby, in the public interest
completely ban the production, storage, transportation, sale and use of plastic carry bags in the entire State of Madhya
Pradesh from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के एन्ड से उप अदेशानुभाव,

राजीव हार्ष, अपर मन्त्री,

475

नियंत्रण, युद्ध वस्तु संबंधी अधिकार द्वारा उपयोग के लिए नियंत्रण, भोपाल से युद्ध वस्तु अधिकार—2017



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
खांडीगढ़ पल्लीरा, ह-6, अमरा कॉटोनी, ओपाल-462016

www.mppcb.nic.in
info@mppcb.nic.in